

**भारत के**  
**नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**  
**राज्य वित्त**  
**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**



**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**  
**वर्ष 2018 की प्रतिवेदन सं. 1**

**भारत के**  
**नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**  
**राज्य वित्त**  
**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

***वर्ष 2018 की प्रतिवेदन सं. 1***



| विषय सूची   |           |       |
|---|-----------|-------|
|   | पैराग्राफ | पृष्ठ |
| प्राक्कथन   |           | v     |
| विहंगावलोकन   |           | vii-x |
| अध्याय - 1  |           |       |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त       |           |       |
| प्रस्तावना  | 1.1       | 2     |
| चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश               | 1.2       | 2     |
| बजट अनुमान व वास्तविकता                               | 1.3       | 3     |
| राज्य के संसाधन                                       | 1.4       | 4     |
| राजस्व प्राप्तियाँ                                    | 1.5       | 5     |
| संसाधनों के अनुप्रयोग                                 | 1.6       | 8     |
| व्यय की गुणवत्ता                                      | 1.7       | 10    |
| सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण             | 1.8       | 12    |
| परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ                              | 1.9       | 13    |
| ऋण प्रबंधन  | 1.10      | 14    |
| राजकोषीय असंतुलन                                      | 1.11      | 16    |
| निष्कर्ष  | 1.12      | 19    |
| सिफारिशें   | 1.13      | 20    |
| अध्याय - 2  |           |       |
| वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण                    |           |       |
| प्रस्तावना  | 2.1       | 21    |
| विनियोजन लेखों का सारांश                              | 2.2       | 21    |
| वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन                      | 2.3       | 22    |
| व्यय की कमी के कारण लेखों में समायोजित की गई वसूलियाँ | 2.4       | 28    |
| अनुदान सं. 10 - विकास की संवीक्षा के निष्कर्ष         | 2.5       | 28    |
| निष्कर्ष  | 2.6       | 29    |
| सिफारिशें   | 2.7       | 29    |

**अध्याय - 3**  
**वित्तीय रिपोर्टिंग**

|   |      |    |
|---|------|----|
| उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब                  | 3.1  | 31 |
| निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा                                | 3.2  | 32 |
| दुर्विनियोजन, हानियाँ तथा गबन                                     | 3.3  | 32 |
| व्यक्तिगत जमा खाते  | 3.4  | 33 |
| असमायोजित सार आकस्मिक बिल   | 3.5  | 33 |
| उचंत शेष  | 3.6  | 34 |
| मुख्य शीर्ष-7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष | 3.7  | 35 |
| लेखों का गलत वर्गीकरण   | 3.8  | 36 |
| निष्कर्ष  | 3.9  | 36 |
| सिफारिशें   | 3.10 | 37 |

| क्र.सं. | परिशिष्ट  | पृष्ठ |
|---------|---|-------|
| 1.1     | रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा   | 39    |
| 1.2     | सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट  | 40    |
| 1.3     | रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय सारणी आँकड़े                                   | 42    |
| 1.4     | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ                                      | 45    |
| 1.5     | वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार                                    | 46    |
| 2.1     | वर्ष 2016-17 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है      | 50    |
| 2.2     | ₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची                                    | 51    |
| 2.3     | विभिन्न अनुदान/विनियोजन जहाँ संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे                             | 53    |
| 2.4     | निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)        | 60    |
| 2.5     | वास्तविक प्रावधानों के 70 प्रतिशत तथा ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्ण के मामले | 64    |
| 2.6     | ₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्ण नहीं हुआ, का विवरण                            | 67    |
| 2.7     | वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह  | 68    |
| 2.8     | पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण                                     | 70    |
| 2.9     | विस्तृत शीर्ष 99 में व्यय का गलत वर्गीकरण जोकि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आरक्षित था     | 72    |
| 2.10    | अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत                                      | 75    |
| 3.1     | निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी                      | 79    |
|         | शब्दावली  | 81    |



## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्शन 48 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

‘वित्तीय रिपोर्टिंग’ पर अध्याय 3 विहंगावलोकन प्रदान करता है तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की प्राप्तियों सहित प्रतिवेदन, सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, बोर्डों, सरकारी कम्पनियों एवं राजस्व क्षेत्र की अभ्युक्तियों के प्रतिवेदन को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।





विहंगावलोकन



मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखों का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

**अध्याय 1** वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय संचय संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

**अध्याय 2** विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोजन का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है।

**अध्याय 3** रा.रा.क्षे.दि.स. की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

### लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ

#### अध्याय 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 653.11 करोड़ की (1.87 प्रतिशत) कमी आई। कर राजस्व में पिछले वर्ष से 2016-17 में ₹ 914.73 करोड़ (3.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि गैर-कर राजस्व में ₹ 134.71 करोड़ (26.14 प्रतिशत) की कमी और भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों में ₹ 1,433.13 करोड़ (33.66 प्रतिशत) की कमी हुई। भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों में कमी का मुख्य कारण 'केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त होने के कारण राजस्व के घाटे की प्रतिपूर्ति' के अंतर्गत 2015-16 में ₹ 2,572.48 करोड़ की तुलना में 2016-17 में ₹ 690.53 करोड़ तक होने वाली कमी है। 2016-17 में कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. के अपने कर-राजस्व का अंश 90.67 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2)

चालू वर्ष के दौरान ₹ 29,301.92 करोड़ का राजस्व व्यय पिछले वर्ष के व्यय से ₹ 2,959.37 करोड़ (11.23 प्रतिशत) से बढ़ गया है। 2016-17 के दौरान

राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 88.64 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 969.17 करोड़ घट गया। वर्ष 2016-17 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 11.36 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

31 मार्च 2017 तक सरकार ने ₹ 18,933.05 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा कॉर्पोरेटिवों में निवेश किया था। इन निवेशों पर वापसी 0.06 प्रतिशत थी जबकि 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत 8.65 प्रतिशत था।

(पैरा 1.8.1)

रा.रा.क्षे.दि.स. की संपूर्ण राजकोषीय देयतायें 2012-13 के ₹ 29,242.71 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 33,344.78 करोड़ (14.03 प्रतिशत) हो गई। 2016-17 के अंत में राजकोषीय देयतायें राजस्व प्राप्तियों का 0.97 गुणा तथा रा.रा.क्षे. के अपने संसाधनों का 1.06 गुणा थी।

(पैरा 1.9.2)

राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय पैरामीटर दर्शाते हैं कि 2015-16 में ₹ 8,656.30 करोड़ का राजस्व आधिक्य 2016-17 में ₹ 3,612.48 करोड़ (41.73 प्रतिशत) से घट कर ₹ 5,043.82 करोड़ हो गया। 2015-16 में ₹ 1,331.92 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य 178.87 प्रतिशत से घट गया तथा 2016-17 में ₹ 1,050.50 करोड़ के राजकोषीय घाटे में बदल गया। 2015-16 में ₹ 4,141.73 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य 2016-17 में घटकर (55.77 प्रतिशत) ₹ 1,832.02 करोड़ हो गया।

(पैरा 1.11.1)

## अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2016-17 के दौरान, ₹ 47,429.27 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों के प्रति ₹ 37,620.77 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,808.50 करोड़ की बचत हुई। ₹ 9,808.50 करोड़ की कुल बचत में से

राजस्व सेक्शन के अन्तर्गत 13 अनुदानों एवं एक विनियोजन में ₹ 6,698.38 करोड़ की बचत और पूंजीगत क्षेत्र तथा ऋण एवं अग्रिमों के अन्तर्गत ₹ 3,110.12 करोड़ की बचत हुई।

**(पैरा 2.2)**

2006-07 से 2015-16 के अनुदानों के संबंध में ₹ 85.71 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त वर्ष 2016-17 के लिए छः अनुदानों में ₹ 5.34 करोड़ के अधिक व्यय को संविधान की धारा 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

**(पैरा 2.3.1 तथा 2.3.2)**

वर्ष 2016-17 के विनियोजन लेखे दिखाते हैं कि आठ अनुदानों से संबंधित 12 मामलों में ₹ 50 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं, जिनका कुल योग ₹ 1,240.61 करोड़ था।

**(पैरा 2.3.3)**

तीन उपशीर्ष में ₹ 27.32 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय के पूर्वानुमान में प्राप्त किए गए थे। यद्यपि, अंतिम व्यय अब भी मूल अनुदान से कम था।

**(पैरा 2.3.6)**

10 अनुदानों जहाँ प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचतें हैं, के अंतर्गत ₹ 8,835.42 करोड़ की बचतों में से ₹ 3,575.75 करोड़ (बचतों का 40.47 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

**(पैरा 2.3.9)**

अनुदान सं. 10-विकास के अधीन 2014-15 से 2016-17 के दौरान 5 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ या अधिक की लगातार बचतें थीं। 55 मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सका। जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 28.28 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति इन मामलों में ₹ 44.75 करोड़ की संचित गैर-उपयोगिता हुई थी।

**(पैरा 2.5)**

### अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2016, तक दिए गए ₹ 15,220.87 करोड़ की राशि के कुल 3944 अनुदानों में से, मार्च 2017 के अन्त तक ₹ 7,269.69 करोड़ के 3,105 उ.प्र. विभिन्न विभागों से प्रतीक्षित थे। बकाया 3105 उ.प्र. में से ₹ 4,939.01 करोड़ के 1980 उ.प्र. (63.77 प्रतिशत) दो से 10 वर्ष से बकाया थे, जबकि ₹ 2,330.68 करोड़ के 1125 उ.प्र. (36.23 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2015-16 तक पाँच स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 15 वार्षिक लेखे 31 मार्च 2017 तक लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 3.2)

31 मार्च 2017 तक ₹ 198.56 करोड़ की पर्याप्त राशि उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया थी जिनका त्वरित समाशोधन तथा लेखों के उचित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.6)

**अध्याय-1**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त**





**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त**

यह अध्याय 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के वित्तों का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। संघ सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं: जैसे (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखे। जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं जैसे (क) समेकित निधि तथा (ख) आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। ऋण से संबंधित लेन-देनों (उन के अलावा जो लघु बचत योजनाओं से संबंधित हैं), जमाओं, अग्रिमों, प्रेषणों तथा उचंत का संघ सरकार के लोक लेखे में विलय किया जाता है। राज्य की राजकोषीय देयताओं में लघु बचत संग्रह शामिल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेष को संघ सरकार के रोकड़ में विलय किया गया है जो कि सामान्य रोकड़ के शेष का भाग बनता है और इसे सरकार के पास जमा के रूप में माना जाता है। दिल्ली केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं हैं तथा इसे संघीय करों व शुल्कों के राजकीय अंश के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त है।

**रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा**

दिल्ली, देश की राजधानी, 1,483 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। यह 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. की औसत जनसंख्या घनत्व सहित घनी आबादी वाला क्षेत्र है। रा.रा.क्षे. का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2016-17 में ₹ 6,22,384.64 करोड़ था। इसका स.रा.घ.उ. पिछले दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत स.रा.घ.उ. वृद्धि (14.60 प्रतिशत) की तुलना में उच्च दर पर (16.46 प्रतिशत) बढ़ा है (परिशिष्ट 1.1)। भारत के स.घ.उ. तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. की चालू मूल्यों पर वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में प्रदर्शित है।

**तालिका 1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की तुलना में भारत के स.घ.उ./स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि**

| वर्ष                                   | 2012-13     | 2013-14     | 2014-15     | 2015-16     | 2016-17     |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| भारत के सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | 99,51,344   | 1,12,72,764 | 1,24,88,205 | 1,35,76,086 | 1,51,83,709 |
| स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)          | 13.91       | 13.28       | 10.78       | 8.71        | 11.84       |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)   | 3,91,238.43 | 4,43,782.79 | 4,92,424.22 | 5,51,963.41 | 6,22,384.64 |
| स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)       | 13.81       | 13.43       | 10.96       | 12.09       | 12.76       |

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

## 1.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे 16 विवरणियों में निर्धारित हैं जिनमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि व आकस्मिक निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय राजस्व के साथ-साथ पूंजीगत भी प्रस्तुत की गई हैं (परिशिष्ट 1.2)।

## 1.2 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2016-17) के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट 1.3** प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

तालिका 1.2: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

| प्राप्तियाँ               | संवितरण          |                  |                              |                  |             |          |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------|------------------|
|                           | 2015-16          | 2016-17          | 2015-16                      | 2016-17          |             |          |                  |
| खण्ड-अ राजस्व             | कुल              | कुल              | खण्ड-अ राजस्व                | कुल              | गैर योजनागत | योजनागत  | कुल              |
| राजस्व प्राप्तियाँ        | 34,998.85        | 34,345.74        | राजस्व व्यय                  | 26,342.55        | 20,585.33   | 8,716.59 | 29,301.92        |
| कर राजस्व                 | 30,225.16        | 31,139.89        | सामान्य सेवाएँ               | 6,427.12         | 6,327.40    | 262.88   | 6,590.28         |
| गैर-कर राजस्व             | 515.40           | 380.69           | सामाजिक सेवाएँ               | 14,817.83        | 8,915.57    | 7,663.32 | 16,578.89        |
|                           |                  |                  | आर्थिक सेवाएँ                | 4,138.71         | 4,321.01    | 790.40   | 5,111.41         |
| भारत सरकार से अनुदान      | 4,258.29         | 2,825.16         | सहायता अनुदान तथा अंशदान     | 958.89           | 1,021.34    | -        | 1,021.34         |
| खण्ड-ब पूंजीगत            |                  |                  | खण्ड-ब पूंजीगत               |                  |             |          |                  |
| विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ | -                | -                | पूंजीगत व्यय                 | 4,723.47         | 8.78        | 3,745.52 | 3,754.30         |
| ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ | 83.41            | 212.50           | संवितरित ऋण व अग्रिम         | 2,684.32         | 911.08      | 1,641.44 | 2,552.52         |
| सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ* | 2,241.13         | 1,695.53         | सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान* | 1,435.18         | 1,654.62    | -        | 1,654.62         |
| आकस्मिक निधि              | 10               | 0                | आकस्मिक निधि से विनियोजन     | 10               | -           | -        | 0                |
| आरंभिक नकद शेष#           | 1,517.07         | 3,654.94         | अंतिम नकद शेष#               | 3,654.94         | -           | -        | 2,645.35         |
| <b>कुल</b>                | <b>38,850.46</b> | <b>39,908.71</b> |                              | <b>38,850.46</b> |             |          | <b>39,908.71</b> |

\* भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं जो प्रमुखतः छोटी बचतों में अंश के रूप में हैं।

# नकद शेष को भारत सरकार के सामान्य नकद शेष में जोड़ा जाता है।

स्रोत: वर्ष 2016-17 के लिए दिल्ली के वित्त लेखे तथा प्र. लेखा कार्यालय, दिल्ली से प्राप्त सूचना

पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:


- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 653.11 करोड़ की (1.87 प्रतिशत) कमी आई। कर राजस्व में ₹ 914.73 करोड़ (3.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्ति

में कमी मुख्यतः गैर-कर राजस्व में ₹ 134.71 करोड़ (26.14 प्रतिशत) की कमी और भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान में ₹ 1,433.13 करोड़ (33.66 प्रतिशत) की कमी थी। भारत सरकार से अनुदानों में कमी मुख्य रूप से क्षतिपूर्ति के अधीन कम प्राप्ति के कारण 2015-16 में ₹ 2572.48 करोड़ की तुलना में 2016-17 में ₹ 690.53 करोड़ के केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण से राजस्व की कमी के कारण हुई थी।

- राजस्व व्यय में ₹ 2,959.37 करोड़ (11.23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 969.17 करोड़ (20.52 प्रतिशत) की कमी हुई।
- ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ ₹ 129.09 करोड़ (154.77 प्रतिशत) से बढ़ी जबकि ऋणों का संवितरण ₹ 131.80 करोड़ (4.91 प्रतिशत) घटा।
- सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ ₹ 545.60 करोड़ (24.34 प्रतिशत) से घटी तथा पुनर्भुगतान में ₹ 219.44 करोड़ (15.29 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- 2016-17 की समाप्ति पर नकद शेष पिछले वर्ष से ₹ 1,009.59 करोड़ (27.62 प्रतिशत) से घटा।

### 1.3 बजट अनुमान व वास्तविकता

कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए बजट अनुमान व वास्तविकताओं को चार्ट 1.1 में दिखाया गया है।




वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ तथा राजस्व व्यय दोनों लक्ष्यों से क्रमशः 7 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत कम थे। ₹ 2,462 करोड़ के अनुमानित राजकोषीय घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा ₹ 1,051 करोड़ (57.31 प्रतिशत) था जबकि प्राथमिक आधिक्य अनुमानित ₹ 420 करोड़ की तुलना में ₹ 1,832 करोड़ था।

## 1.4 राज्य के संसाधन


### 1.4.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार रा.रा.क्षे. के संसाधन


राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों के दो प्रकार हैं जिनसे राज्य सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान आते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियाँ, ऋण प्राप्तियाँ तथा भा.स. से ऋण व अग्रिम साथ ही लोक लेखों की जमाएँ आती हैं। तालिका 1.2 चालू वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. की प्राप्तियों तथा संवितरणों को जैसा कि दिल्ली के वार्षिक वित्त लेखे में दर्ज है, को प्रदर्शित करते हैं जबकि चार्ट 1.2 तथा चार्ट 1.4 कुल प्राप्तियों/संसाधनों के घटकों को दर्शाते हैं। चार्ट 1.3 वर्ष 2012-17 के दौरान प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के संघटक तथा उप-संघटक



\*नकद शेषों को छोड़कर







रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ 2012-13 के 93.95 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 94.74 प्रतिशत थी।

### 1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के कर तथा गैर-कर राजस्व एवं भा.स. से सहायता अनुदान शामिल हैं। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ व घटक परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गई है तथा क्रमशः चार्ट 1.5 व 1.6 में भी दर्शाई गई है।



चार्ट 1.6 में देखा गया कि कुल राजस्व प्राप्तियों से रा.रा.क्षे. के अपने कर राजस्व का अंश 2012-13 में 91.67 प्रतिशत से 2013-14 में 92.63 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा जबकि 2015-16 में धीरे-धीरे 86.36 प्रतिशत तक घट गया तथा 2016-17 में पुनः 90.67 प्रतिशत बढ़ गया। कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व का अंश 2012-13 में 2.45 प्रतिशत से लगातार घटकर 2016-17 में 1.11 प्रतिशत हो गया सहायता अनुदान का अंश 2012-13 के 5.88 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 8.22 प्रतिशत हो गया। स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ तालिका 1.3 में दर्शाई गई हैं।

**तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ**

|  | 2012-13   | 2013-14   | 2014-15   | 2015-16   | 2016-17   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)                | 25,560.97 | 27,980.69 | 29,584.59 | 34,998.85 | 34,345.74 |
| रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)                         | 14.15     | 9.47      | 5.73      | 18.30     | -1.87     |
| रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)                              | 6.53      | 6.31      | 6.01      | 6.34      | 5.52      |
| अपने कर राजस्व की वृद्धि की दर                             | 17.32     | 10.62     | 2.64      | 13.61     | 3.03      |
| <b>उत्प्लावकता अनुपात</b>                                  |           |           |           |           |           |
| स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता                 | 1.02      | 0.70      | 0.52      | 1.51      | -0.15     |
| स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. की अपनी कर उत्प्लावकता | 1.25      | 0.79      | 0.24      | 1.13      | 0.24      |

स्त्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

2012-17 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की मिश्रित प्रवृत्ति दर्ज की गई। राजस्व प्राप्तियों में 1.87 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि थी, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में स.रा.घ.उ. बढ़कर 12.76 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट 1.4)। राजस्व प्राप्तियों में कमी का मुख्य कारण भा.स. से अनुदानों में ₹ 1,433.13 करोड़ (33.66 प्रतिशत) की कमी थी।


2012-13 के दौरान स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. की कर राजस्व उत्प्लावकता 1.25 प्रतिशत थी जो कि 2014-15 में घट कर 0.24 प्रतिशत हो गई, 2015-16 के दौरान बढ़कर 1.13 प्रतिशत हो गई तथा 2016-17 में घटकर 0.24 प्रतिशत हो गई।

### 1.5.1 रा.रा.क्षे. के अपने संसाधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियों में 2012-16 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। यह वर्ष 2016-17 में पिछले वर्ष से आंशिक रूप से 1.87 प्रतिशत से घट गयी।

#### कर राजस्व

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर राजस्व के घटक चार्ट 1.7 में दिए गए हैं:



स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली के वित्त लेखे

2016-17 के दौरान कर राजस्व (₹ 31,139.89 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 30,225.16 करोड़) से ₹ 914.73 करोड़ (3.03 प्रतिशत) बढ़ा। राजस्व में प्रमुख योगदान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से था जिसका कुल कर राजस्व में लगभग 67.90 प्रतिशत का योगदान था तथा पिछले वर्ष से यह 4.44 प्रतिशत बढ़ा।

2016-17 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत वसूली पिछले वर्ष से ₹ 13.71 करोड़ (0.32 प्रतिशत) बढ़ी जबकि स्टॉम्प ड्यूटी ₹ 289.67 करोड़ (8.44 प्रतिशत) घट गई। इसी प्रकार, वाहनों पर कर व अन्य करों (भूमि राजस्व सहित) का अंशदान क्रमशः ₹ 201.77 करोड़ (12.56 प्रतिशत) तथा ₹ 90.50 करोड़ (12.91 प्रतिशत) बढ़ा।

### गैर-कर राजस्व

2016-17 के दौरान गैर-कर राजस्व (₹ 380.69 करोड़) जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 34,345.74 करोड़) का 1.11 प्रतिशत था, पिछले वर्ष से ₹ 134.71 करोड़ (26.14 प्रतिशत) कम हो गया।

### 1.5.2 वसूली की लागत

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्ति की सकल वसूली, वसूली पर किया गया व्यय तथा सकल वसूली से ऐसे व्यय की प्रतिशतता को तालिका 1.4 में दिया गया है।

**तालिका 1.4 वसूली की लागत**

(₹ करोड़ में)

| राजस्व शीर्ष                  | वर्ष    | संग्रहण   | राजस्व संग्रहण पर व्यय | संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता |
|-------------------------------|---------|-----------|------------------------|------------------------------|
| बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर | 2014-15 | 18,289.31 | 49.26                  | 0.27                         |
|                               | 2015-16 | 20,245.82 | 56.16                  | 0.28                         |
|                               | 2016-17 | 21,144.24 | 63.05                  | 0.30                         |
| राज्य उत्पाद शुल्क            | 2014-15 | 3,422.39  | 5.29                   | 0.15                         |
|                               | 2015-16 | 4,237.69  | 6.02                   | 0.14                         |
|                               | 2016-17 | 4,251.40  | 8.53                   | 0.20                         |
| वाहनों पर कर                  | 2014-15 | 1,558.83  | 31.49                  | 2.02                         |
|                               | 2015-16 | 1,607.01  | 38.47                  | 2.39                         |
|                               | 2016-17 | 1,808.78  | 45.36                  | 2.51                         |



उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2016-17 के दौरान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर राज्य उत्पाद तथा वाहनों पर कर वसूली पर व्यय की प्रतिशतता में पिछले वर्ष से आंशिक वृद्धि हुई।


## 1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

### 1.6.1 व्यय की वृद्धि व संरचना



राज्य अपने कार्यों को पूरा करने, सामाजिक व आर्थिक सेवाओं की विद्यमान आपूर्ति को बनाए रखने, पूंजीगत व्यय तथा निवेश द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने तथा अपनी ऋण सेवा की देयताओं के निर्वहन हेतु संसाधन उत्पन्न करते हैं। रा.रा.क्षे. का कुल व्यय 2012-13 में ₹ 28,570.82 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 35,608.74 करोड़ हो गया (परिशिष्ट 1.3)।

चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹ 35,608.74 करोड़ पिछले वर्ष से ₹ 1,858.40 करोड़ (5.51 प्रतिशत) बढ़ा। कुल वृद्धि में से, राजस्व व्यय ₹ 2,959.37 करोड़ बढ़ा, जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः ₹ 969.17 करोड़ तथा ₹ 131.80 करोड़ तक घट गए। चालू वर्ष के दौरान व्यय में कुल वृद्धि की तुलना में पूंजीगत व्यय के शेर में कमी राज्य द्वारा निधियों के कम उत्पादक विनियोजन का सूचक है। पिछले पाँच सालों में राजस्व व्यय 2012-13 में ₹ 20,659.36 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 29,301.92 करोड़ हो गया जोकि 41.83 प्रतिशत की वृद्धि थी। जबकि पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत में मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई गई थी। यह 2012-13 में ₹ 4,176.63 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 4,707.42 करोड़ हो गई थी फिर 2014-15 में घटकर ₹ 4,403.94 करोड़ हो गई, पुनः 2015-16 में बढ़कर ₹ 4,723.47 करोड़ हो गई तथा पिछले वर्ष की तुलना में 20.52 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए 2016-17 में ₹ 3,754.30 करोड़ पर स्थिर हो गई।

पूंजीगत व्यय व राजस्व व्यय 2012-13 में कुल व्यय (ऋण व अग्रिम को छोड़कर) का क्रमशः 16.82 प्रतिशत तथा 83.18 प्रतिशत थे जबकि 2016-17 में ये क्रमशः 11.36 प्रतिशत व 88.64 प्रतिशत थे। योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय 2015-16 में ₹ 13,091.75 करोड़ से घटकर ₹ 629.64 करोड़ की कमी दर्ज करते हुए 2016-17 में ₹ 12,462.11 करोड़ हो गया, जबकि गैर-योजनागत व्यय 2015-16 में ₹ 17,974.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,619.84 करोड़ की वृद्धि दर्ज कर 2016-17 के दौरान ₹ 20,594.11 करोड़ हो गया। 2016-17 के दौरान योजनागत और गैर-योजनागत व्यय कुल व्यय (ऋण व अग्रिमों को छोड़कर) का क्रमशः 37.70 प्रतिशत और 62.30 प्रतिशत थे। 2012-17 की अवधि के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियाँ चार्ट 1.8 प्रस्तुत करता है।



‘आर्थिक वर्गीकरण’ एवं ‘गतिविधि वार व्यय’ दोनों के संयोजन को क्रमशः चार्ट 1.9 एवं 1.10 में दिखाया गया है।



2012-17 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 20.77 प्रतिशत से घटकर 19.49 प्रतिशत हो गया जबकि सामाजिक सेवाओं का अंश 44.94 प्रतिशत से बढ़कर 52.54 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि के दौरान ऋण तथा अग्रिम पर कुल व्यय 13.07 प्रतिशत से घटकर 7.17 प्रतिशत हो गया।

### 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत मूल रूप से तीन पहलू जैसे, व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के प्रयोग में दक्षता तथा प्रभाविता (कुछ चुनिंदा सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का मूल्यांकन) सम्मिलित हैं।

#### 1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2016-17 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.5 दर्शाता है।

तालिका 1.5: 2013-14 और 2016-17 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

| राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता                      | कु.व्य./<br>स.रा.घ.उ. | वि.व्य. <sup>#</sup> /<br>कु.व्य. | सा.से.व्य./<br>कु.व्य. | पू.व्य./<br>कु.व्य. | शिक्षा/<br>कु.व्य. | स्वास्थ्य/<br>कु.व्य. |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2013-14         | 14.80                 | 70.00                             | 38.20                  | 13.70               | 17.70              | 4.60                  |
| दिल्ली राज्य का (अनुपात) 2013-14                  | 7.37                  | 78.86                             | 46.60                  | 14.61               | 18.85              | 9.10                  |
| सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17 | 16.70                 | 70.90                             | 32.20                  | 19.70               | 15.20              | 4.80                  |
| दिल्ली राज्य का (अनुपात) 2016-17                  | 5.72                  | 75.92                             | 54.68                  | 10.54               | 25.61              | 11.32                 |

कु.व्य.: कुल व्यय वि.व्य.: विकास व्यय सा.से.व्य.: सामाजिक सेवा व्यय पू.व्य.: पूँजीगत व्यय  
<sup>#</sup> विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा सवितरित ऋण व अग्रिम शामिल हैं।  
 स.रा.घ.उ. का स्रोत : सूचना जो 29 जुलाई 2017 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध है

- स.रा.घ.उ. के अनुपात में रा.रा.क्षे. दिल्ली का कुल व्यय सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में 2013-14 एवं 2016-17 दोनों वर्षों में निम्न था।
- सरकार ने विकास व्यय को 2013-14 एवं 2016-17 में राजकोषीय प्राथमिकता दी क्योंकि इसका कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।
- सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में कुल व्यय से पूँजीगत व्यय का अनुपात 2013-14 में आंशिक रूप से अधिक एवं 2016-17 में कम था।
- 2013-14 में कुल व्यय से शिक्षा पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक था तथा आगे 2016-17 में बढ़ गया था।
- 2013-14 एवं 2016-17 में दिल्ली में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता सामान्य श्रेणी राज्यों से बहुत ज्यादा थी।

### 1.7.2 प्रयुक्त व्यय की दक्षता


सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों द्वारा व्यय के पुनर्गठन हेतु समुचित उपाय किए जाएँ तथा विशेषतः हाल के वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण राजकोष में उत्पन्न स्थान को ध्यान में रखकर विकास व्यय हेतु आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त मौलिक, सार्वजनिक तथा योग्यतामूलक वस्तुओं\* के प्रावधान पर बल दिया जाना चाहिए। तालिका 1.6 तथा चार्ट 1.11 चालू वर्ष तथा विगत वर्षों के दौरान विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.6: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

| विकास व्यय के घटक     | 2012-13   | 2013-14   | 2014-15   | 2015-16   | 2016-17    |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                       |           |           |           |           | बजट अनुमान | वास्तविक  |
| क. विकास राजस्व व्यय  | 14,088.26 | 15,964.55 | 16,625.10 | 18,956.54 | 23,843.96  | 21,690.30 |
| ख. विकास पूंजीगत व्यय | 3,979.76  | 4,441.95  | 4,032.84  | 4,345.81  | 4,254.35   | 3,404.09  |
| ग. विकास ऋण व अग्रिम  | 2,734.03  | 5,401.63  | 1,634.24  | 2,092.85  | 2,002.04   | 1,941.45  |
| कुल                   | 20,802.05 | 25,808.13 | 22,292.18 | 25,395.20 | 30,100.35  | 27,035.84 |

स्त्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



\* **मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ** वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी नहीं आती है, यथा कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।

**योग्यतामूलक वस्तुएँ** वे वस्तुएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने की क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्धनों को निःशुल्क व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूग्णता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि।

2016-17 के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत के अन्तर्गत विकास व्यय अनुमानों से क्रमशः ₹ 2,153.66 करोड़ (9.03 प्रतिशत) तथा ₹ 850.26 करोड़ (19.99 प्रतिशत) कम था। यह दर्शाता है कि बजट अनुमानों को तैयार करते समय विभिन्न योजनागत योजनाओं का क्रियान्वयन करने में क्रियान्वयन एजेंसियों की तैयारी का आकलन नहीं किया गया।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान विकास राजस्व व्यय में 53.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा विकास पूंजीगत व्यय में 14.46 प्रतिशत की कमी हुई। यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में विकास पूंजीगत व्यय ₹ 941.72 करोड़ (21.67 प्रतिशत) से कम था। विकास ऋण तथा अग्रिम 2012-13 से 2013-14 के दौरान 97.57 प्रतिशत तक बढ़ गए तथा इसके पश्चात वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान 64.06 प्रतिशत तक घट गए।

## 1.8 सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूंजीगत व्यय की गतिविधियों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### 1.8.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2017 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 18,933.05 करोड़ का निवेश किया था। इस निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.) 2016-17 में बहुत कम 0.06 प्रतिशत था। 2012-17 के दौरान प्रतिफल 0.06 तथा 0.16 प्रतिशत के मध्य था। सरकार ने 2016-17 के दौरान अपने उधारों पर औसतन 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाया। तालिका 1.7 में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.7: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

| निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत         | 2012-13   | 2013-14   | 2014-15   | 2015-16   | 2016-17   |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| वर्ष के अन्त तक निवेश                | 16,388.15 | 17,060.35 | 17,660.35 | 18,492.15 | 18,933.05 |
| निवेश पर प्रतिफल                     | 26.25     | 11.95     | 12.90     | 12.32     | 11.28     |
| निवेश पर प्रतिफल (%)                 | 0.16      | 0.07      | 0.07      | 0.07      | 0.06      |
| सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (%) | 9.73      | 9.21      | 8.59      | 8.54      | 8.65      |
| ब्याज दर तथा प्रतिफल में अन्तर (%)   | 9.57      | 9.14      | 8.52      | 8.47      | 8.59      |

2016-17 में पिछले राजकोषीय वर्ष में निवेश में वृद्धि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 323.27 करोड़ के नए निवेश के कारण थी। 26 कंपनियों में ₹ 18,933.05 करोड़ के कुल निवेश में से केवल तीन कंपनियों अर्थात् (i) दिल्ली कॉर्पोरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी लिमिटेड, (ii) दिल्ली राज्य नगर आपूर्ति निगम लिमिटेड, तथा (iii) इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के पास

मार्च 2017 तक ₹ 44.26 करोड़ के निवेश थे जिनसे 2016-17 के दौरान ₹ 11.28 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो इन कंपनियों में निवेश का 25.49 प्रतिशत था।

### 1.8.2 सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों व कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार संगठनों/संस्थानों को भी ऋण व अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2017 तक कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 62,255.13 करोड़ थी जैसा कि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: रा.रा.क्षे. सरकार द्वारा ऋणों व अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

| ऋणों/ब्याज की मात्रा प्राप्ति/उधारों की लागत                 | 2012-13   | 2013-14   | 2014-15   | 2015-16   | 2016-17    |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| अथशेष  | 47,877.90 | 50,887.82 | 55,737.28 | 57,189.61 | 59,915.10* |
| वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि                           | 3,734.83  | 5,652.37  | 1,679.94  | 2,684.32  | 2,552.52   |
| वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि                            | 724.90    | 802.91    | 227.61    | 83.42     | 212.50     |
| अंतशेष   | 50,887.82 | 55,737.28 | 57,189.61 | 59,790.52 | 62,255.12  |
| सकल योग  | 3,009.93  | 4,849.46  | 1,452.33  | 2,600.91  | 2,340.02   |
| ब्याज प्राप्ति   | 340.03    | 379.35    | 350.52    | 82.53     | 81.39      |
| बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति | 0.67      | 0.68      | 0.61      | 0.14      | 0.13       |

\* इस राशि में ₹ 124.58 करोड़ शामिल हैं जो वर्गीकरण की त्रुटि को सुधारने के लिए पूर्वावधि समायोजन दर्शाते हैं।

राज्य स्तरीय संगठनों/संस्थानों के प्रति बकाया ऋण रा.रा.क्षे. दिल्ली के कुल बकाया ऋणों का बहुत बड़ा भाग है। रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा बहुत से सरकारी उद्यमों तथा संस्थाओं, जिनको ऋण एवं अग्रिम दिए गए थे और 2016-17 के अंत में बकाया रह गए थे, वे जल आपूर्ति और सफाई प्रबंध (₹ 17,381.29 करोड़), शहरी विकास (₹ 1,653.92 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 14,956.14 करोड़), पावर परियोजनाओं (₹ 11,713.69 करोड़) और विविध ऋण (₹ 15,814.45 करोड़) के क्षेत्रों में थे।

### 1.9 परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ

#### 1.9.1 परिसम्पत्तियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। परिशिष्ट 1.5 31 मार्च 2017 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2016 की संबंधित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। इस परिशिष्ट में दी गई देयताओं में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिए केवल ऋण व अग्रिम ही

सम्मिलित है। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजीगत परिव्यय व ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष आते हैं।

### 1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

तालिका 1.9 रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं, उनकी वृद्धि दर, स.रा.घ.उ. से इन देयताओं, राजस्व प्राप्तियों से तथा अपने संसाधनों से अनुपात और इन पैरामीटरों के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है।

तालिका 1.9: राजकोषीय उत्तरदायित्व - मुख्य पैरामीटर

|   | 2012-13   | 2013-14   | 2014-15   | 2015-16   | 2016-17   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| राजकोषीय देयताएँ (₹ करोड़ में)                      | 29,242.71 | 32,080.32 | 32,497.91 | 33,303.87 | 33,344.78 |
| वृद्धि की दर (प्रतिशत)                              | (-)1.23   | 9.70      | 1.30      | 2.48      | 0.12      |
| राजकोषीय उत्तरदायित्व का अनुपात:                    |           |           |           |           |           |
| स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)                                 | 7.47      | 7.23      | 6.60      | 6.03      | 5.36      |
| राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)                        | 114.40    | 114.65    | 109.85    | 95.16     | 97.09     |
| अपने संसाधन <sup>#</sup> (प्रतिशत)                  | 121.55    | 120.70    | 119.32    | 108.34    | 105.79    |
| राजकोषीय उत्तरदायित्व की उत्प्लावकता के संदर्भ में: |           |           |           |           |           |
| स.रा.घ.उ. (अनुपात)                                  | (-)0.09   | 0.72      | 0.12      | 0.21      | 0.01      |
| राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)                         | (-)0.09   | 1.02      | 0.23      | 0.14      | (-)0.07   |
| अपने संसाधन <sup>#</sup> (अनुपात)                   | (-)0.07   | 0.93      | 0.52      | 0.19      | 0.05      |

<sup>#</sup> अपने संसाधन कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व हैं

रा.रा.क्षे. की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2012-13 में ₹ 29,242.71 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 33,344.78 करोड़ (14.03 प्रतिशत) हो गई। 2016-17 के दौरान ₹ 33,344.78 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में ₹ 30,018.37 करोड़ की 'छोटी बचतों के संग्रह का अंश', ₹ 3,326.39 करोड़ की 'संसाधनों में अंतर की पूर्ति हेतु ऋण' का तथा ₹ 0.01 करोड़ 'अन्य सहकारी समितियों को सहकारी सहायता' की बाध्यताएँ थी। 2016-17 की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 0.97 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 1.06 गुणा थी।

### 1.10 ऋण प्रबंधन

#### (i) ऋण रूपरेखा

तालिका 1.10 पिछले पाँच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की आंतरिक ऋण रूपरेखा की समय श्रृंखला के विश्लेषण को बताती है।

तालिका 1.10: ऋण रूपरेखा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रति व्यक्ति ऋण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | अथशेष     | ऋण प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | अंतशेष    | वृद्धि/कमी | पिछले वर्ष की प्रतिशतता में वृद्धि | प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में |
|---------|-----------|----------------|---------------------------|-----------|------------|------------------------------------|------------------------|
| 2012-13 | 29,608.29 | 922.41         | 1,287.99                  | 29,242.71 | -365.58    | -1.23                              | 17,406                 |
| 2013-14 | 29,242.71 | 4,162.90       | 1,325.29                  | 32,080.32 | 2,837.61   | 9.70                               | 19,095                 |
| 2014-15 | 32,080.32 | 1,764.32       | 1,346.73                  | 32,497.91 | 417.59     | 1.30                               | 19,344                 |
| 2015-16 | 32,497.91 | 2,241.13       | 1,435.17                  | 33,303.87 | 805.96     | 2.48                               | 19,824                 |
| 2016-17 | 33,303.87 | 1,695.53       | 1,654.62                  | 33,344.78 | 40.91      | 0.12                               | 19,848                 |

स्त्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे

सरकार के आंतरिक ऋण 2012-13 में ₹ 29,242.71 करोड़ से ₹ 4,102.07 करोड़ (14.03 प्रतिशत) बढ़ कर 2016-17 में ₹ 33,344.78 करोड़ हो गया। 2016-17 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 2,882.52 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

(ii) ऋण धारणीयता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त राज्य की ऋण धारणीयता को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। ऋण धारणीयता भविष्य में राज्य की ऋण सेवा सामर्थ्य को बताती है। यह खंड रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वृद्धि की दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति के अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति एवं राज्य को उपलब्ध निवल ऋण के संदर्भ में ऋण की धारणीयता को आकलित करता है। 2012-13 से 2016-17 के पाँच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार तालिका 1.11 राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.11: ऋण धारणीयता: संकेतक व प्रवृत्तियाँ

| ऋण धारणीयता के संकेतक  | 2012-13      | 2013-14     | 2014-15      | 2015-16      | 2016-17      |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| बकाया सार्वजनिक ऋण (₹ करोड़ में)   | 29,242.71    | 32,080.32   | 32,497.91    | 33,303.87    | 33,344.78    |
| बकाया सार्वजनिक ऋण के वृद्धि की दर (प्रतिशत में)   | (-)1.23      | 9.70        | 1.30         | 2.48         | 0.12         |
| स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)  | 3,91,238.43  | 4,43,782.79 | 4,92,424.22  | 5,51,963.41  | 6,22,384.64  |
| स.रा.घ.उ. के वृद्धि की दर (प्रतिशत में)  | 13.81        | 13.43       | 10.96        | 12.09        | 12.76        |
| बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (चुकाया गया ब्याज/ सार्वजनिक ऋण का अं.शे. + सार्वजनिक ऋण का अं.शे./2) (प्रतिशत में) | 9.73         | 9.21        | 8.59         | 8.54         | 8.65         |
| राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता  | 11.20        | 10.09       | 9.38         | 8.03         | 8.39         |
| ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता  | 1.40         | 0.32        | 0.76         | 0.64         | 0.98         |
| रा.रा.क्षे. को उपलब्ध निवल ऋण <sup>#</sup>   | (-) 3,228.46 | 13.31       | (-) 2,356.41 | (-) 2,003.85 | (-) 2,841.61 |

स्त्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित लेखे।

# राज्य को उपलब्ध निवल ऋण का अर्थ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान से होने वाली अधिकता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक ऋण 2012-13 में ₹ 29,242.71 करोड़ से 2016-17 में ₹ 33,344.78 करोड़ हो गया तथा 2012-17 की अवधि में 14.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उसी अवधि के दौरान 2.47 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि पंजीकृत की गई थी। बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि की दर 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान (-) 1.23 प्रतिशत तथा (+) 9.70 प्रतिशत के मध्य थी। सार्वजनिक ऋण ₹ 1,695.53 करोड़ के लघु बचत संग्रहण के अंश की प्राप्ति के कारण 2016-17 में 0.12 प्रतिशत की दर से बढ़ गई।



स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर 2012-13 में 13.81 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 10.96 प्रतिशत हो गई, 2016-17 में बढ़कर यह 12.76 प्रतिशत हो गई। लेकिन यह सार्वजनिक ऋण के ब्याज की औसत दर से थोड़ा अधिक ही थी जो 2012-17 की अवधि के दौरान 8.54 प्रतिशत से 9.73 प्रतिशत के मध्य थी।

ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात 2012-13 में 11.20 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 8.39 प्रतिशत हो गया।


ऋण भुगतान तथा ऋण प्राप्ति के अनुपात में भी 2012-13 में 1.40 प्रतिशत से 2016-17 में 0.98 प्रतिशत तक कमी आई।


### 1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय पैरामीटरों - राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक घाटा - एक निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अंतर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति, सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटों का वित्तीयकरण किया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किए जाते हैं, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग एवम् राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

#### 1.11.1 आधिक्य/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.12 व चार्ट 1.13 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान आधिक्य/घाटा संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित आधिक्य/घाटा की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।





राजस्व आधिक्य राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्तियों को दर्शाता है। रा.रा.क्षे. में 2012-17 के दौरान लगातार राजस्व आधिक्य हुआ। यह 2012-13 में ₹ 4,901.61 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 8,656.30 करोड़ हो गया तथा 2016-17 में ₹ 5,043.82 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय में ₹ 2,959.37 करोड़ की वृद्धि के कारण 2016-17 में राजस्व आधिक्य ₹ 3,612.48 करोड़ तक घट गया था तथा पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियां ₹ 653.11 करोड़ तक घट गई थी।

राजकोषीय घाटे ने 2012-13 में ₹ 2,284.95 करोड़ से 2013-14 में ₹ 3,942.71 करोड़ वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई जो 2014-15 के दौरान ₹ 218.83 करोड़ का आधिक्य हो गया तथा बाद में 2015-16 में बढ़कर ₹ 1,331.92 करोड़ हो गया लेकिन 2016-17 में यह फिर ₹ 1,050.50 करोड़ के घाटे में बदल गया। राजकोषीय अधिशेष में ₹ 2,382.42 करोड़ की कमी हुई जो 2016-17 में राजकोषीय घाटे में बदल गया, जिसका कारण पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व और ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण व अग्रिमों की वसूली + विविध पूँजीगत प्राप्तियों) में ₹ 524.02 करोड़ की कमी और कुल व्यय में ₹ 1,858.40 करोड़ की वृद्धि होना था। राजस्व व्यय में ₹ 2,959.37 करोड़ की भारी वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय और ऋणों में ₹ 969.17 करोड़ एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹ 131.80 करोड़ की कमी आई जिससे कुल व्यय में ₹ 1,858.40 करोड़ की वृद्धि हुई।

2012-13 में रा.रा.क्षे. में प्राथमिक आधिक्य था जो 2013-14 में ₹ 1,118.42 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया, लेकिन यह पुनः 2014-15 में घनात्मक होकर ₹ 2,992.83 करोड़ हो गया जोकि 2016-17 में घटकर ₹ 1,832.02 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में ब्याज भुगतान में ₹ 72.71 करोड़ की वृद्धि हुई तथा राजकोषीय आधिक्य में

₹ 2,382.40 करोड़ की कमी के कारण प्राथमिक आधिक्य ₹ 2,309.71 करोड़ से घट गया।

2015-16 में राजस्व आधिक्य स.रा.घ.उ. का 1.57 प्रतिशत के प्रति 2016-17 में स.रा.घ.उ. का 0.81 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय आधिक्य जोकि 2015-16 में स.रा.घ.उ. का 0.24 प्रतिशत था 2016-17 में राजकोषीय घाटे में बदल गया था तथा यह स.रा.घ.उ. का 0.17 प्रतिशत था।

### 1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक व इसका वित्तीयन प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीयन प्रतिरूप को तालिका 1.12 में दिखाया गया है:

तालिका 1.12: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

|   | विवरण                       | 2012-13     | 2013-14      | 2014-15     | 2015-16     | 2016-17     |
|---|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   | राजकोषीय घाटा/आधिक्य* (-/+) | (-)2,284.95 | (-) 3,942.71 | 218.83      | 1,331.92    | (-)1,050.50 |
| 2   | राजस्व घाटा/आधिक्य (-/+)    | 4,901.61    | 5,614.17     | 6,075.10    | 8,656.30    | 5,043.82    |
| 3   | निवल पूँजीगत व्यय           | (-)4,176.63 | (-)4,707.42  | (-)4,403.94 | (-)4,723.47 | (-)3,754.30 |
| 4   | निवल ऋण तथा अग्रिम          | (-)3,009.93 | (-) 4,849.46 | (-)1,452.32 | (-)2,600.91 | (-)2,340.02 |
| <b>राजकोषीय घाटे का वित्तीयन प्रतिरूप**</b>                     |                             |             |              |             |             |             |
| 1   | भा.स. से ऋण                 | 365.58      | 2,837.60     | 417.60      | 805.96      | 40.91       |
| * घाटे के आंकड़े (-) में तथा अधिशेष (+) में दिखाए गए हैं,       |                             |             |              |             |             |             |
| ** ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाह के हैं |                             |             |              |             |             |             |

स्त्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा वे.ले.का., दिल्ली

### 1.11.3 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे को प्राथमिक राजस्व घाटे व पूँजीगत व्यय (ऋण व अग्रिमों सहित) में खंडित करने पर राज्य के वित्तों में घाटे की प्रकृति का संकेत मिलता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि ऋण ली गई निधि किस सीमा तक वर्तमान उपभोग हेतु प्रयोग की गई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का निरंतर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार घट रहा था तथा ऋणों के एक भाग (राजकोषीय देयताएँ) हेतु कोई परिसंपत्तीय पूर्ति नहीं थी। चूंकि 2012-17 की पूरी अवधि में दिल्ली का राजस्व आधिक्य रहा, इसलिए ऋण ली गई निधि को केवल पूँजीगत व्यय व ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया जैसा कि

तालिका 1.13 में दिया गया है:

तालिका 1.13: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | गैर-ऋण प्राप्तियाँ | प्राथमिक राजस्व व्यय | पूँजीगत व्यय | ऋण व अग्रिम | प्राथमिक व्यय | प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य(+) | प्राथमिक घाटा (-) /आधिक्य (+) |
|---------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | 2                  | 3                    | 4            | 5           | 6(3+4+5)      | 7(2-3)                              | 8(2-6)                        |
| 2012-13 | 26,285.87          | 17,796.48            | 4,176.63     | 3,734.83    | 25,707.94     | 8,489.39                            | 577.93                        |
| 2013-14 | 28,783.60          | 19,542.23            | 4,707.42     | 5,652.37    | 29,902.02     | 9,241.37                            | (-),1,118.42                  |
| 2014-15 | 29,812.20          | 20,735.49            | 4,403.94     | 1,679.94    | 26,819.37     | 9,076.71                            | 2,992.83                      |
| 2015-16 | 35,082.26          | 23,532.74            | 4,723.47     | 2,684.32    | 30,940.53     | 11,549.52                           | 4,141.73                      |
| 2016-17 | 34,558.24          | 26,419.40            | 3,754.30     | 2,552.52    | 32,726.22     | 8,138.84                            | 1,832.02                      |

स्त्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा वे.ले.का., दिल्ली

सरकार को 2012-13 में ₹ 577.93 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य हुआ। गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय की पूर्ति नहीं कर पाई, जिससे 2013-14 में ₹ 1,118.42 करोड़ का प्राथमिक घाटा हुआ। 2014-15 में, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का प्राथमिक आधिक्य पुनः ₹ 2,992.83 करोड़ हो गया जोकि 2015-16 में बढ़कर ₹ 4,141.73 करोड़ हो गया तथा 2016-17 में घटकर ₹ 1,832.02 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष से 2016-17 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 969.17 करोड़ से घट गया। पूँजीगत व्यय प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष के 15.27 प्रतिशत की तुलना में घटकर 11.47 प्रतिशत हो गया। पूँजीगत व्यय पर वित्तीय परिव्यय वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु समय पर भौतिक परिसम्पत्तियों में परिणत होना चाहिए।

### 1.12 निष्कर्ष

2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 653.11 करोड़ (1.87 प्रतिशत) से घट गई क्योंकि पिछले वर्ष से मुख्यतः गैर-कर राजस्व में ₹ 134.71 करोड़ (26.14 प्रतिशत) तथा भा.स. से अनुदानों ₹ 1,433.13 करोड़ (33.66 प्रतिशत) में कमी के कारण प्रत्याशित बजट अनुमानों से कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व 3.9 प्रतिशत तथा 16.4 प्रतिशत से कम थे। 2016-17 में कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. के अपने कर राजस्व का अंश 90.67 प्रतिशत था।

पिछले वर्ष से 2016-17 में कुल व्यय ₹ 35,608.74 करोड़ से ₹ 1,858.40 करोड़ (5.51 प्रतिशत) बढ़ गया। कुल वृद्धि में राजस्व व्यय ₹ 2,959.37 करोड़ जबकि पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम घटकर क्रमशः ₹ 969.17 करोड़ और ₹ 131.80 करोड़ हो गए थे।

31 मार्च 2017 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 18,933.05 करोड़ निवेश किए थे। इन निवेशों पर प्रतिफल 0.06 प्रतिशत था जबकि 2016-17 के दौरान सरकार ने अपने उधारों पर 8.65 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

संपूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2012-13 में ₹ 29,242.71 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 33,344.78 करोड़ (14.03 प्रतिशत) हो गईं। 2016-17 के अंत में राजकोषीय देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 0.97 गुणा तथा रा.रा.क्षे. के अपने संसाधनों का 1.06 गुणा थीं।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति के प्रमुख राजकोषीय पैरामीटरों जैसे राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे के संदर्भ में 2016-17 में राजस्व आधिक्य पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,612.48 करोड़ (41.73 प्रतिशत) से घट गई। 2015-16 में ₹ 1,331.92 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य 178.87 प्रतिशत घट गया तथा 2016-17 में ₹ 1,050.50 करोड़ के राजकोषीय घाटे में बदल गया। 2015-16 में ₹ 4,141.73 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य 2016-17 में घटकर (55.77 प्रतिशत) ₹ 1,832.02 करोड़ हो गया।

राजस्व आधिक्य 2015-16 में स.रा.घ.उ. के 1.57 प्रतिशत के प्रति 2016-17 में स.रा.घ.उ. का 0.81 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय आधिक्य जोकि 2015-16 में स.रा.घ.उ. का 0.24 प्रतिशत था तथा राजकोषीय घाटे में बदल गया, 2016-17 में यह स.रा.घ.उ. का 0.17 प्रतिशत था।

### 1.13 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- i. आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव हेतु पूंजीगत व्यय को बढ़ाना; और
- ii. इकाईयों/संस्थानों से बकाया ऋणों की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाना।
- iii. निवेश पर नगण्य वापसी को देखते हुए सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों के निष्पादन का और अधिक ध्यानपूर्वक निरीक्षण तथा मूल्यांकन किया जाना।

**अध्याय-2**  
**वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण**



## अध्याय - 2

### 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

#### 2.1 प्रस्तावना

**2.1.1** विनियोजन लेखे, जैसा कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनः विनियोजन स्पष्ट रूप से दर्शाए जाते हैं तथा यह विनियोग अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के संबंध में विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर प्राधिकृत पूँजीगत तथा राजस्व व्यय को वास्तविक पूँजीगत व दत्तमत्त व्यय की तुलना में दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन तथा बजट प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं।

**2.1.2** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2016-17 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।

#### 2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2016-17 के दौरान 14 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

**तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति**

(₹ करोड़ में)

|                                       | व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान/<br>विनियोजन | पूरक अनुदान/<br>विनियोजन | कुल              | वास्तविक<br>व्यय | बचत (-)/<br>अधिकता (+) |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| दत्तमत्त                              | राजस्व          | 32,162.01               | 273.30                   | 32,435.31        | 26,343.92        | (-)6,091.39            |
|                                       | पूँजीगत         | 6,709.67                | (-)231.70 <sup>#</sup>   | 6,477.97         | 3,988.45         | (-)2,489.52            |
|                                       | ऋण व अग्रिम     | 2,055.43                | 784.97                   | 2,840.40         | 2,552.53         | (-)287.87              |
| <b>कुल दत्तमत्त</b>                   |                 | <b>40,927.11</b>        | <b>826.57</b>            | <b>41,753.68</b> | <b>32,884.90</b> | <b>(-)8,868.78</b>     |
| भारित                                 | राजस्व          | 3,685.53                | 2.70                     | 3,688.23         | 3,081.24         | (-)606.99              |
|                                       | पूँजीगत         | 0.10                    | शून्य                    | 0.10             | 0.01             | (-)0.09                |
|                                       | ऋण व अग्रिम     | 1,987.26                | 0.00                     | 1,987.26         | 1,654.62         | (-)332.64              |
| <b>कुल भारित</b>                      |                 | <b>5,672.89</b>         | <b>2.70</b>              | <b>5,675.59</b>  | <b>4,735.87</b>  | <b>(-)939.72</b>       |
| आकस्मिक निधि का विनियोजन (यदि कोई हो) |                 | 0.00                    | 0.00                     | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |
| <b>कुल जोड़</b>                       |                 | <b>46,600.00</b>        | <b>829.27</b>            | <b>47,429.27</b> | <b>37,620.77</b> | <b>(-)9,808.50</b>     |

<sup>#</sup> ऋणात्मक आंकड़े ऋण तथा अग्रिम में (-) ₹ 253.37 करोड़ का पुनर्विनियोग तथा ₹ 21.67 करोड़ के पूरक अनुदानों के कारण हैं।



2016-17 के दौरान ₹ 47,429.27 करोड़ के कुल अनुदान तथा विनियोजन के प्रति ₹ 37,620.77 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,808.50 करोड़ की बचत हुई। ₹ 9,808.50 करोड़ की कुल बचत में ₹ 6,698.38 करोड़ की बचत राजस्व सेक्शन के 13 अनुदानों तथा एक विनियोजन तथा पूँजीगत सेक्शन एवं ऋण व अग्रिम के अंतर्गत ₹ 3,110.12 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप थी।

## 2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

### 2.3.1 पिछले वर्षों के दौरान प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

भारत के संविधान की धारा 205 बताती है कि यदि किन्हीं सेवाओं हेतु एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु प्रदान की गई राशि से अधिकता में व्यय किया गया है, तो अधिकता में किए गए व्यय का राज्य विधानसभा द्वारा नियमितीकरण किया जाना चाहिए। हालाँकि इस अनुच्छेद में व्यय के नियमितीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, परंतु परंपरा अनुसार लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा विनियोजन लेखों पर चर्चा की समाप्ति के बाद अधिक व्यय को नियमित किया जाना होता है। हालाँकि, 2006-07 से 2015-16 की अवधि के लिए लगभग ₹ 85.71 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित किया जाना अभी भी अपेक्षित था। अधिक व्यय के बकाया नियमितीकरण की वर्षवार राशि को तालिका 2.2 में सारांशिकृत किया गया है।

### तालिका 2.2: पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से ऊपर किए गए अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | अनुदानों की संख्या | प्रावधान से ऊपर किए गए अधिक व्यय की राशि |
|---------|--------------------|--|
| 2006-07 | 7 (38 उप-शीर्ष)    | 9.12                                     |
| 2007-08 | 5 (30 उप-शीर्ष)    | 11.55                                    |
| 2008-09 | 5 (29 उप-शीर्ष)    | 17.35                                    |
| 2009-10 | 3 (3 उप-शीर्ष)     | 5.60                                     |
| 2010-11 | 2 (5 उप-शीर्ष)     | 3.98                                     |
| 2012-13 | 1 (11 उप-शीर्ष)    | 27.22                                    |
| 2013-14 | 6 (18 उप-शीर्ष)    | 5.17                                     |
| 2014-15 | 2 (12 उप-शीर्ष)    | 3.51                                     |
| 2015-16 | 2 (06 उप-शीर्ष)    | 2.21                                     |
|         | <b>कुल</b>         | <b>85.71</b>                             |

**2.3.2 2016-17 के दौरान प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है**

वर्ष 2016-17 के लिए शीर्षवार विनियोजन लेखों में यह देखा गया कि ₹ 28.30 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति छः अनुदानों में सात उप-शीर्षों के अंतर्गत, वास्तविक व्यय ₹ 33.64 करोड़ था, जिसके फलस्वरूप ₹ 5.34 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था, जो कि अभी (अक्टूबर 2017) तक नियमित किया जाना था (परिशिष्ट 2.1)। इस प्रकार, संविधान की धारा 205 के अंतर्गत ₹ 91.05 करोड़ के अधिक व्यय (2006-07 से 2016-17 तक) को नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

**2.3.3 आबंटित प्राथमिकताओं की तुलना में बचतें**

वर्ष 2016-17 के विनियोजन लेखे यह दर्शाते हैं कि आठ अनुदानों से संबंधित 12 मामलों में प्रत्येक में बचत ₹ 50 करोड़ से अधिक तथा कुल ₹ 1,240.61 करोड़ थी। (परिशिष्ट 2.2)

बचत के कई कारणों में से मुख्य स्कीम की धीमी प्रगति, स्कीम का गैर-क्रियान्वयन, कम अनुदान जारी किया जाना तथा कार्य की धीमी प्रगति थे।

**2.3.4 निरंतर बचतें**

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, चार अनुदानों में ₹ 1.00 करोड़ से भी अधिक या कुल अनुदान के 20 प्रतिशत से अधिक की निरंतर बचतें हुईं जिसका ब्यौरा तालिका 2.3 में दिया गया है:

**तालिका 2.3: 2012-17 के दौरान निरंतर बचतों को दर्शाने वाले अनुदानों की सूची (₹ करोड़ में)**

| क्र. सं.               | अनुदान की शीर्ष सं. व नाम   |           | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|------------------------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>राजस्व - दत्तमत</b> |   |           |         |         |         |         |         |
| 1.                     | <b>अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन</b>                                  |           |         |         |         |         |         |
|                        | 2014.00.108.99/2014/बी.1(2)   | कु. प्रा. | 34.59   | 39.62   | 47.77   | 62.41   | 58.50   |
|                        | (1)- न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट   | ब.        | 5.00    | 6.04    | 8.05    | 15.29   | 8.13    |
|                        |   | %         | 14.46   | 15.24   | 16.85   | 24.5    | 13.90   |
| 2.                     | <b>अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य</b>                         |           |         |         |         |         |         |
|                        | 2211.00.102.80.00.42/के 1   | कु. प्रा. | 4.5     | 4.9     | 10.67   | 10      | 19.26   |
|                        | (3) (1)- शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सी एस एस)                         | ब.        | 1.93    | 3.5     | 9.21    | 8.71    | 17.76   |
|                        |   | %         | 42.89   | 71.43   | 86.32   | 87.1    | 92.21   |
| 3.                     | <b>अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण</b>                      |           |         |         |         |         |         |
|                        | 2217.80.191.13/ए. 8   | कु. प्रा. | 339.87  | 325.16  | 157.12  | 377.16  | 414.87  |
|                        | (2)(1)(26)- नागरिक सुधारों के लिए सहायता अनुदान                       | ब.        | 189.87  | 325.16  | 157.12  | 377.16  | 40.87   |
|                        |   | %         | 55.86   | 100     | 100     | 100     | 9.85    |
| <b>पूंजीगत-दत्तमत</b>  |   |           |         |         |         |         |         |
| 4.                     | <b>अनुदान सं. 8- समाज कल्याण</b>                                      |           |         |         |         |         |         |
|                        | 5055.00.800.97.00.42/डी.डी.1  | कु. प्रा. | 10      | 100     | 3       | 11      | 11.73   |
|                        | (3)(1)-इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजी बसों - परिवहन की वैकल्पिक प्रणाली का आरंभ | ब.        | 8.39    | 97.21   | 3       | 11      | 11.73   |
|                        |   | %         | 83.9    | 97.21   | 100     | 100     | 100     |

कु.प्रा.--कुल प्रावधान (वास्तविक+पूरक+पुनर्विनियोग), ब.-बचत, % - प्रतिशतता

2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के वर्षों के दौरान नागरिक सुधारों के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत तथा 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान इलैक्ट्रॉनिक ट्राली बसें-परिवहन की वैकल्पिक प्रणाली प्रारंभ करने के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

उपरोक्त मामले निधि की आवश्यकता से अधिक अनुमानों को इंगित करते हैं तथा यह निरंतर बचतों और योजना के गैर-क्रियान्वयन को रोकने के लिए प्रभावी उपचारी कार्रवाई करने में विभाग की असफलता का सूचक हैं।

### 2.3.5 सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें

आठ अनुदानों तथा एक विनियोजन के 119 उपशीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा उससे अधिक) सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अप्रयुक्त रह गए अथवा वित्त वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व सरकारी खातों में वापिस जमा करा दिये गये। उप-शीर्षों का विवरण परिशिष्ट-2.3 में दिया गया है। सम्पूर्ण प्रावधान की बचत यह संकेत करती हैं कि आकलन परियोजनाओं/स्कीमों की पर्याप्त संवीक्षा के बिना ही तैयार किए गए थे। स्कीम जो कुल प्रावधान को उपयोग नहीं किए जाने के कारण प्रारंभ नहीं हो सकीं अथवा प्रभावित हुईं, वे हैं: बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूँजी (₹ 150 करोड़), दि.प.नि. कलस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाना (₹ 90 करोड़), मोहल्ला रक्षा दल (₹ 200 करोड़), जे.एन.एन.यू. आर.एम. परियोजनाओं के अधीन प्रमुख नालों के बराबर इंटर-सेक्टर सीवर के लिए दिल्ली जल बोर्ड को अनुदान (₹ 200 करोड़), सड़कों का व्यापक रख-रखाव (₹ 100 करोड़), एल.ई.डी. स्क्रीनों के प्रावधान (₹ 137 करोड़) तथा सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगाया जाना (₹ 200 करोड़), मिड-डे मील कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान (₹ 34.47 करोड़)।

### 2.3.6 अनावश्यक पूरक प्रावधान

पूरक माँग का चुनाव असामान्य और अत्यावश्यक मामलों में ही करना चाहिए। पूरक अनुदान को प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

वर्ष 2016-17 के विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दिखाती है कि उच्चतर/अतिरिक्त व्यय का पूर्वानुमान करते हुए तीन उप-शीर्षों में ₹ 27.32 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। हालाँकि, दो मामलों में

अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम हुआ, जैसाकि तालिका 2.4 में वर्णित है।

**तालिका 2.4: अधिक/अनावश्यक पूरक अनुदान**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.                                  | अनुदान का नाम एवं संख्या   | मूल प्रावधान | वास्तविक व्यय | मूल प्रावधान से बचत | पूरक अनुदान  |
|---|--|--------------|---------------|---------------------|--------------|
| <b>राजस्व दत्तमत</b>                      |  |              |               |                     |              |
| अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण |  |              |               |                     |              |
| 1   | 2801.05.800.80 एमेनेस्टी स्कीमों के लेखों पर बिजली उपभोक्ताओं को एकबार छूट | शून्य        | शून्य         | -                   | 23.00        |
| <b>राजस्व प्रभारित</b>                    |  |              |               |                     |              |
| अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन             |  |              |               |                     |              |
| 2   | 2012.03.090 यू.टी. सचिवालय के प्रशासक                                      | 11.38        | 9.50          | 1.88                | 1.01         |
| <b>पूजीगत दत्तमत</b>                      |  |              |               |                     |              |
| अनुदान सं. 4: वित्त                       |  |              |               |                     |              |
| 3   | 4059.80.800.85.00.51 मोटर वाहन   | 2.50         | 2.04          | 0.46                | 3.31         |
| <b>कुल</b>                                |  |              |               |                     | <b>27.32</b> |

पूरक प्रावधानों के उपयोग न होने के कारण संबंधित विभागों से प्रतीक्षित हैं।

**2.3.7 निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन**

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहाँ बचत प्रत्याशित हो, से एक अन्य इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, अनुदान के भीतर ही निधियों का स्थानान्तरण है। वर्ष 2016-17 के विनियोजन लेखों तथा पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 10 अनुदानों में 50 उपशीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन अनावश्यक थे क्योंकि विभाग अपने वर्तमान अनुदान का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सके और ₹ 278.89 करोड़ के पुनर्विनियोजन की तुलना में ₹ 475.39 करोड़ की राशि उपयोग न होकर संचित हो गई, जैसाकि परिशिष्ट 2.4 में बताया गया है। विभागों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति, अनुदान की कम प्राप्ति, प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति, क्रय प्रस्तावों को कार्यान्वित न किया जाना, रिक्त पद, बिलों पर कार्रवाई नहीं करना एवं कम दावों की प्राप्ति कारण बताए गए। निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ हैं:

- (i) अनुदान सं. 6- 'शिक्षा' के अंतर्गत उप-शीर्ष सर्वशिक्षा अभियान के अधीन भारत सरकार से अधिक राशि की प्राप्ति के कारण ₹ 49.99 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया। हालाँकि, यहाँ ₹ 54.22 करोड़ की अंतिम बचत थी।
- (ii) अनुदान संख्या 7- 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के अंतर्गत दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति

की प्रत्याशा में ₹ 56.99 करोड़ पुनर्विनियोजित हुए थे। हालाँकि, यहाँ ₹ 81.32 करोड़ की अंतिम बचत हुई थी।

- (iii) अनुदान संख्या 8- 'समाज कल्याण' के अंतर्गत पब्लिक स्कूलों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति उप शीर्ष के अंतर्गत योजना की अच्छी प्रगति के कारण ₹ 4.99 करोड़ पुनर्विनियोजित किया गया। हालाँकि, फार्म के सत्यापन की धीमी प्रगति/स्टाफ की कमी के कारण ₹ 25.63 करोड़ की अंतिम बचत हुई थी।
- (iv) अनुदान संख्या 10- 'विकास' के अंतर्गत उप शीर्ष जिला स्थापना के अंतर्गत पुरानी देयताओं के भुगतान की प्रत्याशा में ₹ 3.29 करोड़ पुनर्विनियोजित किया गया। हालाँकि, स्कैनिंग/डिजीटाइजेशन कार्य न किये जाने के कारण ₹ 7.35 करोड़ की अंतिम बचत हुई थी।
- (v) अनुदान संख्या 11- 'शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग' के अंतर्गत डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान उप शीर्ष के अंतर्गत ₹ 11.99 करोड़ पुनर्विनियोजित किये गये। हालाँकि, स्कीम को पूरी तरह से कार्यान्वित न किये जाने के कारण ₹ 12 करोड़ की अंतिम बचत हुई थी।

उपरोक्त निधियों का आधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को इंगित करता है।

### 2.3.8 पर्याप्त अभ्यर्पण

44 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.5) के संबंध में ₹ 2,206.15 करोड़ के (मूल प्रावधान के 10 करोड़ तथा 70 प्रतिशत से अधिक) उल्लेखनीय अभ्यर्पण किए गए, जिनमें से 12 उप-शीर्षों में स्कीमों के गैर-कार्यान्वयन, भा.स. से निधियों की गैर-प्राप्ति, निधि को जारी नहीं किया जाना, स्कीमों की धीमी प्रगति, निविदाओं के गैर-अन्तिमकरण तथा कम अनुदान जारी किये जाने के कारण ₹ 359.40 करोड़ के 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किये गये।

अनुदान संख्या- 6: शिक्षा, अनुदान सं.- 7: चिकित्सा व जनस्वास्थ्य, अनुदान संख्या- 10: विकास एवं अनुदान सं.- 11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण के अन्तर्गत क्रमशः कुल ₹ 136.60 करोड़, ₹ 320.89 करोड़, ₹ 341.63 करोड़ तथा ₹ 1,379.40 करोड़ के अनुदानों का उल्लेखनीय अभ्यर्पण हुआ।

### 2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमों (सा.वि.नि.) का नियम 56(2) बताता है कि प्रावधानों के साथ-साथ बचतों, जिनको लाभपूर्ण ढंग से उपयोग में न लाया जा सके, उनका पूर्वानुमान होते ही वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की संभावना को न्यूनतम करना होता है। वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर प्रत्येक

अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ या अधिक बचत वाले 10 अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 8,835.42 करोड़ की बचतों में से ₹ 3,575.75 करोड़ (बचतों का 40.47 प्रतिशत) की राशि को अभ्यर्पित नहीं किया गया था, जिसके ब्यौरे **परिशिष्ट 2.6** में दिये गये हैं।

### 2.3.10 व्यय का द्रुतप्रवाह

सा.वि.नि. का नियम 56 विशेषतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, व्यय के द्रुतप्रवाह की मनाही करता है और यह निर्धारित करता है कि इसे वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा जिसे दूर किया जाना चाहिए था। इसके विपरीत विभागों द्वारा मार्च 2017 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही में 32 उप शीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय कुल व्यय के 53.75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था, जो कि **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

अंतिम तिमाही में गैर अनुपातिक रूप से अधिक व्यय किए जाने के कारण सरकार से प्रतीक्षित हैं।

### 2.3.11 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

(क) वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 बताता है कि एकमुश्त राशि (वस्तु शीर्ष-42) शीर्ष के अन्तर्गत योजना/उप-योजना/संगठन के संदर्भ में प्रावधान, जो ₹ 10 लाख से अधिक न हो के सन्दर्भ में व्ययों को सम्मिलित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, व्यय के विषयों को अलग से दिया जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 367 मामलों में एकमुश्त प्रावधान ₹ 10 लाख की सीमा से अधिक थे लेकिन व्यय का विवरण नहीं दर्शाया गया था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2017) कि व्यय के उचित वस्तु वर्ग के अन्तर्गत एकमुश्त प्रावधानों के वर्गीकरण के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(ख) वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 के अनुसार वस्तु वर्ग-6 पूंजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल वस्तु शीर्ष, जैसे 51- मोटर वाहन, 52- मशीनरी तथा उपकरण तथा 53- मुख्य निर्माण कार्य आते हैं। हालाँकि, वर्ष 2016-17 के अनुदानों हेतु विस्तृत माँगों की संवीक्षा दर्शाती है कि 74 मामलों में (**परिशिष्ट 2.8**), ₹ 2,814.40 करोड़ की राशि राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में गलत दिखायी गयी थी।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) और कहा कि विस्तृत माँगों के लिए अनुदान 2018-19/संशोधित अनुदान 2017-18 में गलत वर्गीकरण को सही किया जाएगा।

(ग) वर्ष 2016-17 के लिए विनियोजन लेखों तथा अनुदानों की विस्तृत मांगों की संवीक्षा ने दर्शाया कि मानक कोड 99 जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आरक्षित किया गया था, 101 मामलों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। इस शीर्ष में गलत वर्गीकरण के कारण, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दर्शाई गई राशि ₹ 1,705.04 करोड़ से बढ़ गई (परिशिष्ट 2.9)।

#### 2.4 व्यय की कमी के कारण लेखों में समायोजित की गई वसूलियाँ

विधायिका को प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदानों के लिए माँगें जिनमें जमा और वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं, सकल व्यय के लिए होती हैं, जिसे व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित किया जाता है। प्रत्याशित वसूलियों और जमा को बजट आकलनों में पृथक रूप से 'शून्य' दिखाया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान 'शून्य' पूर्वानुमानित वसूलियों के प्रति ₹ 357.42 करोड़ की वास्तविक वसूलियाँ थीं।

#### 2.5 अनुदान सं. 10- विकास की संवीक्षा के निष्कर्ष

वर्ष 2014-17 की अवधि के लिए अनुदान संख्या-10-विकास, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संबंध में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की संवीक्षा सितम्बर 2017 में की गई तथा मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:

- (i) पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, किए गए व्यय तथा बचत की पूरी स्थिति को तालिका 2.5 में दिया गया है:

तालिका 2.5: बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष       | प्रावधान        |                 | किया गया व्यय   |               | बचत             |               |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|            | राजस्व          | पूँजीगत         | राजस्व          | पूँजीगत       | राजस्व          | पूँजीगत       |
| 2014-15    | 1,900.35        | 397.52          | 1,664.98        | 266.28        | 235.37          | 131.24        |
| 2015-16    | 2,205.70        | 568.72          | 2,059.75        | 207.63        | 145.95          | 361.09        |
| 2016-17    | 2,756.22        | 309.47          | 1,598.63        | 222.61        | 1,157.59        | 86.86         |
| <b>कुल</b> | <b>6,862.27</b> | <b>1,275.71</b> | <b>5,323.36</b> | <b>696.52</b> | <b>1,538.91</b> | <b>579.19</b> |

- (ii) अनुदान के तहत पांच मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ या अधिक की लगातार बचतें थीं जोकि अव्यवहारिक बजटिंग, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन को दर्शा रही थीं।
- (iii) अनुदान के सेक्शन-वार विनियोजन लेखों की संवीक्षा यह दिखाती है कि राजस्व दत्तमत सेक्शन में 7 से 42 प्रतिशत की तथा राजस्व भारित सेक्शन में 78 से 100 प्रतिशत की निरंतर बचतें थीं, जबकि पूँजीगत दत्तमत सेक्शन में बचतें कुल अनुदान का 28 से 63 प्रतिशत थीं जो अव्यवहारिक बजटिंग तथा त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रावधानों को इंगित करती हैं।
- (iv) 55 मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि विभाग अपने वास्तविक अनुदान को पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं ला सका,

परिणामस्वरूप 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 28.28 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति इन मामलों में ₹ 44.75 करोड़ की संचित अनुपयोगी राशि थी।

- (v) अनुदान के अंतर्गत 148 उप-शीर्ष में विभाग द्वारा संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। कुल प्रावधान की बचत इस तथ्य को इंगित करते थे कि वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किए बगैर तथा संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं की उचित संवीक्षा किए बगैर आकलन बनाए गए (परिशिष्ट 2.10)।
- (vi) सा.वि.नि. का नियम 56(3) बताता है कि व्यय का द्रुतप्रवाह विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा इसे रोका जाना चाहिए। इसके विपरीत, विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 86 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य खर्च किया गया।

## 2.6 निष्कर्ष

2016-17 के दौरान ₹ 47,429.27 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 37,620.77 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,808.50 करोड़ (20.68 प्रतिशत) की बचत हुई। 2006-07 से 2016-17 की अवधि से संबंधित ₹ 91.05 करोड़ के अधिक व्यय का संविधान की धारा 205 के अंतर्गत नियमितीकरण किया जाना था।

तीन उप-शीर्षों में ₹ 27.32 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था और 50 उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत अविवेकपूर्ण तरीके से जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 475.39 करोड़ के प्रावधान का उपयोग न हो सका/अधिक हो गया। 12 उप-शीर्षों में, ₹ 359.40 करोड़ की राशि का 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित कर दिया गया। 55 मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि विभाग ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अनुदान सं. 10 - विकास के अंतर्गत उनके वास्तविक अनुदान का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया।

## 2.7 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- अधिक व्ययों के नियमितीकरण की गति तीव्र करना;
- बड़ी बचतों और पूरक प्रावधानों से बचने हेतु अधिक व्यावहारिक बजट अनुमानों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए बजटीय प्रक्रिया को उन्नत करना; तथा
- वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता से बचने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित करना।





**अध्याय-3**  
**वित्तीय रिपोर्टिंग**



## अध्याय - 3

### 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ सक्षम आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन की विशेषताओं में से एक है। इस अध्याय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की चर्चा की गई है।

#### 3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब

सा.वि.नि. का नियम 212 प्रावधान करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अन्दर अनुदानग्रहियों से विभागीय अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए। जबकि 31 मार्च 2016 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में, ₹ 7,269.69 करोड़ की समेकित राशि के 3105 उ.प्र. 31 मार्च 2017 तक अनुदानग्रहियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उ.प्र. के प्रस्तुतिकरण में समयवार विलंब का विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है:

**तालिका 3.1: उपयोगिता प्रमाणपत्रों के समयवार बकाया**

| क्र. सं. | विलंब की अवधि (वर्षों की संख्या) | कुल जारी किया गया अनुदान |                    | बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र |                    |
|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|          |                                  | संख्या                   | राशि (₹ करोड़ में) | संख्या                    | राशि (₹ करोड़ में) |
| 1        | 0-2                              | 866                      | 7,476.76           | 188                       | 348.51             |
| 2        | 2-4                              | 450                      | 2,806.92           | 295                       | 2,112.85           |
| 3        | 4-6                              | 270                      | 1,884.09           | 265                       | 1,788.15           |
| 4        | 6-8                              | 225                      | 371.11             | 224                       | 338.19             |
| 5        | 8-10                             | 1008                     | 351.31             | 1008                      | 351.31             |
| 6        | 10 और उससे अधिक                  | 1125                     | 2,330.68           | 1125                      | 2,330.68           |
|          | <b>कुल</b>                       | <b>3944</b>              | <b>15,220.87</b>   | <b>3105</b>               | <b>7,269.69</b>    |

स्रोत: वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचनाओं से संकलित

3105 देय उ.प्र. में से, ₹ 4,939.01 करोड़ के 1980 उ.प्र. (63.77 प्रतिशत) दो से दस वर्षों तक की अवधि से लंबित थे, जबकि ₹ 2,330.68 करोड़ के 1125 उ.प्र. (36.23 प्रतिशत) 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

दिल्ली जल बोर्ड की बकाए में ₹ 1,516.92 करोड़ (20.87 प्रतिशत) की भागीदारी थी। दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि. का भूमि तथा भवन विभाग), दिल्ली विद्युत बोर्ड<sup>1</sup>, तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा आधारभूत संरचना विकास निगम ने शहरी विकास विभाग से प्राप्त अनुदानों के उ.प्र. प्रस्तुत

<sup>1</sup> 1.7.2002 से दिल्ली विद्युत बोर्ड छः अनुषंगी कंपनियों: दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (धारक कंपनी), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, बी.एस.ई.एस राजधानी पावर लिमिटेड-डिस्कॉम, बी.एस.ई.एस यमुना पावर लिमिटेड (बी वाई पी एल)- डिस्कॉम, तथा नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (एन.डी.पी.एल)-डिस्कॉम में विखंडित हो गया।

नहीं किये। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली नगर परिषद तथा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने भी प्राप्त अनुदानों के उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किये।

### 3.2 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

नि.म.ले.प. को दस निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम, 1971 के सेक्शन 19 तथा 20 के अंतर्गत सौंपी गई। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा में लेखे देने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने की स्थिति परिशिष्ट 3.1 में दर्शाई गई है। वर्ष 2015-16 तक दस<sup>2</sup> निकायों/ प्राधिकरणों में से, केवल पाँच<sup>3</sup> निकायों/ प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए।

पाँच निकायों/ प्राधिकरणों के 2015-16 तक बकाया वार्षिक लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में मार्च 2017 तक प्राप्त नहीं हुए। इन बकाया लेखों के विवरण तालिका 3.2 में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: 31 मार्च 2017 को बकाया लेखों के ब्यौरे

| क्र. सं. | इकाई/प्राधिकरण का नाम                           | वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | बकाया लेखों की संख्या |
|----------|---|---|-----------------------|
| 1.       | दिल्ली कल्याण समिति (डीकेएस)                    | 2014-15 तथा 2015-16                     | 2                     |
| 2        | नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एन एस आई टी) | 2015-16                                 | 1                     |
| 3        | दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.)                     | 2012-13 से 2015-16                      | 4                     |
| 4        | दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड | 2014-15 तथा 2015-16                     | 2                     |
| 5        | दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)      | 2010-11 से 2015-16                      | 6                     |

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पाँच निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2015-16 तक के 15 वार्षिक लेखे बकाया थे। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के मामले में छः वार्षिक लेखे 2010-11 से बकाया थे जबकि दिल्ली जल बोर्ड को 2012-13 से 2015-16 तक के अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने शेष थे। दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड तथा दिल्ली कल्याण समिति ने वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 तक के जबकि नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान ने वर्ष 2015-16 के अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए।

### 3.3 दुर्विनियोजन, हानियाँ तथा गबन

31 मार्च 2017 तक ₹ 23.30 लाख की चोरी, सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के 25 मामले कार्रवाई हेतु लंबित थे। लंबित मामलों की आवधिक रुपरेखा

<sup>2</sup> (i) दिल्ली कल्याण समिति (ii) गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (iii) नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (iv) दिल्ली जल बोर्ड (v) दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (vi) दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (vii) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, तथा (viii) अम्बेडकर विश्वविद्यालय (ix) इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तथा (x) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड।

<sup>3</sup> (i) गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (ii) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (iii) दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (iv) अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली तथा (v) इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

तथा प्रत्येक वर्ग में चोरी और दुर्विनियोजन/हानि के लंबित मामलों की संख्या तालिका 3.3 में संक्षेपित की गई है।

**तालिका 3.3: दुर्विनियोजन, हानियाँ, चोरी तथा गबन इत्यादि की रूपरेखा**

| लंबित मामलों की आवधिक रूपरेखा |                  |                           | लंबित मामलों की प्रकृति       |                  |                           |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| अवधि वर्षों में               | मामलों की संख्या | सम्मिलित राशि (₹ लाख में) | मामलों की प्रकृति             | मामलों की संख्या | सम्मिलित राशि (₹ लाख में) |
| 0-5                           | 05               | 12.92                     | चोरी                          | 13               | 0.71                      |
| 5-10                          | 12               | 9.89                      |                               |                  |                           |
| 10-15                         | 06               | 0.06                      | दुर्विनियोजन/ सामग्री की हानि | 12               | 22.59                     |
| 15-20                         | 01               | 0.03                      |                               |                  |                           |
| 20-25                         | 01               | 0.40                      |                               |                  |                           |
| <b>कुल</b>                    | <b>25</b>        | <b>23.30</b>              | <b>कुल लंबित मामले</b>        | <b>25</b>        | <b>23.30</b>              |

इन 25 मामलों में से, नौ मामले अस्पतालों से, सात मामले शिक्षा विभाग से तथा चार मामले दिल्ली जल बोर्ड से हैं।

### 3.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान 12 व्यक्तिगत जमा खाते महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रचालित किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2017 को इन 12 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 49.86 करोड़ की राशि बकाया थी।

### 3.5 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए सार आकस्मिक (सा.आ.) बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था।

दस्तावेजों की जाँच से ज्ञात हुआ कि ₹ 1,129.18 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 697.60 करोड़ (61.78 प्रतिशत) की कुल राशि के वि.प्र.आ. प्राप्त हुए। जिस कारण 31 मार्च 2017 तक ₹ 431.58 करोड़ के सा.आ. बिल बकाया थे। वर्षवार विवरण तालिका 3.4 में दिया गया है।

**तालिका 3.4: सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति में विलंब**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष       | सा.आ. बिलों की राशि | वि.प्र.आ. बिलों की राशि | सा.आ. बिलों की प्रतिशतता में वि.प्र.आ. बिल | बकाया सा.आ. बिल |
|------------|---------------------|-------------------------|--|-----------------|
| 2011-12 तक | 131.95              | 29.61                   | 22.44                                      | 102.34          |
| 2012-13    | 62.83               | 22.40                   | 35.65                                      | 40.43           |
| 2013-14    | 41.03               | 11.45                   | 27.91                                      | 29.58           |
| 2014-15    | 83.90               | 36.10                   | 43.03                                      | 47.80           |
| 2015-16    | 278.70              | 211.43                  | 75.86                                      | 67.27           |
| 2016-17    | 530.77              | 386.61                  | 72.84                                      | 144.16          |
| <b>कुल</b> | <b>1,129.18</b>     | <b>697.60</b>           | <b>61.78</b>                               | <b>431.58</b>   |

जैसाकि तालिका में देखा जा सकता है, पाँच वर्षों से अधिक अवधि के सा.आ. बिल बकाया थे। यद्यपि, 2016-17 में पिछले वर्ष से वि.प्र.आ. बिलों के द्वारा सा.आ. बिलों का समायोजन 75.86 प्रतिशत से घट कर 72.84 प्रतिशत हो गया। विभिन्न विभागों द्वारा वि.आ. बिलों के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आहरित निधि उपयोग में लाई गई जिसके लिये यह आहरित की गयी थी। इस प्रकार, विस्तृत आकस्मिक बिलों के अभाव में निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सका था और वास्तव में यह संभावना वि.प्र.आ. बिलों की अनुपस्थिति में और बढ़ी थी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2017) कि बकाया शेषों को समाप्त करने के काफी प्रयास किये जा रहे हैं। यद्यपि तथ्य यह है कि सा.आ. बिलों के समायोजन के लिए बहुत से शेष बकाया रखे हैं।

### 3.6 उचंत शेष

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई पृथक खाता नहीं है तथा ऋण, जमा, अग्रिमों, प्रेषण तथा उचंत खातों से संबंधित लेन-देनों के लेखों को संघ सरकार के लोक खाते में जोड़ दिया जाता है। ऐसे सभी लेन-देनों का अन्त में निवारण या तो नकद रूप में वसूली के भुगतान अथवा खाता समायोजन द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में इन्हें मुख्य शीर्ष-‘8658-उचंत खाता’ में दर्ज किया जाता है जिनकी समीक्षा कर मासिक समाशोधन विवरणों की प्रणाली के माध्यम से आवधिक निपटान अपेक्षित है।

इस प्रक्रिया के होने के बावजूद, यह देखा गया कि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए लोक खातों (केन्द्रीय) में लेन-देनों में 31 मार्च 2017 तक ₹ 198.56 करोड़ के बकाया शेष दिखाए गए जैसाकि तालिका 3.5 में दिया गया है:

तालिका 3.5: उचंत शीर्षों के अन्तर्गत राशि

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | अथशेष    | निवल योग(+)/निपटान(-) | अंतशेष           |
|---------|----------|-----------------------|------------------|
| 2012-13 | 215.62   | (+) 58.16             | 273.78 (डेबिट)   |
| 2013-14 | 273.78   | (+) 877.87            | 1,151.65 (डेबिट) |
| 2014-15 | 1,151.65 | (-) 896.89            | 254.76 (डेबिट)   |
| 2015-16 | 254.76   | (-) 46.96             | 207.80 (डेबिट)   |
| 2016-17 | 207.80   | (-) 9.24              | 198.56 (डेबिट)   |

31 मार्च 2017 तक एम एच 8658-उचंत के अंतर्गत शेषों (लघु शीर्षवार) का

विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

**तालिका 3.6: एम एच 8658-उचंत के अंतर्गत शेष**

(₹ करोड़ में)

| लघु लेखा शीर्षों के नाम                             | धनराशि                |
|---|-----------------------|
| वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत खाता (101)              | 24.50 (डेबिट)         |
| नकद परिशोधन उचंत खाता (सी एस एस ए) (107)            | 177.49 (डेबिट)        |
| भविष्य निधि उचंत खाता (113)                         | 0.09 (डेबिट)          |
| सामग्री क्रय भुगतान उचंत खाता (एम पी एस एस ए) (129) | 11.75 (क्रेडिट)       |
| सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत खाता (108)              | 8.33 (डेबिट)          |
| उचंत खाता (सिविल) (102)                             | 0.10 (क्रेडिट)        |
| <b>कुल</b>  | <b>198.56 (डेबिट)</b> |

सरकार ने कहा (नवम्बर 2017) कि मुख्य शीर्ष 8658 एम.पी.एस.एस.ए. तथा सी.एस.एस.ए. का प्रचालन 2014-15 से रोक दिया गया है तथा संबंधित विभागों के विद्यमान शेषों के निपटान के लिए सुझाव दिया गया है कि वह परिसमापन के लिए प्रयत्न करें।

**3.7 मुख्य शीर्ष-7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष**

रा.रा.क्षे. दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि विवरणी सं. 16 (सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की विस्तृत विवरणी) में बिना कोई स्पष्टीकरण दिये हुए ऋण तथा अग्रिमों के ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष थे जैसाकि तालिका 3.7 में वर्णित है।

**तालिका 3.7: ऋण तथा भुगतानों का ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष**

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष   | विवरण  | 31.03.2017 को शेष |
|----------|---------------|--|-------------------|
| 1        | विवरणी सं. 16 | 6401- कृषि कार्य के लिए ऋण<br>105- खाद तथा उर्वरक                    | (-)90.08          |
| 2        |               | 7610- सरकारी-सेवकों को ऋण<br>201-गृह निर्माण अग्रिम                  | (-)628.76         |
| 3        |               | 7610- सरकारी-सेवकों को ऋण<br>202-मोटर वाहन खरीदने के लिए अग्रिम      | (-)201.98         |
| 4        |               | 7610- सरकारी-सेवकों को ऋण<br>203-अन्य वाहनों को खरीदने के लिए अग्रिम | (-)21.89          |
| 5        |               | 7610- सरकारी-सेवकों को ऋण<br>203- कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम      | (-)153.10         |

सरकार ने कहा (सितम्बर 2017) कि मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष का संबंध केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों के के.लो.नि.वि. कार्मिकों द्वारा लिए गए ऋणों से है, जिनकी वसूली लो.नि.वि, रा.रा.क्षे.दि.स. में उनकी कार्यावधि के दौरान ही की जाएगी। मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत वसूलियों को भी प्राप्ति में क्रेडिट किया गया था। इन वसूलियों को केन्द्र सरकार में उन



कर्मचारियों के स्थानान्तरण के समय केन्द्र सरकार के विभाग के पी.ए.ओ. को स्थानान्तरित कर दिया गया था। इस प्रकार, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकारी विभाग के पी.ए.ओ. को स्थानान्तरित की गई राशि से प्राप्तियाँ अधिक होगी जिसके परिणामस्वरूप लेखों में प्रतिकूल शेष हो जाता है। इसके अतिरिक्त, विद्यमान प्रतिकूल शेषों का पुनरीक्षण वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाना चाहिए तथा उपयुक्त सुझाव दिये जाने चाहिए।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय/विभागों में के.लो.नि.वि. के कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में वसूलियाँ तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के लो.नि.वि. में उनकी समयावधि के दौरान की जाने वाली वसूली को केन्द्र सरकार के पी.ए.ओ. को साथ-साथ स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था। यह रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा भा.स. की धनराशि के अवरोधन के समान है।

### 3.8 लेखों का गलत वर्गीकरण

#### विविध लघु शीर्ष-800 का प्रचालन

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' और '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग तभी करना चाहिए जब लेखों में उचित लघु शीर्ष न दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित प्रचालन से बचना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

2016-17 के दौरान 21 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 167.49 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 161.01 करोड़ (96.13 प्रतिशत) की प्राप्तियाँ लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत की गईं तथा लेखों के 23 मुख्य शीर्षों में ₹ 9,304.77 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,869.48 करोड़ (73.83 प्रतिशत) के व्यय का वर्गीकरण लेखों के लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत किया गया था।

विविध लघु शीर्ष-'800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्रचुर राशि को वर्गीकृत किए जाने से वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता प्रभावित होती है।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2017) कि वित्त विभाग इन मामलों की जाँच करेगा तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

### 3.9 निष्कर्ष

विभिन्न अनुदानप्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में उल्लेखनीय देरी थी तथा इसके परिणामस्वरूप अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ₹ 4,939.01 करोड़ (63.77 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण पत्र दो से 10 वर्षों से बकाया थे जबकि 36.23 प्रतिशत, ₹ 2,330.68 करोड़ 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। 10 निकायों/प्राधिकरणों में से, पाँच निकायों/प्राधिकरणों के 15 वार्षिक लेखे

2015-16 तक के बकाया थे जो मार्च 2017 तक प्राप्त नहीं हुए थे। 31 मार्च 2017 तक ₹ 23.30 लाख के जनधन के दुर्विनियोजन, हानि तथा चोरी के 25 मामले कार्रवाई हेतु लंबित थे। 31 मार्च 2017 को ₹ 1,129.18 करोड़ की राशि के प्रति ₹ 431.58 करोड़ के सा.आ. बिल पाँच से अधिक वर्षों से बकाया थे। विविध लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अंतर्गत बड़ी राशि के वर्गीकरण से वित्तीय रिपोर्टिंग का उचित एवं निष्पक्ष रूप प्रभावित होता है तथा ठोस निर्णय करने में लेखों की पारदर्शिता को अस्पष्ट करता है।


### 3.10 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि उ.प्र. की समय से प्रस्तुति पर निगरानी रखी जा सके तथा पहले के अनुदानों के उ.प्र. की प्राप्ति के बाद ही आगे अनुदान जारी किए जाए;
- निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति को तीव्र करने के लिए किसी प्रणाली को अपनाना; तथा
- उच्चतम शीर्ष का तुरंत निपटान तथा उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत उनका वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतु आवधिक समीक्षा किया जाना।


प्रतिवेदन में शामिल उपरोक्त बिंदुओं को सरकार को जारी किया गया (दिसंबर 2017), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2017)।

नई दिल्ली  
दिनांक: 14 मार्च 2018

  
(सुशील कुमार जायसवाल)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 16 मार्च 2018

  
(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



परिशिष्ट 1.1

रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा

| ए. सामान्य आँकड़े |  |   |                                  |                      |        |
|-------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|--------|
| क्र.सं.           | विवरण  |   | आँकड़े                           |                      |        |
| 1                 | क्षेत्रफल  |   | 1483 वर्ग किमी                   |                      |        |
| 2                 | जनसंख्या   |   |                                  |                      |        |
|                   | ए.   | 2001 की जनगणना के अनुसार  | 1.39 करोड़                       |                      |        |
|                   | बी.  | 2011 की जनगणना के अनुसार  | 1.68 करोड़                       |                      |        |
| 3.                | ए.   | जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार)<br>(सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)  | 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.    |                      |        |
|                   | बी.  | जनसंख्या घनत्व (2011 के अनुसार)<br>(संपूर्ण भारत का घनत्व = 382 * व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.) | 11320 * व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. |                      |        |
| 4                 | गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल)<br>(अखिल भारतीय औसत = 21.9 ** प्रतिशत)                                |   | उ.न.                             |                      |        |
| 5.                | ए.   | साक्षरता(2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)                         | 81.67 प्रतिशत                    |                      |        |
|                   | बी.  | साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 *** प्रतिशत)                    | 86.21 प्रतिशत                    |                      |        |
| 6.                | बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर).<br>(अखिल भारतीय औसत **** = 37 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर) |   | 21.35 ***                        |                      |        |
| 7.                | जन्म पर जीवन प्रत्याशा ***** (2011-15) (अखिल भारतीय औसत = 68.3 वर्ष)   |   | उ.न.                             |                      |        |
| 8.                | गिनी गुणांक *****  |   |                                  |                      |        |
|                   | ए.   | ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.29)   | 0.25                             |                      |        |
|                   | बी.  | शहरी. (अखिल भारतीय = 0.38)  | 0.35                             |                      |        |
| 9.                | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2016-17 वर्तमान मूल्य पर  |   | ₹ 6,22,384.64 करोड़              |                      |        |
| 10.               | प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ***** मि.वा.वृ.द्ध. (2007-08 से 2016-17)   |   | दिल्ली                           | 14.03 प्रतिशत        |        |
|                   |  |   | सामान्य श्रेणी के राज्य          | 13.20 प्रतिशत        |        |
| 11.               | स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध ***** (2007-08 से 2016-17)  |   | दिल्ली                           | 16.46 प्रतिशत        |        |
|                   |  |   | सामान्य श्रेणी के राज्य          | 14.60 प्रतिशत        |        |
| बी वित्तीय आंकड़े |  |   |                                  |                      |        |
| विवरण             |  | आँकड़े (प्रतिशत में)  |                                  |                      |        |
| मि.वा.वृ.द्ध      |  | 2007-08 से 2015-16  | 2007-08 से 2016-17               | 2015-16 से 2016-17   |        |
|                   |  | सामान्य श्रेणी राज्य  | दिल्ली                           | सामान्य श्रेणी राज्य | दिल्ली |
| ए.                | राजस्व प्राप्ति का   | 14.58   | 9.71                             | 11.52                | -1.87  |
| बी.               | स्वयं के कर राजस्व का  | 14.80   | 11.40                            | 13.50                | 3.03   |
| सी.               | गैर कर राजस्व का   | 9.45  | -15.94                           | 12.10                | -26.14 |
| डी.               | कुल व्यय का  | 15.84   | 8.43                             | 15.31                | 5.51   |
| ई.                | पूँजीगत व्यय का  | 14.53   | -0.03                            | 17.91                | -20.52 |
| एफ.               | शिक्षा पर राजस्व व्यय का   | 16.86   | 15.17                            | 9.86                 | 15.44  |
| जी.               | स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का  | 18.43   | 13.66                            | 14.92                | 12.48  |

\* सेसंसइंफो इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग

\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खंड-II, पृष्ठ क 154

\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खंड-II, पृष्ठ क 149

\*\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खंड-II, पृष्ठ क 156

\*\*\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (अगस्त 2017), खंड-II, पृष्ठ क 146

\*\*\*\*\* [http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data\\_2312/DatabookDec2014%20106.pdf](http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf)

\*\*\*\*\* भारत एवं राज्यों की जनसंख्या अनुमान 2001-2026 (दिसम्बर 2006 में संशोधित), राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, तालिका-14,

\*\*\*\*\* एमओएसपीआई द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए 1 अगस्त, 2017 को जारी स.रा.घ.उ. विवरणी। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य के संबंध में स.रा.घ.उ. आँकड़ें संबंधित महालेखाकारों से प्राप्त हुए हैं।

परिशिष्ट 1.2

भाग ए: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट  
(पैराग्राफ 1.1 को देखें)

**सरकारी लेखों की संरचना:** राज्य सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं- (i) समेकित निधि तथा (ii) आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। लेन-देनों से संबंधित ऋण (लघु बचत योजनाओं के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषणों तथा उचंतों को संघ सरकार के लोक लेखा में मिला दिए जाते हैं।

**भाग I: समेकित निधि:** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान की धारा 266(1) के अंतर्गत की गई।

**भाग II: आकस्मिक निधि:** राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान की धारा 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसके बाद आकस्मिक निधि से प्राप्त अग्रिम से निधि को पूरा किया जाता है।

भाग बी: वित्तीय लेखों का ले आउट

| विवरण       | ले आउट   |
|-------------|--|
| विवरण सं.1  | राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि |
| विवरण सं.2  | वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय को दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय की संक्षिप्त विवरणी  |
| विवरण सं.3  | राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें भारत सरकार से उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित है।   |
| विवरण सं.4  | वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया वसूलियों इत्यादि का सारांश।                                 |
| विवरण सं.5  | रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का सारांश   |
| विवरण सं.6  | वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश   |
| विवरण सं.7  | वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय  |
| विवरण सं.8  | वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण  |
| विवरण सं.9  | लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा  |
| विवरण सं.10 | वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्षों के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूँजीगत व्यय के लेखे                                |
| विवरण सं.11 | वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय   |
| विवरण सं.12 | वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण  |
| विवरण सं.13 | वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों से बाहर) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।                          |
| विवरण सं.14 | ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।  |
| विवरण सं.15 | सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा  |
| विवरण सं.16 | सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा  |

**राजकोषीय संचय की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चयनित पदों की परिभाषा नीचे दी गई है :**

| पद  | गणना का आधार   |
|---|--|
| एक पैरामीटर की उत्प्लावकता  | पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि  |
| अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में एक पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता | पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर   |
| वृद्धि की दर (वृ.द.)  | $[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1]*100$   |
| विकास व्यय  | सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ   |
| राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज                              | $\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएँ})/2]*100$  |
| बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज                      | $\text{ब्याज प्राप्ति}/[(\text{अथशेष}+\text{ऋणों और अग्रिमों का अंतशेष})/2]*100$   |
| राजस्व घाटा   | राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय  |
| राजकोषीय घाटा   | राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूंजीगत प्राप्ति   |
| प्राथमिक घाटा   | राजकोषीय घाटा + ब्याज का भुगतान  |
| वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.शे.)                                    | राजस्व प्राप्ति घटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048- ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत रिकॉर्ड खर्चों के अलावा |



**परिशिष्ट 1.3**  
**रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय सारणी आँकड़े**  
**(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

|  | 2012-13   | 2013-14   | 2014-15   | 2015-16   | 2016-17   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>पार्ट ए: प्राप्तियाँ</b>                                |           |           |           |           |           |
| 1. राजस्व प्राप्तियाँ                                      | 25,560.97 | 27,980.69 | 29,584.59 | 34,998.85 | 34,345.74 |
| (i) कर राजस्व  | 23,431.52 | 25,918.69 | 26,603.90 | 30,225.16 | 31,139.89 |
| कृषि आय पर कर  | -         | -         | -         | -         | -         |
| बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर                              | 15,803.69 | 17,925.71 | 18,289.31 | 20,245.82 | 21,144.24 |
| राज्य उत्पाद शुल्क   | 2,869.74  | 3,151.63  | 3,422.39  | 4,237.69  | 4,251.40  |
| वाहनों पर शुल्क  | 1,240.18  | 1,409.28  | 1,558.83  | 1,607.01  | 1,808.78  |
| स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क                                    | 3,098.06  | 2,969.07  | 2,779.88  | 3,433.60  | 3,143.93  |
| भूमि राजस्व  | 0.01      | 0.01      | 61.79     | 0.51      | 2.01      |
| माल और यात्रियों पर कर                                     | -         | -         | -         | -         | -         |
| अन्य कर  | 419.84    | 463.00    | 491.70    | 700.53    | 789.53    |
| (ii) गैर कर राजस्व   | 626.93    | 659.14    | 632.54    | 515.40    | 380.69    |
| (iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश                     | -         | -         | -         | -         | -         |
| (iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान                           | 1,502.52  | 1,402.86  | 2,348.14  | 4,258.29  | 2,825.16  |
| 2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ                               | -         | -         | -         | -         | -         |
| 3. ऋणों व अग्रिमों की वसूली                                | 724.90    | 802.92    | 227.61    | 83.41     | 212.50    |
| 4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)         | 26,285.87 | 28,783.60 | 29,812.20 | 35,082.26 | 34,558.24 |
| 5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ                                | 922.41    | 4,162.89  | 1,764.32  | 2,241.13  | 1,695.53  |
| आन्तरिक ऋण (पूर्वपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त) | -         | -         | -         | -         | -         |
| पूर्वपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन    | -         | -         | -         | -         | -         |
| भारत सरकार से ऋण व अग्रिम                                  | 922.41    | 4,162.89  | 1,764.32  | 2,241.13  | 1,695.53  |
| 6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)                    | 27,208.28 | 32,946.49 | 31,576.52 | 37,323.39 | 36,253.77 |
| 7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ                                | -         | -         | -         | 10.00     | -         |
| 8. सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ                              | -         | -         | -         | -         | -         |
| 9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)                        | 27,208.28 | 32,946.49 | 31,576.52 | 37,333.39 | 36,253.77 |
| <b>पार्ट बी. व्यय/संवितरण</b>                              |           |           |           |           |           |
| 10. राजस्व व्यय  | 20,659.36 | 22,366.52 | 23,509.49 | 26,342.55 | 29,301.92 |
| योजनागत  | 6,498.72  | 7,462.28  | 7,946.30  | 8,379.32  | 8,716.59  |
| गैर योजनागत  | 14,160.64 | 14,904.24 | 15,563.19 | 17,963.23 | 20,585.33 |
| सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)                       | 5,738.57  | 5,597.48  | 5,983.40  | 6,427.12  | 6,590.28  |
| सामाजिक सेवाएँ   | 11,737.43 | 12,314.54 | 13,306.11 | 14,817.83 | 16,578.89 |

|   |             |             |             |             |              |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| आर्थिक सेवाएँ   | 2,350.82    | 3,650.01    | 3,318.99    | 4,138.71    | 5,111.41     |
| सहायता अनुदान और योगदान                                   | 832.53      | 804.50      | 900.99      | 958.89      | 1,021.34     |
| 11. पूंजीगत व्यय  | 4,176.63    | 4,707.42    | 4,403.94    | 4,723.47    | 3,754.30     |
| योजनागत   | 4,171.74    | 4,702.93    | 4,399.12    | 4,712.43    | 3,745.52     |
| गैर योजनागत   | 4.90        | 4.49        | 4.82        | 11.04       | 8.78         |
| सामान्य सेवाएँ  | 196.88      | 265.48      | 371.10      | 377.66      | 350.21       |
| सामाजिक सेवाएँ  | 1,100.95    | 1,542.54    | 1,330.11    | 1,699.15    | 2,130.04     |
| आर्थिक सेवाएँ   | 2,878.81    | 2,899.41    | 2,702.73    | 2,646.66    | 1,274.05     |
| 12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण                          | 3,734.83    | 5,652.37    | 1,679.94    | 2,684.32    | 2,552.52     |
| 13. कुल व्यय (10+11+12)                                   | 28,570.82   | 32,726.31   | 29,593.37   | 33,750.34   | 35,608.74    |
| 14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान                           | 1,287.99    | 1,325.29    | 1,346.72    | 1,435.17    | 1,654.62     |
| आंतरिक ऋण (पूर्वपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त) | -           | -           | -           | -           | -            |
| पूर्वपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन   | -           | -           | -           | -           | -            |
| भारत सरकार से ऋण व अग्रिम                                 | 1,287.99    | 1,325.29    | 1,346.72    | 1,435.17    | 1,654.62     |
| 15. आकस्मिक निधि से विनियोजन                              | -           | -           | -           | 10.00       | -            |
| 16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)                 | 29,858.81   | 34,051.60   | 30,940.10   | 35,195.51   | 37,263.36    |
| 17. आकस्मिक निधि से संवितरण                               | -           | -           | -           | -           | -            |
| 18. सार्वजनिक खाता से संवितरण                             | -           | -           | -           | -           | -            |
| 19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)                   | 29,858.81   | 34,051.60   | 30,940.10   | 35,195.51   | 37,263.36    |
| <b>पार्ट सी. घाटा</b>                                     |             |             |             |             |              |
| 20. राजस्व घाटा(-)/ राजस्व आधिक्य (+)(1-10)               | (+)4,901.61 | (+)5,614.17 | (+)6,075.10 | (+)8,656.30 | (+) 5,043.82 |
| 21. राजकोषीय घाटा(-)/ राजकोषीय आधिक्य(+)(4-13)            | (-)2,284.95 | (-)3,942.71 | (+)218.83   | (+)1,331.92 | (-)1,050.50  |
| 22. प्राथमिक घाटा (21+23)                                 | (+)577.93   | (-)1,118.42 | (+)2,992.83 | (+)4,141.73 | (+)1,832.02  |
| <b>पार्ट डी. अन्य आँकड़े</b>                              |             |             |             |             |              |
| 23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)               | 2,862.88    | 2,824.29    | 2,774.00    | 2,809.81    | 2,882.52     |
| 24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता             | -           | -           | -           | -           | -            |
| 25. पूर्वपाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)         | -           | -           | -           | -           | -            |
| उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वपाय (दिन)                        | -           | -           | -           | -           | -            |
| उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)                             | -           | -           | -           | -           | -            |
| 26. पूर्वपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज                   | -           | -           | -           | -           | -            |

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|  |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@            | 3,91,238.43 | 4,43,782.79 | 4,92,424.22 | 5,51,963.41 | 6,22,384.64 |
| 28. बकाया राजकोषीय देयताएँ                         | 29,242.71   | 32,080.32   | 32,497.91   | 33,303.87   | 33,344.78   |
| 29. बकाया गारंटियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित) | -           | -           | -           | -           | -           |
| 30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)     | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>पार्ट ई. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक</b>          |             |             |             |             |             |
| <b>I संसाधन गतिशीलता</b>                           |             |             |             |             |             |
| निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.                           | 5.99        | 5.84        | 5.40        | 5.48        | 5.00        |
| निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.                       | 0.16        | 0.15        | 0.13        | 0.09        | 0.06        |
| <b>II व्यय प्रबंधन</b>                             |             |             |             |             |             |
| कुल व्यय/स.रा.घ.उ.                                 | 7.30        | 7.37        | 6.01        | 6.11        | 5.72        |
| कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ                        | 111.78      | 116.96      | 100.03      | 96.43       | 103.68      |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय                               | 72.31       | 68.34       | 79.44       | 78.05       | 82.29       |
| सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय                    | 50.23       | 46.60       | 53.85       | 51.92       | 54.68       |
| आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय                     | 22.58       | 32.26       | 21.48       | 23.33       | 21.25       |
| पूँजीगत व्यय/कुल व्यय                              | 14.62       | 14.38       | 14.88       | 14.00       | 10.54       |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय | 13.93       | 13.57       | 13.63       | 12.88       | 9.56        |
| <b>III राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन</b>            |             |             |             |             |             |
| राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.                     | (+)1.25     | (+)1.27     | (+)1.23     | (+)1.57     | (+)0.81     |
| राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ.                          | (-)0.58     | (-)0.89     | (+)0.04     | (+)0.24     | (-)0.17     |
| प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ स.रा.घ.उ.                  | (+) 0.15    | (-)0.25     | (+)0.61     | (+)0.75     | (+)0.29     |
| <b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन</b>              |             |             |             |             |             |
| राजकोषीय देयताएँ/ स.रा.घ.उ.                        | 7.47        | 7.23        | 6.60        | 6.03        | 5.36        |
| राजकोषीय देयताएँ/आर आर                             | 114.40      | 114.65      | 109.85      | 95.16       | 97.09       |
| प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा        | 47.84       | -90.65      | 393.72      | 358.92      | 133.89      |
| ऋण मुक्ति (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक</b>            |             |             |             |             |             |
| निवेश पर वापसी                                     | 0.16        | 0.07        | 0.07        | 0.07        | 0.06        |
| चालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)           | 10,231.39   | 12,000.50   | 12,001.21   | 15,682.35   | 12,053.98   |
| वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ                     | 97.88       | 99.14       | 98.60       | 96.90       | 97.85       |

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।

**परिशिष्ट 1.4**  
**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ**  
**(पैराग्राफ 1.5 को देखें)**

| वर्ष                                    | 2012-13<br>(आर) | 2013-14<br>(आर) | 2014-15<br>(प्रथम आरई) | 2015-16<br>(प्रथम आरई) | 2016-17<br>(एई) |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद<br>(₹ करोड़ में) | 3,91,238.43     | 4,43,782.79     | 4,92,424.22            | 5,51,963.41            | 6,22,384.64     |
| स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर<br>(प्रतिशत)     | 13.81           | 13.43           | 10.96                  | 12.09                  | 12.76           |

स्त्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

(आर)- संशोधित आकलन, (प्रथम आरई) - प्रथम संशोधित आकलन, (एई) - अग्रिम आकलन

| वर्ष                                      | 2012-13<br>(आर) | 2013-14<br>(आर) | 2014-15<br>(प्रथम आरई) | 2015-16<br>(प्रथम आरई) | 2016-17<br>(एई) |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| भारत का सकल घरेलू उत्पाद<br>(₹ करोड़ में) | 99,46,636       | 1,12,36,635     | 1,24,33,749            | 1,36,75,331            | 1,52,51,028     |
| स.घ.उ. की वृद्धि दर<br>(प्रतिशत)          | 13.86           | 12.97           | 10.65                  | 9.99                   | 11.52           |

स्त्रोत: 08 अगस्त 2017 को सी.एस.ओ. की वेबसाइट पर

परिशिष्ट 1.5

भाग ए : वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार  
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

| खण्ड क : राजस्व |  |           | संवितरण   |   |                |          |           |
|-----------------|--|-----------|-----------|---|----------------|----------|-----------|
| प्राप्ति        |  |           | संवितरण   |   |                |          |           |
| 2015-16         |  | 2016-17   | 2015-16   |   | 2016-17        |          |           |
|                 |  |           |           |   | गैर<br>योजनागत | योजनागत  | कुल       |
| 34,998.85       | I. राजस्व प्राप्ति   | 34,345.74 | 26,342.55 | I. राजस्व व्यय  | 20,585.32      | 8,716.60 | 29,301.92 |
| 30,225.16       | कर राजस्व  | 31,139.89 | 6,427.12  | सामान्य सेवाएं  | 6,327.40       | 262.88   | 6,590.28  |
|                 |  |           | 14,817.83 | सामाजिक सेवाएं  | 8,915.57       | 7,663.32 | 16,578.89 |
| 515.40          | गैर-कर राजस्व  | 380.69    | 6,652.63  | शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति                               | 5,627.52       | 2,052.44 | 7,679.96  |
|                 |  |           | 3,248.62  | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण                                     | 1,956.33       | 1,697.73 | 3,654.06  |
|                 | संघीय करों में राज्यों का अंश                                  | -         | 2,550.39  | जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास                        | 942.79         | 2,161.43 | 3,104.22  |
|                 |  |           | 85.92     | सूचना एवं प्रसारण   | 71.15          | 0        | 71.15     |
| 2,905.02        | गैर-योजनागत अनुदान   | 1,118.71  | 251.83    | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 14.38          | 88.18    | 102.56    |
| 486.72          | राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान                         | 550.17    | 116.79    | श्रम एवं श्रमिक कल्याण  | 112.15         | 11.42    | 123.57    |
|                 |  |           | 1,901.10  | समाज कल्याण एवं पोषण  | 180.72         | 1,651.74 | 1,832.46  |
| 866.55          | केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान | 1156.28   | 10.55     | अन्य  | 10.53          | 0.38     | 10.91     |
|                 |  |           | 4,138.71  | आर्थिक सेवाएं-  | 4,321.01       | 790.40   | 5,111.41  |
|                 |  |           | 93.03     | कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ                                 | 110.22         | 8.50     | 118.72    |
|                 |  |           | 10.24     | ग्रामीण विकास   | 8.09           | 2.36     | 10.45     |
|                 |  |           | -         | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम   | -              | -        | -         |
|                 |  |           | 151.25    | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण  | 166.84         | 0.30     | 167.14    |
|                 |  |           | 1,638.85  | ऊर्जा   | 1,765.80       | 0.61     | 1,766.41  |
|                 |  |           | 39.71     | उद्योग एवं खनिज   | 10.79          | 6.70     | 17.49     |
|                 |  |           | 2,042.21  | परिवहन  | 2,096.57       | 744.99   | 2,841.56  |
|                 |  |           | 11.92     | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण                              | 2.16           | 8.83     | 10.99     |
|                 |  |           | 151.50    | सामान्य आर्थिक सेवाएं   | 160.54         | 18.11    | 178.65    |
|                 |  |           | 958.89    | सहायता अनुदान एवं योगदान  | 1,021.34       | -        | 1,021.34  |
|                 |  |           | 26,342.55 | कुल   | 20,585.32      | 8,716.60 | 29,301.92 |
|                 | II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना                       |           | 8,656.30  | II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना                       | -              | -        | 5,043.82  |
| 34,998.85       | कुल  | 34,345.74 | 34,998.85 | कुल   |                |          | 34,345.74 |

| खण्ड-ब : पूँजीगत एवं अन्य |   |          |          |   |         |          |          |
|---------------------------|---|----------|----------|---|---------|----------|----------|
| 2015-16                   | प्राप्ति  |          | संवितरण  |   |         |          |          |
|                           | 2016-17   | 2015-16  | 2016-17  | गैर योजनागत   | 2016-17 |          |          |
|                           |   |          |          |   | योजनागत | कुल      |          |
| 1,517.07                  | III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष | 3,654.94 |          | III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट                    |         |          |          |
|                           | IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ                               |          |          | IV. पूँजीगत रूपरेखा   |         |          |          |
|                           |   |          | 377.66   | सामान्य सेवाएं-   | 7.88    | 342.33   | 350.21   |
|                           |   |          | 1,699.15 | सामाजिक सेवाएं-   | 0.13    | 2,129.91 | 2,130.04 |
|                           |   |          | 1013.26  | शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति                               | 0       | 1339.27  | 1339.27  |
|                           |   |          | 385.66   | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण                                     | 0.13    | 376.81   | 376.94   |
|                           |   |          | 231.36   | जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास                        | 0       | 346.70   | 346.70   |
|                           |   |          |          | सूचना एवं प्रसारण   | -       | -        | -        |
|                           |   |          | 34.63    | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण | 0       | 25.75    | 25.75    |
|                           |   |          | 14.70    | समाज कल्याण एवं पोषण  | 0       | 27.90    | 27.90    |
|                           |   |          | 19.54    | अन्य  | 0       | 13.48    | 13.48    |
|                           |   |          | 2,646.66 | आर्थिक सेवाएं-  | 0.77    | 1,273.28 | 1,274.05 |
|                           |   |          | 18.19    | कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ                                 | 0       | 17.31    | 17.31    |
|                           |   |          | 103.60   | ग्रामीण विकास   | 0       | 127.90   | 127.90   |
|                           |   |          | -        | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम   | -       | -        | -        |
|                           |   |          | 52.19    | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण  | 0.77    | 59.00    | 59.77    |
|                           |   |          | 12.98    | ऊर्जा   | 0       | 17.07    | 17.07    |
|                           |   |          | 30.00    | उद्योग एवं खनिज   | -       | -        | -        |
|                           |   |          | 2,428.75 | परिवहन  | 0       | 1,051.07 | 1,051.07 |
|                           |   |          | 0.95     | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण                              | 0       | 0.93     | 0.93     |
|                           |   |          | -        | सामान्य आर्थिक सेवाएं   | -       | -        | -        |
|                           |   |          | 4,723.47 | कुल   | 8.78    | 3,745.52 | 3,754.30 |
| 83.41                     | V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-                                | 212.50   | 2,684.32 | V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम                                       | -       | -        | 2,552.52 |
|                           | पॉवर परियोजनाओं से  |          | 470.00   | पॉवर परियोजनाओं के लिए  | -       | -        | 469.98   |

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|           |   |           |           |   |   |   |           |
|-----------|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
|           | सरकारी सेवकों से                                      |           | 0.47      | सरकारी सेवकों को                                      | - | - | 0.08      |
|           | अन्यों से   |           | 2,213.85  | अन्यों का   | - | - | 2,082.46  |
|           | VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया                         |           |           | VI. राजस्व घाटा कम किया गया                           |   |   |           |
| 2,241.13  | VII. लोक ऋण प्राप्ति-                                 | 1,695.53  | 1,435.18  | VII. लोक ऋण की पुनर्दायगी                             | - | - | 1,654.62  |
| -         | बाह्य ऋण  | -         | -         | बाह्य ऋण  | - | - | -         |
| -         | पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण | -         | -         | पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण | - | - | -         |
| -         | पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन              | -         | -         | पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन              | - | - | -         |
| 2,241.13  | केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम                        | 1,695.53  | 1,435.18  | केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम की पुनर्दायगी          | - | - | 1,654.62  |
| 10.00     | आकस्मिक निधि से विनियोजन                              | 0         | 10.00     | VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन                        |   |   | -         |
| -         | आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि                     | -         | -         | IX. आकस्मिक निधि से व्यय                              |   |   | -         |
| -         | लोक लेखा प्राप्तियाँ                                  | -         | -         | X. लोक खाता संवितरण                                   |   |   | -         |
| -         | लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ                          | -         | -         | लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ                          |   |   | -         |
| -         | आरक्षित निधियाँ                                       | -         | -         | आरक्षित निधियाँ                                       |   |   | -         |
| -         | उचंत एवं विविध  | -         | -         | उचंत एवं विविध  |   |   | -         |
| -         | प्रेषण  | -         | -         | प्रेषण  |   |   | -         |
| -         | जमा एवं अग्रिम  |           |           | जमा एवं अग्रिम  |   |   | -         |
| -         | भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट                |           | 3,654.94  | XI अंत में नकद शेष-                                   |   |   | 2,645.35  |
|           |   |           |           | खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण                      |   |   | -         |
|           |   |           |           | रिजर्व बैंक में जमा                                   |   |   | -         |
|           |   |           |           | स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष       |   |   | -         |
|           |   |           |           | नकद शेष निवेश   |   |   |           |
| 38,850.46 | <b>कुल</b>  | 39,908.71 | 38,850.46 | <b>कुल</b>  | - | - | 39,908.71 |

**परिशिष्ट 1.5 (जारी)**  
**(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

| पार्ट बी  |  |                |                    |
|---|--|----------------|--------------------|
| 31 मार्च 2017 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति |  |                |                    |
| 31-03-2016 को   | देयताएँ  |                | 31-3-2017 को       |
| 33,303.87   | केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम                               |                | 33,344.78          |
| -   | 1984-85 से पूर्व के ऋण                                     |                | -                  |
| 33,303.86   | गैर-योजनागत ऋण   |                | 33,344.77          |
| -   | राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण                         |                | -                  |
| -   | केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण                     |                | -                  |
| 0.01  | केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं हेतु ऋण               |                | 0.01               |
| 79,871.68   | राजस्व अधिशेष  |                | 84,915.50          |
| 1,587.95  | सी जी ए से 1994-95 के दौरान अंगीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष |                | 1,587.95           |
| 3,356.46  | 1994-95 के दौरान सी जी ए से अंगीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष   |                | 3,356.46           |
| 1,18,119.96   | <b>कुल</b>   |                | <b>1,23,204.69</b> |
|   | <b>परिसम्पत्तियाँ</b>                                      |                |                    |
| 54,549.92   | अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय                  | (ए)            | 58,304.21          |
| 18,492.15   | कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश               | (बी)           | 18,933.05          |
| 36,057.77   | अन्य पूंजीगत परिव्यय                                       | (ए-बी)         | 39,371.16          |
| 59,915.10*  | ऋण और अग्रिम   | (सी)           | 62,255.13*         |
| 10,918.49   | पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण                                    | (डी)           | 11,713.69          |
| 33,380.84   | अन्य विकास ऋण  | एफ= सी- (डी+ई) | 34,736.85          |
| 15,491.19   | सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण                        | ई              | 15,804.59          |
| 3,654.94  | संघ सरकार में विलयित नकद शेष                               |                | 2,645.35           |
| 1,18,119.96   | <b>कुल</b>   |                | <b>1,23,204.69</b> |

\*इस धनराशि में ₹ 124.58 करोड़ शामिल है जो पिछले वर्ष की वर्गीकरण त्रुटि के सुधार हेतु पूर्व अवधि समायोजन को दर्शाता है।

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूँकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखा में उपाजन आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणास्वरूप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा स्टॉक आँकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2016 तथा 31 मार्च 2017 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 54,549.92 करोड़ तथा ₹ 58,304.21 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹ 1,587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक लेखा से ग्रहण किए गए थे। इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 के लिए क्रमशः ₹ 59,790.52 करोड़ तथा ₹ 62,130.55 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम में ₹ 3,356.46 करोड़ शामिल है। लेकिन इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले संगत आँकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।



परिशिष्ट 2.1

वर्ष 2016-17 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण  
किया जाना अपेक्षित है  
(पैराग्राफ 2.3.2 को देखें)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान का नाम व संख्या  | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | अधिक व्यय   |
|----------|---|--------------|---------------|-------------|
|          | <b>अनुदान सं.6: शिक्षा</b>  |              |               |             |
| 1        | 2202.80.800.41.00.42 सैकेण्डरी स्टेट शेयर विकलांगों हेतु एकीकृत शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.)     | 0.50         | 0.52          | 0.02        |
|          | <b>अनुदान सं.7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>   |              |               |             |
| 2        | 2211.00.001.90.00.42 परिवार कल्याण निदेशालय (सी.एस.एस.)                                     | 4.65         | 4.83          | 0.18        |
|          | <b>अनुदान सं.8: समाज कल्याण</b>   |              |               |             |
| 3        | 2235.02.103.45 गरीब विधावाओं की बेटियों तथा अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता    | 9.00         | 9.52          | 0.52        |
|          | <b>अनुदान सं.10: विकास</b>  |              |               |             |
| 4        | 2225.01.800.65.00.42 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सी.एस.एस.) | 1.00         | 1.14          | 0.14        |
|          | <b>अनुदान सं.11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण</b>   |              |               |             |
| 5        | 4202.03.800.99.00.53 एन.सी.सी. के लिए भवन का निर्माण  | 10.45        | 14.64         | 4.19        |
| 6        | 4210.01.110.99.78.42 आई.एस.एम. तथा होम्योपैथी निदेशालय                                      | 0.00         | 0.12          | 0.12        |
|          | <b>अनुदान सं.13: पेंशन</b>  |              |               |             |
| 7        | 2071.01.111.89.00.04 पूर्व विधायकों को पेंशन  | 2.70         | 2.87          | 0.17        |
|          | <b>कुल</b>  | <b>28.30</b> | <b>33.64</b>  | <b>5.34</b> |

## परिशिष्ट 2.2

₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची  
(पैराग्राफ 2.3.3 को देखें)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.                                | अनुदान/विनियोजन का नाम तथा संख्या                                     | मूल अनुदान/ विनियोजन | पूरक अनुदान/ पुनर्विनियोजन | कुल अनुदान/ विनियोजन | वास्तविक व्यय | बचतें  | प्रतिशत | बचतों के कारण   |
|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|--------|---------|---|
| राजस्व-दत्तमत                           |   |                      |                            |                      |               |        |         |   |
| अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन           |   |                      |                            |                      |               |        |         |   |
| 1                                       | 2220.01.001.99- सूचना तथा प्रसारण                                     | 207.68               | -26.25                     | 181.43               | 71.65         | 109.78 | 60.51   | कम दावे/बिल, रिक्त पदों का न भरा जाना, कम्प्यूटरों के क्रय प्रस्तावों का गैर-अन्तिकरण तथा विज्ञापनों के बिलों का गैर-अन्तिकरण |
| अनुदान सं. 03: न्याय प्रशासन            |   |                      |                            |                      |               |        |         |   |
| 2                                       | 2014.00.105.99 -सेशन कोर्ट  | 820.13               | -2.70                      | 817.43               | 696.53        | 120.90 | 14.74   | रिक्त पद, कम दावे, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की प्राप्ति न होना  |
| अनुदान सं. 06: शिक्षा                   |   |                      |                            |                      |               |        |         |   |
| 3                                       | 2202.02.109- सरकारी सेकेण्डरी स्कूल                                   | 1,537.86             | -84.86                     | 1,453.00             | 1,392.71      | 60.29  | 4.15    | रिक्त पद, कम दावे तथा एम.ए.सी.पी. मामलों के गैर-अन्तिकरण  |
| 4                                       | 2202.02.800.98- अतिरिक्त स्कूलिंग सुविधाएँ                            | 2,968.14             | -144.87                    | 2,823.27             | 2,586.72      | 236.55 | 8.38    | रिक्त पद, कम दावे तथा एम.ए.सी.पी. मामले तथा स्टैपिंग-अप मामले का गैर अन्तिकरण   |
| अनुदान सं. 07 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य |   |                      |                            |                      |               |        |         |   |
| 5                                       | 2210.01.800.44.00.42- दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस)            | 200.00               | 57.00                      | 257.00               | 175.68        | 81.32  | 31.64   | विभाग से कारण प्रतीक्षित थे   |
| अनुदान सं. 10: विकास                    |   |                      |                            |                      |               |        |         |   |
| 6                                       | 2030.03.001.90.94- करों में शेरों के बदले द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान | 700.00               | -150.00                    | 550.00               | 493.12        | 56.88  | 10.34   | कम अनुदान जारी किया जाना तथा क्रय-विक्रय के कम ट्रांजेक्शन  |

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|  |   |                 |                   |                 |                 |                 |       |  |
|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--|
| 7  | 2030.03.001.90.95- करों में शेरों के बदले द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान | 550.00          | -100.00           | 450.00          | 354.82          | 95.18           | 21.15 | प्रापटी के क्रय-विक्रय का कम ट्रांजेक्शन                   |
| <b>अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण</b> |   |                 |                   |                 |                 |                 |       |  |
| 8  | 2059.80.053- रख-रखाव तथा मरम्मत                                       | 400.00          | 0.00              | 400.00          | 348.47          | 51.53           | 12.88 | वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय किया गया था।            |
| 9  | 3054.04.105.98- लो.नि.वि. सड़कों का व्यापक रूप से रख-रखाव             | 0.00            | 100.00            | 100.00          | 28.68           | 71.32           | 71.32 | व्यापक रूप से रख-रखाव का कार्य सौंपा नहीं गया था।          |
| <b>पूँजीगत-दत्तमत</b>                            |   |                 |                   |                 |                 |                 |       |  |
| <b>अनुदान सं. 04: वित्त</b>                      |   |                 |                   |                 |                 |                 |       |  |
| 10   | 7615.00.200.76.00.55- स्वायत्त/स्थानीय निकायों को अर्थोपाय ऋण         | 700.00          | 0.0               | 700             | 531.00          | 169.00          | 24.14 | कम ऋण जारी किया जाना                                       |
| <b>अनुदान सं. 6: शिक्षा</b>                      |   |                 |                   |                 |                 |                 |       |  |
| 11   | 4202.01.600.94.00.42- स्कूल बिल्डिंग के कार्य की आउटसोर्सिंग          | 580.00          | -300.00           | 280.00          | 201.95          | 78.05           | 27.88 | कार्य की धीमी प्रगति                                       |
| <b>अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण</b> |   |                 |                   |                 |                 |                 |       |  |
| 12   | 5054.04.800.99.00.42- सड़कों तथा पुलों का निर्माण                     | 1,031.00        | -259.00           | 772.00          | 662.19          | 109.81          | 14.22 | स्कीम की धीमी प्रगति तथा नई संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। |
| <b>कुल</b>                                       |   | <b>9,694.81</b> | <b>(-) 910.68</b> | <b>8,784.13</b> | <b>7,543.52</b> | <b>1,240.61</b> |       |  |

## परिशिष्ट 2.3

विभिन्न अनुदान/विनियोजन जहाँ संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे

(प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक)

(पैराग्राफ 2.3.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं.                      | अनुदान का नाम एवं संख्या  | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | मूल प्रावधान से बचते | बचत के कारण   |
|------------------------------|---|--------------|---------------|----------------------|---|
| <b>राजस्व-दत्तमत</b>         |   |              |               |                      |   |
| <b>अनुदान सं. 4 - वित्त</b>  |   |              |               |                      |   |
| 1                            | 3454.02.800.73.00.50 अन्य प्रभार  | 25.00        | 0.00          | 25.00                | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन  |
| 2                            | 4059.01.051.86.00.53 व्यापार एवं कर एनेक्सी बिल्डिंग  | 2.00         | 0.00          | 2.00                 | स्कीम की धीमी प्रगति तथा दि.न.नि. से बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था।               |
| <b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b> |   |              |               |                      |   |
| 3                            | 2202.01.107.85.96 एस.सी.ई.आर.टी. को सहायता अनुदान (स्टेट शेयर)  | 7.00         | 0.00          | 7.00                 | कम अनुदान जारी किया जाना तथा भारत सरकार द्वारा वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% तक संशोधित किया। |
| 4                            | 2202.02.800.31.00.42 सूचना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी के अधीन स्टेट शेयर  | 12.00        | 0.00          | 12.00                | स्कीम की धीमी प्रगति तथा भुगतान के लिए बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।                          |
| 5                            | 2202.02.800.30.00.42 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (सी.एस.एस.) में सूचना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के अधीन केन्द्रीय शेयर | 38.00        | 0.00          | 38.00                | स्कीम की धीमी प्रगति तथा भुगतान के लिए बिलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।                         |
| 6                            | 2236.02.102.99.00.42 बच्चों के लिए मिड-डे-मील   | 21.37        | 0.00          | 21.37                | बिलों के कम दावे तथा भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% तक संशोधित किया।             |
| 7                            | 2236.02.102.89 मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान  | 2.10         | 0.00          | 2.10                 | भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।                                  |
| 8                            | 2236.02.102.80 मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान   | 7.05         | 0.00          | 7.05                 | भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।                                  |
| 9                            | 2236.02.102.78 मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान   | 3.95         | 0.00          | 3.95                 | भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।                                  |
| 10                           | 2236.02.789.99.00.42 अनुसूचित जाति के बच्चों के मिड-डे-मील हेतु विशेष संघटक योजना (एस.सी.एस.पी.)  | 5.00         | 0.00          | 5.00                 | भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।                                  |
| 11                           | 2236.02.789.90 मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)  | 1.55         | 0.00          | 1.55                 | भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।                                  |
| 12                           | 2236.02.789.89 मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)  | 1.35         | 0.00          | 1.35                 | भारत सरकार ने वित्तीयन प्रारूप को 75:25 से 100% का संशोधित किया।                                  |

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|   |  |       |      |       |   |
|---|--|-------|------|-------|---|
| 13  | 2203.00.112.45 दिल्ली स्किल/वोकेशनल युनीवर्सिटी को सहायता अनुदान                                     | 20.00 | 0.00 | 20.00 | कम अनुदान जारी किया जाना तथा परियोजना के आरंभिक स्तर तक सहायता अनुदानों के लिए दावों की प्राप्ति नहीं हुई थी।                       |
| 14  | 2230.03.800.79.00.42 स्किल डेवलेपमेंट इनीशिएटिव स्कीम  | 50.00 | 0.00 | 50.00 | स्कीम की धीमी प्रगति तथा स्कीम को आरंभ नहीं किया जा सका था।   |
| 15  | 2202.03.104.76 कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु कॉलेज को सहायता अनुदान      | 2.15  | 0.00 | 2.15  | कम अनुदान जारी किया गया।  |
| 16  | 2202.03.112.87.00.42 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (सी.एस.एस.)                                      | 18.00 | 0.00 | 18.00 | भारत सरकार से निधियों की गैर-प्राप्ति तथा अनिवार्य निकायों जैसे राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद को केवल 2016-17 के अन्त में बनाया गया था। |
| 17  | 4202.02.104.87 नए पॉलीटेकनीक का गठन (सी.एस.एस.)  | 4.00  | 0.00 | 4.00  | दावों की प्राप्ति नहीं हुई थी।  |
| 18  | 4202.02.105.88 जी.बी. पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज   | 3.50  | 0.00 | 3.50  | क्रय का गैर-अन्तिमकरण।  |
| <b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b> |  |       |      |       |   |
| 19  | 2210.01.102.99 ई.एस.आई.सी. को अंशदान   | 10.00 | 0.00 | 10.00 | दावों की गैर प्राप्ति तथा प्रस्तावों का गैर-अन्तिमकरण।  |
| 20  | 2210.01.110.14 डी.डी.यू. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सहायता अनुदान                                     | 52.00 | 0.00 | 52.00 | कम अनुदान जारी किया जाना।   |
| 21  | 2210.01.110.11.00.42 द्वारका अस्पताल की स्थापना  | 2.00  | 0.00 | 2.00  | स्कीम का गैर कार्यान्वयन।   |
| 22  | 2210.01.800.71.00.05 दिल्ली में कार्यरत सर्विस चिकित्सकों को स्टेट एवार्ड                            | 1.10  | 0.00 | 1.10  | प्रशासनिक कारण।   |
| 23  | 2210.05.105.99.81.42 चिकित्सा शिक्षा   | 2.00  | 0.00 | 2.00  | स्कीम की धीमी प्रगति।   |
| 24  | 2210.06.800.89.00.42 सरकारी कर्मचारियों तथा पेशनरों के लिए चिकित्सीय सुविधाएँ                        | 3.00  | 0.00 | 3.00  | स्कीम की धीमी प्रगति।   |
| 25  | 2210.06.800.68 दिल्ली में सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के लिए सोसाइटी को सहायता अनुदान                   | 5.00  | 0.00 | 5.00  | प्रशासनिक कारण।   |
| 26  | 2210.06.101.48.00.42 सी.टी. स्कैन तथा एम.आर.आई. यूनिट को शामिल करते हुए 24 घन्टे की आपातकालीन सेवाएँ | 1.20  | 0.00 | 1.20  | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।   |
| 27  | 2210.06.101.32.00.42 टेली मशीन सुविधाएँ  | 6.50  | 0.00 | 6.50  | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।   |
| 28  | 2210.05.105.67 डी.डी.यू. मेडिकल कॉलेज की स्थापना   | 2.00  | 0.00 | 2.00  | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।   |
| 29  | 2211.00.101.78.00.42 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ: उप-केन्द्र (सी.एस.एस.)                            | 1.55  | 0.00 | 1.55  | जारी किए गए सहायता अनुदान के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।  |
| 30  | 2211.00.103.80.00.42 विशेष टीकाकरण कार्यक्रम एम.एम.आर.   | 5.10  | 0.00 | 5.10  | स्कीम की धीमी प्रगति।   |
| 31  | 4210.80.190.96.00.54 सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश तथा अन्य  | 5.00  | 0.00 | 5.00  | निविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।  |

|                                   |  |        |      |        |  |
|-----------------------------------|--|--------|------|--------|--|
| 32                                | 4210.01.110.87 डा. बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज   | 2.50   | 0.00 | 2.50   | सी.पी.ए. द्वारा एम एण्ड ई. की खरीद।                                  |
| 33                                | 4210.01.110.67 बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल  | 2.00   | 0.00 | 2.00   | सी.पी.ए. द्वारा एम एण्ड ई. की खरीद तथा निविदाओं का गैर अंतिमकरण गया। |
| 34                                | 4210.01.110.86 श्री दादा मातृ एवम शिशु चिकित्सालय  | 1.00   | 0.00 | 1.00   | सक्षम अधिकारी से भुगतान के लिए अनुमोदन की प्राप्ति नहीं हुई।         |
| 35                                | 4210.01.110.79 आचार्य भिक्षु अस्पताल   | 1.50   | 0.00 | 1.50   | सी.पी.ए. द्वारा एम एण्ड ई. की खरीद।                                  |
| 36                                | 4210.01.110.70 ए. एण्ड यू. तिबिया कॉलेज  | 1.00   | 0.00 | 1.00   | सी.पी.ए. द्वारा एम एण्ड ई. की खरीद।                                  |
| <b>अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण</b> |  |        |      |        |  |
| 37                                | 2235.02.200.81.00.42 ट्रांसजेंडर्स को वित्तीय सहायता   | 1.00   | 0.00 | 1.00   | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।  |
| 38                                | 2235.02.800.70.00.42 मॉस मीडिया एंड एजुकेशन (एस.डब्ल्यू.डी.)   | 1.00   | 0.00 | 1.00   | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।  |
| 39                                | 2225.01.277.51.00.34 अ.पि.व. छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (सी.एस.एस.)  | 1.00   | 0.00 | 1.00   | भारत सरकार से निधि की देर से प्राप्ति हुई।                           |
| 40                                | 2225.01.789.81 दिल्ली हेल्थ मिशन द्वारा अ.जा. महिलाओं के लिए प्रसव-पूर्व मामलों में सांस्थानिक प्रसूति कराए जाने को सहायता अनुदान (एस.सी.एस.पी.) | 1.00   | 0.00 | 1.00   | स्कीम का गैर अंतिमकरण।   |
| 41                                | 2225.02.190.98 अ.ज.जा. की सुरक्षा के लिए सोसायटी (सी.एस.एस.)   | 1.00   | 0.00 | 1.00   | स्कीम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।                                   |
| 42                                | 2225.80.789.95.00.42 हाथ से कूड़ा उठाने जैसे रोजगार के निषेध का कार्यान्वयन तथा उनका पुनरुद्धार (एसीएसपी)  | 4.00   | 0.00 | 4.00   | स्कीम की धीमी प्रगति तथा स्थानीय निकायों द्वारा निधि माँगी नहीं गई।  |
| 43                                | 2225.80.800.65.00.42 हाथ से कुड़ा उठाने जैसे रोजगार के निषेध का कार्यान्वयन तथा उनका पुनरुद्धार (एसीएसपी)  | 6.00   | 0.00 | 6.00   | स्कीम की धीमी प्रगति तथा स्थानीय निकायों द्वारा निधि माँगी नहीं गई।  |
| 44                                | 3055.00.001.89 पाल्युशन ऑटोमैटिक नम्बर प्लेट को मान्यता  | 1.00   | 0.00 | 1.00   | स्कीम की धीमी प्रगति।  |
| 45                                | 3055.00.001.88 कार फ्री डे   | 1.00   | 0.00 | 1.00   | स्कीम की धीमी प्रगति।  |
| 46                                | 3055.00.001.87 फीडर बस सर्विस/इलेक्ट्रॉनिक वाहन  | 1.00   | 0.00 | 1.00   | स्कीम की धीमी प्रगति।  |
| 47                                | 3452.80.190.85 जनकपुरी के दिल्ली हाट के विकास के लिए डी.टी. एवं टी.डी.सी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)   | 7.00   | 0.00 | 7.00   | मंत्रालय द्वारा पर्याप्त निधि जारी नहीं की गयी।                      |
| 48                                | 4235.02.101.82 दिव्यांग अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्कीम (एसआईपीडीए) सीएसएस)  | 3.00   | 0.00 | 3.00   | सक्षम अधिकारी से प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया।                    |
| 49                                | 5055.00.190.99.00.54 बसों की खरीद के लिए डीटीसी को इक्विटी पूंजी   | 150.00 | 0.00 | 150.00 | इक्विटी पूंजी को जारी नहीं किया जाना।                                |
| 50                                | 5055.00.190.78.00.54 डी.टी.सी. एवं कलस्टर बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना   | 90.00  | 0.00 | 90.00  | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।  |
| 51                                | 5055.00.190.77.00.54 डी.टी.सी. एवं कलस्टर बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना (सी.एस.एस.)   | 10.00  | 0.00 | 10.00  | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।  |

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|                              |   |        |      |        |   |
|------------------------------|---|--------|------|--------|---|
| 52                           | 5055.00.800.89.00.42 मोनो रेल   | 1.00   | 0.00 | 1.00   | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।   |
| 53                           | 5055.00.800.88.00.42 पैदल यात्री तथा गैर-मोटर वाहनों को प्रोत्साहन  | 1.00   | 0.00 | 1.00   | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।   |
| <b>अनुदान सं. 9 - उद्योग</b> |   |        |      |        |   |
| 54                           | 3456.00.103.93.00.42 आवश्यक वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्यों की रोकथाम हेतु बाजारी हस्तक्षेप के लिए प्रावधान   | 11.00  | 0.00 | 11.00  | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।   |
| 55                           | 4851.00.101.72.00.42 इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटिड फैक्ट्री काम्प्लैक्स की सिविक सेवाओं को संभालना, सुधारना तथा उन्नयन                                 | 20.00  | 0.00 | 20.00  | निधि का पूंजी से ऋण में हस्तांतरण।  |
| 56                           | 6851.00.101.98.00.55 इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटिड फैक्ट्री काम्प्लैक्स की सिविक सेवाओं को संभालना, सुधारना तथा उन्नयन के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. को ऋण | 20.00  | 0.00 | 20.00  | प्रस्तावों को अनुदान में बदलने का गैर-अन्तिमकरण।  |
| <b>अनुदान सं. 10 - विकास</b> |   |        |      |        |   |
| 57                           | 2030.01.101.99.00.42 स्टैम्प की लागत  | 1.22   | 0.00 | 1.22   | सक्षम अधिकारी से अनुमोदन की गैर प्राप्ति ।  |
| 58                           | 2030.02.101.99.00.42 सैक्रेटरी रेवेन्यू   | 3.00   | 0.00 | 3.00   | ई-स्टैंपिंग।  |
| 59                           | 2070.00.800.61 मोहल्ला रक्षा दल   | 200.00 | 0.00 | 200.00 | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन।   |
| 60                           | 2235.02.200.80.00.42 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति तथा अन्य समाज सुरक्षा स्कीम   | 10.00  | 0.00 | 10.00  | स्कीम की धीमी प्रगति तथा निधि के लिए लाभार्थी विभागों से प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति।                |
| 61                           | 2053.00.800.73 डी.यू.डी.ए. जिला दक्षिण पश्चिम को अनुदान   | 35.00  | 0.00 | 35.00  | कम अनुदान जारी किया गया तथा सहायता अनुदान जारी नहीं की गई।  |
| 62                           | 2053.00.800.71 डी.यू.डी.ए. जिला पश्चिम को अनुदान  | 35.00  | 0.00 | 35.00  | कम अनुदान जारी किया गया तथा निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका                                       |
| 63                           | 2053.00.800.70 डी.यू.डी.ए. जिला उत्तर पूर्वी को अनुदान  | 25.00  | 0.00 | 25.00  | कम अनुदान जारी किया जाना तथा नए कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना।                                 |
| 64                           | 2053.00.800.69 डी.यू.डी.ए. जिला उत्तर पश्चिमी को अनुदान   | 35.00  | 0.00 | 35.00  | कम अनुदान जारी किया गया तथा प्रत्याशित व्यय नहीं हुआ।   |
| 65                           | 2053.00.800.68 डी.यू.डी.ए. जिला उत्तरी को अनुदान  | 40.00  | 0.00 | 40.00  | कम अनुदान जारी किया जाना तथा वर्ष 2016-17 की स्कीम का गैर-विस्तारण।                                 |
| 66                           | 2053.00.800.67 डी.यू.डी.ए.जिला शाहदरा को अनुदान   | 25.00  | 0.00 | 25.00  | कम अनुदान जारी किया जाना तथा मोहल्ला सभा को आयोजित करने के लिए निर्देशों का प्राप्त नहीं किया जाना। |
| 67                           | 2053.00.800.66 डी.यू.डी.ए. जिला दक्षिण पूर्वी को अनुदान   | 35.00  | 0.00 | 35.00  | कम अनुदान जारी किया जाना तथा मोहल्ला सभा आयोजित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाना।         |
| 68                           | 4250.00.101.99 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रतिक्रिया निधि   | 3.00   | 0.00 | 3.00   | प्रस्ताव का गैर-अंतिमकरण  |

| अनुदान सं. 11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण |  |        |      |        |  |
|--|--|--------|------|--------|--|
| 69   | 2215.02.191.89 जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के अधीन मुख्य नालों के साथ इन्टरसेक्टर सीवर के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान  | 200.00 | 0.00 | 200.00 | कम अनुदान जारी किया जाना तथा प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जाना। |
| 70   | 2215.02.191.86 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस.)   | 10.00  | 0.00 | 10.00  | भारत सरकार से निधि की गैर प्राप्ति।                                    |
| 71   | 2217.80.191.44.99 यमुनापार क्षेत्र में विभिन्न विकास निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान | 10.00  | 0.00 | 10.00  | कम अनुदान जारी किया जाना तथा औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गई।              |
| 72   | 2217.80.191.19.98 अप्राधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अनुदान                         | 20.00  | 0.00 | 20.00  | कम अनुदान जारी किया जाना।  |
| 73   | 2217.80.191.19.99 अप्राधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान                         | 40.00  | 0.00 | 40.00  | कम अनुदान जारी किया जाना।  |
| 74   | 2217.80.191.06.00.42 प्रवेश द्वार का सौन्दर्यीकरण  | 1.00   | 0.00 | 1.00   | स्कीम की धीमी प्रगति।  |
| 75   | 2217.80.191.05 स्थापना प्रभारों के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान  | 1.00   | 0.00 | 1.00   | सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया।                                      |
| 76   | 2217.80.191.04.99 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए पूर्वी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)                     | 24.50  | 0.00 | 24.50  | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                    |
| 77   | 2217.80.191.04.97 कैपेसिटी बिल्डिंग ए. एंड ओ.ई. के लिए दक्षिण दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)                      | 1.00   | 0.00 | 1.00   | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                    |
| 78   | 2217.80.191.04.96 कैपेसिटी बिल्डिंग ए. एंड ओ.ई. के लिए उत्तरी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)                      | 1.00   | 0.00 | 1.00   | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                    |
| 79   | 2217.80.191.04.94 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए पूर्वी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)              | 1.00   | 0.00 | 1.00   | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                    |
| 80   | 2217.80.191.04.93 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए दक्षिण दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)              | 1.00   | 0.00 | 1.00   | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                    |
| 81   | 2217.80.191.04.92 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए उत्तरी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)              | 1.00   | 0.00 | 1.00   | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                    |
| 82   | 2217.80.191.04.90 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)                | 2.00   | 0.00 | 2.00   | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                    |
| 83   | 2217.80.191.04.89 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए पूर्वी दि.न.नि. को सहायता अनुदान                                  | 1.90   | 0.00 | 1.90   | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                    |
| 84   | 2217.80.191.04.88 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए उत्तरी दि.न.नि. को सहायता अनुदान                                 | 36.90  | 0.00 | 36.90  | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                    |



**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|     |  |       |      |       |   |
|-----|--|-------|------|-------|---|
| 85  | 2217.80.191.04.87 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए दक्षिण दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)           | 25.50 | 0.00 | 25.50 | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति  |
| 86  | 2217.80.191.04.86 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए नई दिल्ली नगर परिषद को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)       | 9.00  | 0.00 | 9.00  | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।   |
| 87  | 2217.80.191.04.85 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)        | 11.00 | 0.00 | 11.00 | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।   |
| 88  | 2217.80.191.04.84 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए न.दि.न.प. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)          | 1.00  | 0.00 | 1.00  | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।   |
| 89  | 2217.80.191.04.83 जन जागरूकता तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.) | 1.00  | 0.00 | 1.00  | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।   |
| 90  | 2217.80.191.04.82 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए उत्तरी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)      | 8.00  | 0.00 | 8.00  | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।   |
| 91  | 2217.80.191.04.81 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए दक्षिण दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)      | 8.00  | 0.00 | 8.00  | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।   |
| 92  | 2217.80.191.04.80 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए पूर्वी दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)      | 14.50 | 0.00 | 14.50 | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।   |
| 93  | 2217.80.191.04.79 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)   | 3.00  | 0.00 | 3.00  | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।   |
| 94  | 2217.80.191.04.78 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)            | 49.00 | 0.00 | 49.00 | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।   |
| 95  | 2217.80.191.03.78 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (स्टेट शेयर)           | 12.00 | 0.00 | 12.00 | स्कीम पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं की गई थी।                                    |
| 96  | 3054.04.800.87 शहरी सड़कों के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान   | 10.00 | 0.00 | 10.00 | कम अनुदान जारी किया जाना तथा उपलब्ध निधि के अव्ययित शेष को जारी नहीं किया जाना। |
| 97  | 3054.04.800.86 शहरी सड़कों के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान-सी.आर.एफ. स्कीम                                 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | कम अनुदान जारी किया जाना।   |
| 98  | 3054.04.800.85 शहरी सड़कों के लिए द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान - सी.आर.एफ. स्कीम                                | 10.00 | 0.00 | 10.00 | कम अनुदान जारी किया जाना।   |
| 99  | 3054.04.800.84 शहरी सड़कों के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान सी.आर.एफ. स्कीम                                 | 5.00  | 0.00 | 5.00  | कम अनुदान जारी किया जाना।   |
| 100 | 3054.04.800.83 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए न.दि.न.नि. को सहायता अनुदान   | 25.00 | 0.00 | 25.00 | कम अनुदान जारी किया जाना।   |

|   |   |                 |             |                 |  |
|---|---|-----------------|-------------|-----------------|--|
| 101   | 3054.04.800.82 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान  | 20.00           | 0.00        | 20.00           | कम अनुदान जारी किया जाना तथा भारत सरकार द्वारा स्कीम को बन्द किया जाना।        |
| 102   | 3054.04.800.81 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान   | 15.00           | 0.00        | 15.00           | कम अनुदान जारी किया जाना तथा भारत सरकार द्वारा स्कीम को बन्द किया जाना।        |
| 103   | 3054.04.800.80 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए न.दि.न.नि. को सहायता अनुदान  | 28.00           | 0.00        | 28.00           | कम अनुदान जारी किया जाना।  |
| 104   | 2801.05.800.86 वी.आर.एस. लाभों के लिए आई.पी.जी.सी.एल. को सहायता अनुदान  | 2.00            | 0.00        | 2.00            | सक्षम अधिकारी से अनुमोदन का प्राप्त नहीं किया जाना।                            |
| 105   | 2801.05.800.80 एमनेस्टी स्कीमों के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को एक बार राहत   | 23.00           | 0.00        | 23.00           | सक्षम अधिकारी से अनुमोदन का प्राप्त नहीं किया जाना।                            |
| 106   | 6215.01.191.80.00.55 वजीराबाद डब्ल्यू.टी.पी. के लिए दि.ज.बो. को ऋण  | 3.75            | 0.00        | 3.75            | कम ऋण जारी किया जाना तथा ए.डी.बी. के ऋण शेयर की गैर-प्राप्ति।                  |
| 107   | 6215.01.191.85.00.55 यमुना एक्शन प्लान-III के अंतर्गत सीवरेज के पुनर्निर्माण के लिए दि.ज.बो. को ऋण दिल्ली गवर्नमेंट शेयर    | 2.00            | 0.00        | 2.00            | कम ऋण जारी किया जाना।  |
| 108   | 6217.60.191.91.97.55 अनुमोदित कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए पू.दि.न.नि. को ऋण  | 25.00           | 0.00        | 25.00           | कम ऋण जारी किया जाना, अव्ययित शेषों की उपलब्धता होना तथा कार्य की धीमी प्रगति। |
| 109   | 6217.60.191.83.00.55 गंदी बस्तियों का उनके स्थान पर पुनर्निर्माण योजना के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को ऋण                         | 100.00          | 0.00        | 100.00          | कम ऋण जारी किया जाना तथा परियोजना को अन्तिम रूप न दिया जाना।                   |
| 110   | 4210.03.105.99.96.53 एम.ए.एम. कॉलेज का विस्तार  | 1.00            | 0.00        | 1.00            | स्कीम की धीमी प्रगति।  |
| 111   | 4235.02.101.86.00.53 सेवाकुटीर कॉम्प्लेक्स किंगजवे कैम्प फेज-II में कॉलेज जाने वाले अंध (छात्रों) के लिए अस्पताल का निर्माण | 5.00            | 0.00        | 5.00            | स्कीम की धीमी प्रगति तथा नई संस्वीकृतियों की प्राप्त नहीं हुई थी।              |
| 112   | 4235.02.101.85.00.53 तिमारपुर में कॉलेज जाने वाली अंध (छात्राओं) के अस्पताल का निर्माण                                      | 5.00            | 0.00        | 5.00            | स्कीम की धीमी प्रगति तथा नई संस्वीकृतियों की प्राप्त नहीं हुई थी।              |
| 113   | 4235.02.101.84.00.53 नरेला में मानसिक रूप से विक्रिप्त लोगों के लिए घर का निर्माण   | 2.00            | 0.00        | 2.00            | स्कीम की धीमी प्रगति तथा कार्य की संस्वीकृति नहीं मिली।                        |
| 114   | 4235.02.103.88.00.53 नौकरीपेशा महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण   | 1.00            | 0.00        | 1.00            | नई संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।  |
| 115   | 5054.04.800.83.00.53 सड़कों का व्यापक रूप से रख-रखाव  | 100.00          | 0.00        | 100.00          | स्कीम की धीमी प्रगति।  |
| 116   | 5054.04.800.82.00.53 एल.ई.डी. स्क्रीन का प्रावधान   | 137.00          | 0.00        | 137.00          | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन तथा नई संस्वीकृति की गैर प्राप्ति                     |
| 117   | 5054.04.800.81.00.53 सी.सी.टी.वी. कैमरों का लगाया जाना  | 200.00          | 0.00        | 200.00          | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन तथा संस्वीकृति की गैर प्राप्ति                        |
| 118   | 4810.00.102.95 स्टेट एनर्जी संरक्षण   | 2.00            | 0.00        | 2.00            | विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।  |
| <b>अनुदान सं. 12 - सरकारी कर्मचारियों को ऋण</b> |   |                 |             |                 |  |
| 119   | 7610.00.201.00.55 भवन निर्माण अभियम   | 1.06            | 0.00        | 1.06            | सरकारी कर्मचारियों से कम आवेदन पत्रों की प्राप्ति।                             |
| <b>कुल</b>                                      |   | <b>2,335.80</b> | <b>0.00</b> | <b>2,335.80</b> |  |

**परिशिष्ट 2.4**  
**निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें**  
**₹ एक करोड़ से अधिक थीं)**  
**(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं.                               | अनुदान की संख्या तथा नाम   | पुनर्विनियोजन | अंतिम बचत     | बचत के कारण   |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---|
| <b>राजस्व-दत्तमत</b>                  |  |               |               |   |
| <b>अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन</b>  |  |               |               |   |
| 1                                     | 2052.00.090.79.00.42 ए.आर. विभाग का सुदृढीकरण                        | 0.84          | 1.00          | प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया गया।  |
|                                       | <b>कुल</b>   | <b>0.84</b>   | <b>1.00</b>   |   |
| <b>अनुदान सं. 3: न्याय का प्रशासन</b> |  |               |               |   |
| 2                                     | 2052.00.090.76 सचिवालय: कानून विभाग                                  | 0.48          | 2.42          | द.दि.न.नि. को भुगतान के लिए निधि प्राप्त करने में विलंब।                                      |
| 3                                     | 2015.00.102 चुनाव अधिकारी  | 1.81          | 2.25          | रिक्त पद तथा प्रत्याशित बिल प्राप्त नहीं होना।  |
|                                       | <b>कुल</b>   | <b>2.29</b>   | <b>4.67</b>   |   |
| <b>अनुदान सं. 4: वित्त</b>            |  |               |               |   |
| 4                                     | 4059.01.051.85.00.27 बिल्डिंग का नवीनीकरण रख-रखाव                    | 1.00          | 6.10          | सक्षम प्राधिकारी से अनुमानों का अनुमोदन प्राप्त नहीं होना।                                    |
|                                       | <b>कुल</b>   | <b>1.00</b>   | <b>6.10</b>   |   |
| <b>अनुदान सं. 5: गृह</b>              |  |               |               |   |
| 5                                     | 4070.00.800.88 सैन्ट्रल जेल  | 1.15          | 2.08          | निधि की देर से प्राप्त के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सका।                                   |
|                                       | <b>कुल</b>   | <b>1.15</b>   | <b>2.08</b>   |   |
| <b>अनुदान सं. 6: शिक्षा</b>           |  |               |               |   |
| 6                                     | 2202.01.107.85.99 एस.सी.ई.आर.टी. (सी.एस.एस.) को सहायता अनुदान        | 1.00          | 1.00          | भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी किया जाना।   |
| 7                                     | 2202.80.800.38 सर्व शिक्षा अभियान (सीएसएस)                           | 49.99         | 54.22         | भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी किया जाना।   |
| 8                                     | 2236.02.102.87 मिड-डे-मील स्कीम की मैनेजमेंट मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन | 4.99          | 45.92         | भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी किया जाना।   |
| 9                                     | 2203.00.001.99 तकनीकी शिक्षा निदेशालय                                | 0.04          | 1.58          | प्रत्याशित बिलों को प्राप्त नहीं किया जाना, ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. मामलों का गैर-अन्तिमकरण।     |
| 10                                    | 2205.00.102.91 उर्दू अकादमी को अनुदान                                | 0.54          | 1.44          | दि.न.नि. चुनावों के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता लागू, इसीलिए कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। |
| 11                                    | 2205.00.102.90 पंजाबी अकादमी को अनुदान                               | 0.79          | 1.62          | रिक्त पद तथा प्रत्याशित बिलों की गैर प्राप्ति।  |
| 12                                    | 2202.03.112.89 दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हैरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट    | 0.38          | 1.05          | निधि जारी किये जाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।                         |
|                                       | <b>कुल</b>   | <b>57.73</b>  | <b>106.83</b> |   |

| अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य |  |               |               |  |
|---|--|---------------|---------------|--|
| 13                                      | 2210.01.110.63 आई.एच.बी.ए.एस. को सहायता अनुदान   | 14.99         | 24.00         | प्रशासनिक कारण।  |
| 14                                      | 2210.01.110.33 दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सहायता अनुदान                             | 4.99          | 21.25         | प्रशासनिक कारण।  |
| 15                                      | 2210.01.110.12 चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को सहायता अनुदान                                  | 9.99          | 11.50         | प्रशासनिक कारण।  |
| 16                                      | 2210.80.800.71.00.05 दिल्ली में कार्यरत चिकित्सकों को स्टेट अवार्ड                         | 0.60          | 1.10          | प्रशासनिक कारण।  |
| 17                                      | 2210.01.800.44.00.42 दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन (सी.एस.एस.)                                   | 56.99         | 81.32         | प्रशासनिक कारण।  |
| 18                                      | 2210.06.800.68 दिल्ली में युनिवर्सिटी हेल्थ केयर के लिए सोसायटी को सहायता अनुदान           | 4.97          | 5.00          | प्रशासनिक कारण।  |
| 19                                      | 2211.00.101.78.00.42 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ: सब-केन्द्र (सी.एस.एस.)                  | 0.85          | 1.55          | भारत सरकार के जारी किए गए प्रस्तावों का अन्तिमकरण नहीं किया गया।       |
| 20                                      | 2211.00.102.80.00.42 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.एस.एस.)                                | 9.25          | 17.76         | भारत सरकार के जारी किए गए प्रस्तावों का अन्तिमकरण नहीं किया गया।       |
| 21                                      | 2211.00.102.78.00.42 शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का पुनरुद्धार                            | 1.15          | 1.56          | निधि अव्ययित रही जब तक मामले विचाराधीन थे।                             |
| 22                                      | 2210.02.101.60 खेरा डाबर में दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान को सहायता अनुदान                | 5.27          | 11.78         | परिसम्पत्तियों के क्रय के लिए औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया जा सका था। |
| 23                                      | 2210.01.110.17 श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय                                      | 3.00          | 4.10          | प्रत्याशित बिल भुगतान के लिए प्राप्त नहीं किये गये थे।                 |
| 24                                      | 2210.01.789.97 लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)                                  | 1.31          | 5.23          | रिक्त पदों का न भरा जाना तथा प्रत्याशित बिल प्राप्त नहीं हुए थे।       |
| <b>कुल</b>                              |  | <b>113.36</b> | <b>186.15</b> |  |
| अनुदान सं. 8: समाज कल्याण               |  |               |               |  |
| 25                                      | 2235.02.102.54.00.42 किशोर न्याय का कार्यान्वयन (बच्चों के मामले तथा सुरक्षा) अधिनियम 2000 | 0.50          | 1.34          | कम निधि प्राधिकृत की गई।   |
| 26                                      | 2235.02.103.31.00.42 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (सीएसएस)         | 2.00          | 2.39          | योग्य लाभार्थियों की कम संख्या।  |

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|  |  |              |              |   |
|--|--|--------------|--------------|---|
| 27   | 2235.02.103.29.00.42 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (सी.एम.बी.) (सीएसएस) (एस.सी.एस.पी.)  | 1.00         | 1.85         | योग्य लाभार्थियों की कम संख्या।   |
| 28   | 2235.02.103.28.00.42 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (सी.एम.बी.) स्टेट शेयर                                  | 1.00         | 2.25         | योग्य लाभार्थियों की कम संख्या।   |
| 29   | 2235.02.200.89 सामाजिक विकास में भागीदारी नई पहल   | 4.07         | 13.72        | निधि को कम उपयोग किए जाने के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन।  |
| 30   | 2236.02.101.78.00.42 किशोरावस्था लड़कियों के सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (एस.एन.पी.) (सी.एस.एस.)          | 2.17         | 7.02         | कम राशि के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन।  |
| 31   | 2225.01.277.71.00.42 पब्लिक स्कूल की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति   | 4.99         | 25.63        | स्टाफ की कमी के कारण फार्मों की संवीक्षा में कम प्रगति।   |
| 32   | 2225.80.800.77.00.34 अ.जा./अ.ज.जा. (एससीएसपी) के लिए कॉलेज तथा यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति | 0.54         | 2.96         | कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।   |
| <b>कुल</b>                                       |  | <b>16.27</b> | <b>57.16</b> |   |
| <b>अनुदान सं. 10: विकास</b>                      |  |              |              |   |
| 33   | 2403.00.101.97 अस्पताल तथा डिस्पेंसरियां   | 1.00         | 1.37         | भुगतान के लिए एम.ए.सी.पी. मामलों को कार्यान्वित नहीं किया गया।  |
| 34   | 2415.03.120.99 एस.पी.सी.ए. को सहायता अनुदान  | 2.46         | 2.54         | जब्त जानवरों के मालिकों से चारा प्रभारों की वसूली के कारण निधि का गैर उपयोग।  |
| 35   | 2075.00.800.89.00.42 पेट्रोल आपूर्ति स्कीम   | 2.80         | 2.85         | भुगतान के लिए देय आवक दावों की प्राप्ति नहीं हुई थी।  |
| 36   | 2030.01.101.99.00.42 सेक्रेटरी रेवेन्यू स्टैम्प की लागत  | 0.97         | 1.22         | सक्षम अधिकारी से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति।   |
| 37   | 2053.00.093.95 जिला स्थापना: सेक्रेटरी रेवेन्यू  | 3.29         | 7.35         | स्कैनिंग/अंकीकरण के कार्य को निष्पादित नहीं किया गया।   |
| 38   | 2245.02.101.90.99.42 अन्य मदें   | 2.00         | 2.04         | वित्तीय वर्ष के अंत में निधि की बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त हुई।   |
| 39   | 2501.04.105.96 एम.जी.आई.सी.सी. को सहायता अनुदान  | 0.40         | 1.65         | 7 <sup>वां</sup> के.वे.आ. बकायों का भुगतान नहीं हुआ तथा उपयोग किए गए अनुदान के प्रति अनुदान का समायोजन नहीं किए जाने के कारण बचत हुई। |
| <b>कुल</b>                                       |  | <b>12.92</b> | <b>19.02</b> |   |
| <b>अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण</b> |  |              |              |   |
| 40   | 2217.80.191.04.98 कैपेसिटी बिल्डिंग तथा ए एंड ओ ई के लिए प्.दि.न.नि. को सहायता अनुदान                          | 0.89         | 1.00         | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।   |

|  |  |               |               |  |
|--|--|---------------|---------------|--|
| 41   | 2217.80.191.04.96 कैपेसिटी बिल्डिंग तथा ए एंड ओ ई के लिए उ.दि.न.नि. को सहायता अनुदान       | 0.89          | 1.00          | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                |
| 42   | 2217.80.191.04.95 कैपेसिटी बिल्डिंग तथा ए एंड ओई के लिए श.वि.वि. को सहायता अनुदान)         | 1.99          | 2.90          | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                |
| 43   | 2217.80.191.04.91 जन जागरूकता तथा आईईसी क्रियाकलापों (सीएसएस) के लिए शहरी विकास            | 0.99          | 2.98          | भारत सरकार से निधि की गैर-प्राप्ति।                                |
| 44   | 2217.80.191.03.78 समुदाय शौचालय के निर्माण के लिए डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान (स्टेट शेयर) | 11.99         | 12.00         | स्कीम को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया।                       |
| <b>कुल</b>                                       |  | <b>16.75</b>  | <b>19.88</b>  |  |
| <b>पूँजीगत दत्तमत</b>                            |  |               |               |  |
| <b>अनुदान सं. 10: विकास</b>                      |  |               |               |  |
| 45   | 4515.00.101.98.00.42 पंचायत इकाई का आधुनिकीकरण तथा इसके कार्य                              | 2.00          | 3.57          | परियोजना पूरी नहीं की गई।  |
| <b>कुल</b>                                       |  | <b>2.00</b>   | <b>3.57</b>   |  |
| <b>अनुदान सं. 8: समाज कल्याण</b>                 |  |               |               |  |
| 46   | 5055.00.800.97.00.42 परिवहन के वैकल्पिक प्रकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों की शुरुआत          | 0.50          | 11.73         | कार्यकारिणी एजेंसी द्वारा प्रशासनिक विलम्ब।                        |
| <b>कुल</b>                                       |  | <b>0.50</b>   | <b>11.73</b>  |  |
| <b>अनुदान सं. 9: उद्योग</b>                      |  |               |               |  |
| 47   | 6851.00.101.98.00.55 औद्योगिक राज्यों के उन्नयन तथा सुधार के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. को ऋण  | 19.99         | 20.00         | प्रस्तावों का गैर-अन्तिमकरण।                                       |
| <b>कुल</b>                                       |  | <b>19.99</b>  | <b>20.00</b>  |  |
| <b>अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण</b> |  |               |               |  |
| 48   | 4059.60.051.80.90.42 न्यायिक मामलों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएँ (सी.एस.एस.)               | 30.00         | 30.19         | सी.एस.एस. कार्य, शेष निधि को आगामी वर्ष में उपयोग किया जा सकता है। |
| 49   | 4235.02.102.99.00.53 किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 का कार्यान्वयन                            | 3.09          | 5.01          | नई संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।                                    |
| 50   | 4810.00.102.95 स्टेट एनर्जी कन्जरवेशन  | 1.00          | 2.00          | कार्य सौंपा जाना अभी भी लंबित।                                     |
| <b>कुल</b>                                       |  | <b>34.09</b>  | <b>37.20</b>  |  |
| <b>सकल कुल</b>                                   |  | <b>278.89</b> | <b>475.39</b> |  |

परिशिष्ट 2.5

वास्तविक प्रावधानों के 70 प्रतिशत तथा ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के मामले  
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान का नाम तथा संख्या                                      | मुख्यशीर्ष/उपशीर्ष   | वास्तविक प्रावधान | अभ्यर्पण की राशि | मूल प्रावधानों की प्रतिशतता | अभ्यर्पण के लिए कारण        |
|----------|---|--|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        | अनुदान सं. 5: गृह   | 4055.00.800.99 एफ.एस.एल.                                       | 19.08             | 13.50            | 70.75                       | प्रस्तावों का गैर-अन्तिमकरण |
| 2        | अनुदान सं. 6: शिक्षा  | 2202.01.800.44.00.42 एस.एस.ए.                                  | 70.00             | 60.10            | 85.86                       | कार्य की धीमी प्रगति        |
| 3        |   | 2202.02.105.95 एस.सी.ई.आर.टी. को सहायता अनुदान                 | 102.00            | 76.50            | 75.00                       | कम अनुदान जारी किया जाना    |
| 4        | अनुदान सं. 7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य                       | 2210.01.104.99 लॉजिस्टिक आपूर्ति तथा चेन प्रबन्धन              | 20.00             | 19.95            | 99.75                       | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन    |
| 5        |   | 2210.01.110.14 डीडीयू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल                   | 52.00             | 52.00            | 100.00                      | कम अनुदान जारी किया जाना    |
| 6        |   | 2210.01.200.89.99 बीमा कंपनियों को भुगतान                      | 55.00             | 54.95            | 99.91                       | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन    |
| 7        |   | 2210.01.200.88 पीपीपी द्वारा लैब सुविधाएँ                      | 70.00             | 69.99            | 99.99                       | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन    |
| 8        |   | 4210.01.110.64.00.52 एम. एण्ड ई.                               | 150.00            | 124.00           | 82.67                       | निविदा का गैर-अन्तिमकरण     |
| 9        | अनुदान सं. 8: समाज कल्याण                                     | 2235.02.102.29.00.42 आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्टेट शेयर         | 20.00             | 14.13            | 70.65                       | कार्य की धीमी प्रगति        |
| 10       | अनुदान सं. 10: विकास  | 2053.00.800.76 डी.यू.डी.ए. केन्द्रीय जिला को सहायता अनुदान     | 35.00             | 34.02            | 97.20                       | कम अनुदान जारी किया जाना    |
| 11       |   | 2053.00.800.75 डी.यू.डी.ए. नई दिल्ली जिला को सहायता अनुदान     | 30.00             | 29.16            | 97.20                       | कम अनुदान जारी किया जाना    |
| 12       |   | 2053.00.800.74 डी.यू.डी.ए. दक्षिण जिला को सहायता अनुदान        | 25.00             | 24.30            | 97.20                       | कम अनुदान जारी किया जाना    |
| 13       |   | 2053.00.800.73 डी.यू.डी.ए. दक्षिण पश्चिम जिला को सहायता अनुदान | 35.00             | 34.02            | 97.20                       | कम अनुदान जारी किया जाना    |
| 14       |   | 2053.00.800.72 डी.यू.डी.ए. पूर्व जिला को सहायता अनुदान         | 30.00             | 29.16            | 97.20                       | कम अनुदान जारी किया जाना    |
| 15       |   | 2053.00.800.71 डी.यू.डी.ए. पश्चिम जिला को सहायता अनुदान        | 35.00             | 34.17            | 97.63                       | कम अनुदान जारी किया जाना    |
| 16       |   | 2053.00.800.70 डी.यू.डी.ए. उत्तर पूर्व जिला को सहायता अनुदान   | 25.00             | 24.50            | 98.00                       | कम अनुदान जारी किया जाना    |
| 17       | 2053.00.800.69 डी.यू.डी.ए. उत्तर पश्चिम जिला को सहायता अनुदान | 35.00  | 34.30             | 98.00            | कम अनुदान जारी किया जाना    |                             |

|    |   |   |        |        |        |                               |
|----|---|---|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 18 |   | 2053.00.800.68 डी.यू.डी.ए. उत्तर जिला को सहायता अनुदान  | 40.00  | 39.20  | 98.00  | कम अनुदान जारी किया जाना      |
| 19 |   | 2053.00.800.67 डी.यू.डी.ए. शाहदरा जिला को सहायता अनुदान   | 25.00  | 24.50  | 98.00  | कम अनुदान जारी किया जाना      |
| 20 |   | 2053.00.800.66 डी.यू.डी.ए. दक्षिण पूर्व जिला को सहायता अनुदान   | 35.00  | 34.30  | 98.00  | कम अनुदान जारी किया जाना      |
| 21 | अनुदान सं. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण | 2215.01.191.69 दि.ज.बो. को जन जल प्रबन्धन योजना के लिए सहायता अनुदान  | 15.00  | 11.25  | 75.00  | कम अनुदान जारी किया जाना      |
| 22 |   | 2215.01.191.68 अवैध पुनर्गठित कॉलोनियों में जल आपूर्ति के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान                                 | 15.00  | 11.25  | 75.00  | कम अनुदान जारी किया जाना      |
| 23 |   | 2215.02.191.89 जेएनएनयूआरएम परियोजना के अंतर्गत इन्टरसेप्टर सीवर के साथ-साथ मुख्य नाले के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान | 200.00 | 189.00 | 94.50  | कम अनुदान जारी किया जाना      |
| 24 |   | 2217.04.191.55 ए.एम.आर.यू.टी. के लिए दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)  | 200.00 | 145.00 | 72.50  | भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति |
| 25 |   | 2217.80.191.04.99 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्माण के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)                       | 24.50  | 24.50  | 100.00 | भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति |
| 26 |   | 2217.80.191.04.88 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्माण के लिए उ.दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)                        | 36.90  | 36.90  | 100.00 | भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति |
| 27 |   | 2217.80.191.04.87 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्माण के लिए द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)                        | 25.50  | 25.50  | 100.00 | भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति |
| 28 |   | 2217.80.191.04.85 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्माण के लिए डी.सी.बी. को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)                         | 11.00  | 11.00  | 100.00 | भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति |
| 29 |   | 2217.80.191.04.80 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिए पू.दि.न.नि. को सहायता अनुदान  | 14.50  | 14.50  | 100.00 | भा.स. से निधि की गैर-प्राप्ति |
| 30 |   | 3054.04.800.86 शहरी सड़कों सी.आर.एफ. स्कीम के लिए उ.दि.न.नि. को सहायता अनुदान   | 12.00  | 12.00  | 100.00 | कम अनुदान जारी किया जाना      |



**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|    |  |                 |                 |        |                          |
|----|--|-----------------|-----------------|--------|--------------------------|
| 31 | 3054.04.800.85 शहरी सड़कों सी.आर.एफ. स्कीम के लिए द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान                  | 10.00           | 10.00           | 100.00 | कम अनुदान जारी किया जाना |
| 32 | 3054.04.800.83 जेएनएनयूआरएम के लिए उ.दि.न.नि. को सहायता अनुदान                                 | 25.00           | 25.00           | 100.00 | कम अनुदान जारी किया जाना |
| 33 | 3054.04.800.82 जेएनएनयूआरएम के लिए द.दि.न.नि. को सहायता अनुदान                                 | 20.00           | 15.00           | 75.00  | कम अनुदान जारी किया जाना |
| 34 | 3054.04.800.80 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के निर्माण के लिए उ.दि.न.नि. को सहायता अनुदान                | 28.00           | 28.00           | 100.00 | कम अनुदान जारी किया जाना |
| 35 | 2801.05.800.81 इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के लिए दिल्ली ट्रांस्को लिमि. को सहायता अनुदान | 60.00           | 59.50           | 99.17  | कम अनुदान जारी किया जाना |
| 36 | 4055.00.212.90.00.42 डी.एफ.एस.एल.  | 25.00           | 24.00           | 96.00  | कार्य की धीमी प्रगति     |
| 37 | 4210.04.101.89.00.53 पी.एच.सी. का निर्माण  | 100.00          | 79.00           | 79.00  | कार्य की धीमी प्रगति     |
| 38 | 4235.02.104.97.00.42 सेवा कुटीर का निर्माण   | 20.00           | 20.00           | 100.00 | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन |
| 39 | 4250.00.203.96.00.53 आई.टी.आई. का निर्माण  | 65.00           | 55.00           | 84.62  | कार्य की धीमी प्रगति     |
| 40 | 5054.04.800.84.00.53 लो.नि.वि. सड़कों की स्ट्रीट स्कैंपिंग                                     | 59.00           | 57.00           | 96.61  | कार्य की धीमी प्रगति     |
| 41 | 5054.04.800.83.00.53 सड़कों का व्यापक रूप से रख-रखाव   | 100.00          | 100.00          | 100.00 | कार्य की धीमी प्रगति     |
| 42 | 5054.04.800.82.00.53 एल.ई.डी. स्क्रीनों का प्रावधान  | 137.00          | 136.00          | 99.27  | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन |
| 43 | 5054.04.800.81.00.53 सी.सी.टी.पी. कैमरों का प्रतिष्ठापन  | 200.00          | 190.00          | 95.00  | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन |
| 44 | 5054.04.800.80.00.53 अंधेरी जगहों पर स्ट्रीट लाइटों का प्रतिष्ठापन                             | 114.00          | 100.00          | 87.72  | स्कीम का गैर-कार्यान्वयन |
|    | <b>कुल</b>   | <b>2,425.48</b> | <b>2,206.15</b> |        |                          |

## परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं हुआ, का विवरण  
(पैराग्राफ 2.3.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अनुदान/विनियोग की सं. तथा नाम              | बचत      |          | अभ्यर्पण | बचतें जिनका अभ्यर्पण किया जाना था |
|---------|--|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| 1       | अनुदान सं. 2 : सामान्य प्रशासन             | दत्तमत्त | 171.38   | 48.28    | 123.10                            |
|         |  | प्रभारित | 5.11     | 0.00     | 5.11                              |
| 2       | अनुदान सं. 3 : न्याय का प्रशासन            | दत्तमत्त | 174.32   | 27.69    | 146.63                            |
|         |  | प्रभारित | 87.30    | 86.08    | 1.22                              |
| 3       | अनुदान सं. 4 : वित्त                       | दत्तमत्त | 301.45   | 76.77    | 224.68                            |
| 4       | अनुदान सं. 5: गृह                          | दत्तमत्त | 76.38    | 39.81    | 36.57                             |
| 5       | अनुदान सं. 6: शिक्षा                       | दत्तमत्त | 1,804.47 | 992.59   | 811.88                            |
| 6       | अनुदान सं. 7 : चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य   | दत्तमत्त | 958.54   | 570.97   | 387.57                            |
| 7       | अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण                 | दत्तमत्त | 561.88   | 53.04    | 508.84                            |
| 8       | अनुदान सं. 9 : उद्योग                      | दत्तमत्त | 120.30   | 87.66    | 32.64                             |
| 9       | अनुदान सं. 10 : विकास                      | दत्तमत्त | 1,244.04 | 863.77   | 380.27                            |
| 10      | अनुदान सं. 11 : शहरी विकास तथा लोक निर्माण | दत्तमत्त | 3,330.25 | 2,413.01 | 917.24                            |
|         | कुल  |          | 8,835.42 | 5,259.67 | 3,575.75                          |

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह  
(पैराग्राफ 2.3.10 को देखें)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.  | लेखों के शीर्ष   | बजट    | कुल व्यय | 2016-17 की अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय |           | मार्च 2017 में किया गया व्यय |           |
|---|--|--------|----------|---|-----------|------------------------------|-----------|
|   |  |        |          | राशि  | प्रतिशतता | राशि                         | प्रतिशतता |
| <b>अनुदान सं. 2 : सामान्य प्रशासन</b>           |  |        |          |   |           |                              |           |
| 1   | 205500113940031-<br>सहायता-अनुदान-सामान्य  | 12.00  | 12.00    | 12.00   | 100.00    | 12.00                        | 100.00    |
| 2   | 205500113940035-<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान   | 12.00  | 12.00    | 12.00   | 100.00    | 12.00                        | 100.00    |
| <b>अनुदान सं. 4 : वित्त</b>                     |  |        |          |   |           |                              |           |
| 3   | 761500200760055-<br>स्वायत्त/स्थानीय निकायों को अर्थोपाय ऋण  | 700.00 | 531.00   | 531.00  | 100.00    | 331.00                       | 62.34     |
| <b>अनुदान सं. 6 : शिक्षा</b>                    |  |        |          |   |           |                              |           |
| 4   | 220202800690050-<br>अन्य प्रभार  | 47.00  | 29.33    | 18.83   | 64.22     | 16.24                        | 55.36     |
| 5   | 220400103780005-<br>श्रेष्ठ खिलाड़ियों/स्पोर्ट्स मैन तथा राजीव गांधी स्पोर्ट्स एवार्ड को नकद प्रोत्साहन              | 18.00  | 17.61    | 10.53   | 59.81     | 10.53                        | 59.81     |
| 6   | 420201600940042-<br>स्कूल बिल्डिंग के कार्य की आउटसोर्सिंग   | 280.00 | 201.95   | 136.86  | 67.77     | 136.23                       | 67.46     |
| <b>अनुदान सं. 7 : चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b> |  |        |          |   |           |                              |           |
| 7   | 620202105940055-<br>इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी), दिल्ली को ऋण                              | 100.00 | 100.00   | 70.00   | 70.00     | 70.00                        | 70.00     |
| 8   | 221001110330031-<br>सहायता अनुदान-सामान्य  | 25.00  | 17.25    | 12.50   | 72.46     | 12.48                        | 72.32     |
| 9   | 221001110330036-<br>सहायता अनुदान-वेतन   | 35.00  | 25.25    | 17.50   | 69.31     | 17.50                        | 69.31     |
| 10  | 221001800520035-<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान   | 24.05  | 24.05    | 20.45   | 85.03     | 20.45                        | 85.03     |
| 11  | 221001800840036-<br>सहायता अनुदान-वेतन   | 25.00  | 25.00    | 15.00   | 60.00     | 15.00                        | 60.00     |
| 12  | 221006800820035-<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान   | 70.00  | 70.00    | 52.50   | 75.00     | 52.50                        | 75.00     |
| 13  | 221100800950036-<br>सहायता अनुदान-वेतन   | 39.00  | 39.00    | 24.00   | 61.54     | 24.00                        | 61.54     |
| <b>अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण</b>               |  |        |          |   |           |                              |           |
| 14  | 222501277600042-<br>स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को किताबों तथा स्टेशनरी की निःशुल्क आपूर्ति                 | 70.00  | 25.62    | 25.06   | 97.81     | 25.06                        | 97.81     |
| 15  | 222501277730034-<br>अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./तथा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति/मेरिट छात्रवृत्ति- कक्षा I से XII तक | 68.00  | 20.62    | 20.62   | 100.00    | 20.62                        | 100.00    |

|   |   |                 |                 |                 |        |                 |        |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 16  | 222501789930034-<br>अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति/मेरिट छात्रवृत्ति- कक्षा I से XII तक (एस.सी.एस.पी.) | 47.00           | 12.64           | 12.32           | 97.50  | 12.32           | 97.50  |
| 17  | 222501789950042-<br>स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को किताबों तथा स्टेशनरी की निःशुल्क आपूर्ति (एस.सी.एस.पी.)                 | 58.00           | 17.18           | 16.98           | 98.86  | 16.98           | 98.86  |
| 18  | 223602101900042-<br>अनुपूरक पोषण कार्यक्रम  | 65.00           | 58.72           | 45.18           | 76.95  | 32.42           | 55.21  |
| 19  | 305500190990033-<br>रियायती पास के लिए दि.प.नि. को आर्थिक सहायता  | 92.00           | 92.00           | 92.00           | 100.00 | 92.00           | 100.00 |
| 20  | 423502103980053-<br>नौकरीपेशा महिलाओं के हॉस्टल का निर्माण  | 14.70           | 12.93           | 12.53           | 96.89  | 12.53           | 96.89  |
| 21  | 505500050880042-<br>नए बस टर्मिनल के लिए भूमि का क्रय   | 60.49           | 54.64           | 37.08           | 67.86  | 33.26           | 60.89  |
| 22  | 705500190940055-<br>केन्द्रीय करों के पुनर्भुगतान के लिए एम.आर.टी.एस. को ऋण   | 671.00          | 671.00          | 671.00          | 100.00 | 571.00          | 85.10  |
| <b>अनुदान सं. 10 : विकास</b>                      |   |                 |                 |                 |        |                 |        |
| 23  | 240400800960031-<br>सहायता अनुदान-सामान्य   | 25.00           | 19.95           | 17.20           | 86.21  | 14.45           | 72.43  |
| <b>अनुदान सं. 11 : शहरी विकास एवं लोक निर्माण</b> |   |                 |                 |                 |        |                 |        |
| 24  | 221502191880035-<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान  | 200.00          | 200.00          | 107.50          | 53.75  | 107.50          | 53.75  |
| 25  | 221704191550035-<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान  | 55.00           | 53.15           | 53.15           | 100.00 | 53.15           | 100.00 |
| 26  | 221704191719731-<br>सहायता अनुदान- सामान्य  | 14.00           | 14.00           | 12.65           | 90.36  | 12.65           | 90.36  |
| 27  | 221704191719935-<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान  | 14.75           | 14.75           | 14.75           | 100.00 | 14.75           | 100.00 |
| 28  | 221780191539835-<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान  | 23.00           | 23.00           | 22.26           | 96.77  | 22.26           | 96.77  |
| 29  | 221780191539935-<br>पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान  | 18.00           | 18.00           | 17.88           | 99.32  | 17.88           | 99.32  |
| 30  | 505404800890042-<br>सी.आर.एफ. स्कीम   | 46.00           | 15.00           | 14.00           | 93.33  | 14.00           | 93.33  |
| 31  | 621502191860055-<br>जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के लिए दि.ज.बो. को ऋण   | 24.00           | 24.00           | 24.00           | 100.00 | 24.00           | 100.00 |
| 32  | 680100203910055-<br>प्रगति पावर परियोजना- III, बवाना को ऋण  | 69.98           | 69.98           | 69.98           | 100.00 | 69.98           | 100.00 |
| <b>कुल</b>  |   | <b>3,022.97</b> | <b>2,521.62</b> | <b>2,219.31</b> |        | <b>1,896.74</b> |        |

**परिशिष्ट 2.8**  
**पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण**  
**(पैराग्राफ: 2.3.11 (ख) को देखें)**

(₹ हजार में)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष           | अनुदान सं. | स्कीम का नाम   | अधिक राशि |
|----------|----------------------|------------|--|-----------|
| 1        | 4202.01.600.95.00.42 | 6          | स्कूल बिल्डिंग का निर्माण (उप शीर्ष)   | 4,00,000  |
| 2        | 4202.01.600.94.00.42 | 6          | स्कूल बिल्डिंग के कार्य की आउटसोर्सिंग (उप शीर्ष)  | 58,00,000 |
| 3        | 4202.04.800.90.00.42 | 6          | स्मारकों का संरक्षण (उ.शी.)  | 51,000    |
| 4        | 4202.04.800.89.00.42 | 6          | म्यूजियम तथा आर्ट-गैलरी (उ.शी.)  | 5,000     |
| 5        | 4202.01.203.96.00.42 | 6          | इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की बिल्डिंग का विध्वंस तथा भूमि का आवंटन (उ.शी.)                                      | 50,000    |
| 6        | 4235.02.104.98.00.42 | 8          | वृद्धावस्था गृह (उ.शी.)  | 20,000    |
| 7        | 4235.02.800.94.00.27 | 8          | विद्यमान बिल्डिंग में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान (एस.डब्ल्यू.डी.) (उ.शी.)                                     | 20,000    |
| 8        | 4235.02.800.93.00.27 | 8          | वर्तमान बिल्डिंग में अतिरिक्त सुविधायों के प्रावधान (डब्ल्यू.सी.डी.) (उ.शी.)                                     | 15,000    |
| 9        | 4225.01.789.98.00.42 | 8          | अ.जा. बस्तियों का सुधार (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)   | 5,00,000  |
| 10       | 4403.00.101.90.00.42 | 10         | अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में संक्रामक रोगों का नियंत्रण तथा पशु-चिकित्सा सेवाएँ (उ.शी.)                           | 30,000    |
| 11       | 4515.00.103.93.00.42 | 10         | आई.डी.आर.वी. के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड (उ.शी.)                | 13,85,800 |
| 12       | 4515.00.789.97.00.42 | 10         | आई.डी.आर.वी. के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.) | 3,04,200  |
| 13       | 4515.00.101.98.00.42 | 10         | पंचायत इकाईयों तथा उनके कार्यों का आधुनिकीकरण (उ.शी.)  | 1,00,000  |
| 14       | 4406.02.110.98.00.42 | 10         | वन्य जीवन अभयारण्य वन्य जीवन सेक्शन का विकास (उ.शी.)   | 1,10,000  |
| 15       | 4406.02.112.99.00.42 | 10         | चकबंदी को शामिल करते हुए वनों का विकास (उ.शी.)   | 80,000    |
| 16       | 5425.00.208.84.00.42 | 10         | उद्यान कृषि/पुष्पकृषि  | 10,000    |
| 17       | 5425.00.208.88.00.42 | 10         | एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन (उ.शी.)   | 5,000     |
| 18       | 4217.60.050.99.00.42 | 11         | सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण (उ.शी.)  | 5,000     |
| 19       | 4217.60.050.98.00.42 | 11         | वेन विलेज का विकास (उ.शी.)   | 100,000   |
| 20       | 4217.60.050.95.00.42 | 11         | आप्राधिकृत कॉलोनियों का विकास (उ.शी.)  | 37,95,000 |
| 21       | 4055.00.212.90.00.42 | 11         | दिल्ली फॉरेन्सिक साईंस लैबोरेटरी (उ.शी.)   | 2,50,000  |
| 22       | 4059.60.051.80.90.42 | 11         | न्यायिक मामलों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएँ (सीएसएस)   | 2,00,000  |
| 23       | 4070.00.800.89.00.42 | 11         | सैन्ट्रल जेल बिल्डिंग (उ.शी.)  | 4,00,000  |
| 24       | 4202.01.203.97.00.42 | 11         | दिल्ली सरकार प्रायोजित कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण (उ.शी.)   | 12,10,000 |
| 25       | 4202.01.800.97.00.42 | 11         | शिक्षा विभाग की विद्यमान बिल्डिंग में अतिरिक्त सुविधाएँ/नवीनीकरण निर्माण कार्य (उ.शी.)                           | 70,000    |
| 26       | 4202.01.105.88.00.42 | 11         | जी.बी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज (उ.शी.)  | 15,000    |
| 27       | 4202.01.105.87.00.42 | 11         | गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जफरपुर (उ.शी.)   | 10,000    |
| 28       | 4202.01.105.85.00.42 | 11         | इंजीनियरिंग कॉलेज तथा गीता कॉलोनी (उ.शी.)  | 20,000    |
| 29       | 4202.03.800.89.00.42 | 11         | खेल के मैदान, खेल परिसरों तथा स्वीमिंग पूल इत्यादि का विकास (उ.शी.)  | 90,000    |

|    |                      |    |  |                    |
|----|----------------------|----|--|--------------------|
| 30 | 4202.03.800.80.00.42 | 11 | दिल्ली स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स (उ.शी.)  | 2,000              |
| 31 | 4202.04.101.99.00.42 | 11 | कॉलेज ऑफ आर्ट (उ.शी.)  | 30,000             |
| 32 | 4202.04.104.96.00.42 | 11 | पुरालेख विभाग (उ.शी.)  | 5,000              |
| 33 | 4210.01.110.99.88.42 | 11 | राज्य औषधि प्राधिकरण तथा क्रय एजेंसी   | 4,000              |
| 34 | 4210.01.110.99.81.42 | 11 | आर.जी.एस.एस.एच. ताहिर पुर (उ.शी.)  | 50,000             |
| 35 | 4210.01.110.99.78.42 | 11 | आई.एस.एम. होम्योपैथी निदेशालय  | 17,000             |
| 36 | 4210.01.110.99.75.42 | 11 | ए.एस. जैन आई अस्पताल, लॉरेस रोड  | 5,000              |
| 37 | 4210.01.110.99.69.42 | 11 | डी.एच.ए.एस. कडकडूमा  | 46,000             |
| 38 | 4210.01.110.99.68.42 | 11 | एस.आर.एच.एच. नरेला   | 25,000             |
| 39 | 4210.01.110.99.67.42 | 11 | डी.डी.यू. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जनकपुरी   | 30,000             |
| 40 | 4210.01.110.99.66.42 | 11 | श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय   | 20,000             |
| 41 | 4210.01.110.99.65.42 | 11 | डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल  | 1,00,000           |
| 42 | 4210.01.110.99.64.42 | 11 | जी.बी. पन्त अस्पताल  | 90,000             |
| 43 | 4210.01.110.99.63.42 | 11 | लोकनायक अस्पताल  | 2,00,000           |
| 44 | 4210.01.110.99.62.42 | 11 | गुरुनानक आई अस्पताल  | 30,000             |
| 45 | 4210.01.110.99.61.42 | 11 | जी.टी.बी. मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल  | 2,00,000           |
| 46 | 4210.01.110.99.60.42 | 11 | डी.डी.यू.एच.   | 80,000             |
| 47 | 4210.01.110.99.59.42 | 11 | एस.बी.बी.पी.एच.  | 10,000             |
| 48 | 4210.01.110.99.58.42 | 11 | मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल  | 20,000             |
| 49 | 4210.01.110.99.57.42 | 11 | आचार्य भिक्षु अस्पताल  | 15,000             |
| 50 | 4210.01.110.99.56.42 | 11 | महर्षि वाल्मिकी अस्पताल  | 1,20,000           |
| 51 | 4210.01.110.99.55.42 | 11 | शास्त्री पार्क कॉलोनी अस्पताल  | 30,000             |
| 52 | 4210.01.110.99.54.42 | 11 | भगवानमहावीर अस्पताल  | 50,000             |
| 53 | 4210.01.110.99.53.42 | 11 | राव तुलाराम अस्पताल  | 60,000             |
| 54 | 4210.01.110.99.52.42 | 11 | डा.एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल  | 10,000             |
| 55 | 4210.01.110.99.50.42 | 11 | हैल्थ कम मेटरनिटी सेन्टर कान्ति नगर  | 10,000             |
| 56 | 4210.01.110.99.49.42 | 11 | अरुणा आसफ अली अस्पताल  | 4,000              |
| 57 | 4210.01.789.99.00.42 | 11 | एस.जी.एम.एच. (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)  | 1,00,000           |
| 58 | 4210.01.789.98.00.42 | 11 | एल.बी.एस.एच. (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)  | 40,000             |
| 59 | 4210.01.789.97.00.42 | 11 | बी.जे.जे.एच. (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)  | 30,000             |
| 60 | 4210.01.789.95.00.42 | 11 | जी.जी.एस.एच. (एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)  | 1,00,000           |
| 61 | 4210.03.101.99.99.42 | 11 | आयुर्वेदिक, यूनानी एवं तिबिया कॉलेज का नवीनीकरण                                  | 25,000             |
| 62 | 4210.03.101.99.98.42 | 11 | आई.एस.एम. का विकास सुदृढीकरण   | 5,000              |
| 63 | 4210.03.102.98.00.42 | 11 | होम्योपैथी की विकास स्वास्थ्य देखभाल सेवार्यें (उ.शी.)                           | 10,000             |
| 64 | 4235.02.101.87.00.42 | 11 | मानसिक रूप से विकलांगों के लिए गृह का विकास (उ.शी.)                              | 1,00,000           |
| 65 | 4235.02.104.97.00.42 | 11 | सेवा कुटीर का निर्माण (उ.शी.)  | 2,00,000           |
| 66 | 4235.02.800.90.00.42 | 11 | विद्यमान बिल्डिंगों में प्रावधान तथा अतिरिक्त सुविधायें (पी.डब्ल्यू.डी.) (उ.शी.) | 1,00,000           |
| 67 | 5054.04.800.99.00.42 | 11 | सड़क तथा पुलों का निर्माण (उ.शी.)  | 1,03,10,000        |
| 68 | 5054.04.800.90.00.42 | 11 | यमुनापार क्षेत्र में सड़क तथा पुलों का निर्माण (उ.शी.)                           | 10,000             |
| 69 | 5054.04.800.89.00.42 | 11 | सी.आर.एफ. स्कीम (उ.शी.)  | 10,000             |
| 70 | 4801.05.190.91.00.32 | 11 | झज्जर हरियाणा में जे.वी.सी. पावर प्लान्ट को इक्विटी अंशदान (उ.शी.)               | 50,000             |
| 71 | 4801.05.190.84.00.32 | 11 | एकीकृत पावर विकास स्कीम के लिए इक्विटी (उ.शी.)                                   | 2,00,000           |
| 72 | 4801.05.800.91.00.42 | 11 | भूमि का क्रय (उ.शी.)   | 4,80,000           |
| 73 | 4801.05.800.88.00.42 | 11 | मैरा-II महान कोल ब्लॉक का विकास (उ.शी.)  | 10,000             |
| 74 | 4810.00.102.96.00.42 | 11 | रिन्यूबल एनर्जी (उ.शी.)  | 50,000             |
|    |                      |    | <b>कुल</b>   | <b>2,81,44,000</b> |

परिशिष्ट 2.9

विस्तृत शीर्ष 99 में व्यय का गलत वर्गीकरण जोकि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आरक्षित था  
(पैराग्राफ 2.3.11 (ग) को देखें)

(₹ हजार में)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष           | अनुदान सं. | स्कीम का नाम   | अधिक धनराशि |
|----------|----------------------|------------|--|-------------|
| 1        | 2202.01.107.85.99.31 | 6          | सहायता अनुदान- सामान्य   | 30,000      |
| 2        | 2202.01.107.85.99.36 | 6          | सहायता अनुदान- वेतन  | 1,70,000    |
| 3        | 2202.04.800.37.99.50 | 6          | अन्य प्रभार  | 40,000      |
| 4        | 2230.03.101.94.99.42 | 6          | बर्ड बैंक शेयर   | 18,500      |
| 5        | 2205.00.101.99.99.01 | 6          | वेतन   | 1,23,000    |
| 6        | 2205.00.101.99.99.03 | 6          | ओ.टी.ए.  | 10          |
| 7        | 2205.00.101.99.99.06 | 6          | चिकित्सा इलाज  | 1,700       |
| 8        | 2205.00.101.99.99.11 | 6          | घरेलू यात्रा व्यय  | 500         |
| 9        | 2205.00.101.99.99.13 | 6          | कार्यालय व्यय  | 11,390      |
| 10       | 2205.00.101.99.99.21 | 6          | आपूर्ति तथा मर्दे  | 1,200       |
| 11       | 2205.00.101.99.99.28 | 6          | व्यवसायिक सेवार्ये   | 100         |
| 12       | 2205.00.101.99.99.34 | 6          | छात्रवृत्ति तथा वजीफा  | 500         |
| 13       | 2205.00.101.99.99.50 | 6          | अन्य प्रभार  | 2,300       |
| 14       | 2205.00.789.99.99.42 | 6          | अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों का अकादमी विकास<br>(एस.सी.एस.पी.) (उ.शी.)      | 200         |
| 15       | 2203.00.112.65.99.01 | 6          | वेतन   | 78,480      |
| 16       | 2203.00.112.65.99.06 | 6          | चिकित्सा इलाज  | 1,000       |
| 17       | 2203.00.112.65.99.11 | 6          | घरेलू यात्रा व्यय  | 120         |
| 18       | 2203.00.112.65.99.13 | 6          | कार्यालय व्यय  | 18,000      |
| 19       | 2203.00.112.65.99.21 | 6          | आपूर्ति तथा सामग्री  | 700         |
| 20       | 2203.00.112.65.99.28 | 6          | व्यवसायिक सेवार्ये   | 4,000       |
| 21       | 2203.00.112.65.99.34 | 6          | छात्रवृत्ति तथा वजीफा  | 3,000       |
| 22       | 2203.00.112.65.99.50 | 6          | अन्य प्रभार  | 10,000      |
| 23       | 2202.03.800.87.99.42 | 6          | उच्च शिक्षा निदेशालय   | 25,000      |
| 24       | 2210.01.200.89.99.50 | 7          | अन्य प्रभार  | 5,50,000    |
| 25       | 2210.06.101.50.99.31 | 7          | मलेरिया के लिए सहायता अनुदान- सामान्य<br>(दि.न.नि.)                  | 1,59,700    |
| 26       | 2210.06.101.50.99.35 | 7          | मलेरिया के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के<br>सृजन के लिए सहायता अनुदान | 42,500      |
| 27       | 2210.06.101.50.99.36 | 7          | मलेरिया के लिए सहायता अनुदान- वेतन<br>(दि.न.नि.)                     | 1,908,00    |
| 28       | 2210.05.105.99.99.01 | 7          | मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज-वेतन  | 17,77,450   |
| 29       | 2210.05.105.99.99.03 | 7          | ओ.टी.ए.  | 200         |
| 30       | 2210.05.105.99.99.06 | 7          | चिकित्सा इलाज  | 10,300      |
| 31       | 2210.05.105.99.99.11 | 7          | घरेलू यात्रा व्यय  | 3,300       |
| 32       | 2210.05.105.99.99.12 | 7          | विदेशी यात्रा व्यय   | 500         |
| 33       | 2210.05.105.99.99.13 | 7          | कार्यालय व्यय  | 1,80,900    |
| 34       | 2210.05.105.99.99.14 | 7          | किराये, दर तथा कर  | 250         |

|    |                      |    |  |          |
|----|----------------------|----|--|----------|
| 35 | 2210.05.105.99.99.21 | 7  | आपूर्ति तथा सामग्री                              | 17,500   |
| 36 | 2210.05.105.99.99.34 | 7  | छात्रवृत्ति तथा वजीफा                            | 1,500    |
| 37 | 2210.05.105.99.99.50 | 7  | अन्य प्रभार                                      | 2,100    |
| 38 | 2210.02.102.60.99.01 | 7  | होम्योपैथिक डिस्पेंसरी/यूनिट्स (उ.शौ.)- वेतन     | 1,07,740 |
| 39 | 2210.02.102.60.99.03 | 7  | ओ.टी.ए.  | 10       |
| 40 | 2210.02.102.60.99.06 | 7  | चिकित्सा इलाज                                    | 1,640    |
| 41 | 2210.02.102.60.99.11 | 7  | घरेलू यात्रा व्यय                                | 110      |
| 42 | 2210.02.102.60.99.13 | 7  | कार्यालय व्यय                                    | 7,450    |
| 43 | 2210.02.102.60.99.16 | 7  | प्रकाशन  | 200      |
| 44 | 2210.02.102.60.99.21 | 7  | आपूर्ति तथा सामग्री                              | 650      |
| 45 | 2210.02.102.60.99.26 | 7  | विज्ञापन तथा प्रसारण                             | 600      |
| 46 | 2210.02.102.60.99.50 | 7  | अन्य प्रभार                                      | 2,000    |
| 47 | 2041.00.800.73.99.42 | 8  | उत्तरी दिल्ली नगर निगम                           | 4,08,700 |
| 48 | 2403.00.101.91.99.42 | 10 | फुट एण्ड माउण्ट डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (सीएसएम) | 1,000    |
| 49 | 2053.00.094.98.99.28 | 10 | व्यवसायिक सेवार्ये                               | 500      |
| 50 | 2070.00.800.64.99.01 | 10 | वेतन   | 23,800   |
| 51 | 2070.00.800.64.99.03 | 10 | ओ.टी.ए.  | 60       |
| 52 | 2070.00.800.64.99.06 | 10 | चिकित्सा इलाज                                    | 1,300    |
| 53 | 2070.00.800.64.99.11 | 10 | घरेलू यात्रा व्यय                                | 40       |
| 54 | 2070.00.800.64.99.13 | 10 | कार्यालय व्यय                                    | 9,000    |
| 55 | 2070.00.800.64.99.26 | 10 | विज्ञापन तथा प्रसारण                             | 1,000    |
| 56 | 2070.00.800.64.99.28 | 10 | व्यवसायिक सेवार्ये                               | 500      |
| 57 | 2070.00.800.64.99.50 | 10 | अन्य प्रभार                                      | 45,000   |
| 58 | 2015.00.106.97.99.42 | 10 | चुनाव पर व्यय                                    | 10,000   |
| 59 | 2245.02.101.94.99.42 | 10 | दक्षिण जोन- अन्य मदें                            | 1,500    |
| 60 | 2015.00.106.88.99.42 | 10 | दक्षिण पश्चिम- चुनाव पर व्यय                     | 20,000   |
| 61 | 2245.02.101.93.99.42 | 10 | दक्षिण पश्चिम जोन- अन्य मदें                     | 2,000    |
| 62 | 2015.00.106.98.99.42 | 10 | पूर्वी जिले- चुनाव पर व्यय                       | 5,000    |
| 63 | 2245.02.101.88.99.42 | 10 | पूर्वी जोन- अन्य मदें                            | 10,000   |
| 64 | 2245.02.101.92.99.42 | 10 | दक्षिण जोन- अन्य मदें                            | 5,000    |
| 65 | 2015.00.800.93.99.01 | 10 | उत्तरी पूर्वी जोन- विधायिका कार्यकाल- वेतन       | 4,000    |
| 66 | 2015.00.800.93.99.06 | 10 | चिकित्सा इलाज                                    | 70       |
| 67 | 2245.02.101.91.99.42 | 10 | उत्तरी पूर्वी जोन- अन्य मदें                     | 4,000    |
| 68 | 2015.00.106.95.99.42 | 10 | उत्तरी पश्चिमी जिला- चुनाव पर व्यय               | 15,000   |
| 69 | 2245.02.101.90.99.42 | 10 | उत्तरी पश्चिमी जोन- अन्य मदें                    | 7,000    |
| 70 | 2245.02.101.89.99.42 | 10 | उत्तरी जोन- अन्य मदें                            | 5,000    |
| 71 | 2245.02.101.49.99.42 | 10 | शाहदरा जोन- अन्य मदें                            | 12,000   |
| 72 | 2245.02.101.48.99.42 | 10 | दक्षिण पूर्वी जोन- अन्य मदें                     | 6,500    |
| 73 | 2401.00.119.99.99.01 | 10 | इंसेंटिव वेजीटेबल क्रेश प्रोग्राम- वेतन          | 27,000   |
| 74 | 2401.00.119.99.99.03 | 10 | ओ.टी.ए.  | 30       |
| 75 | 2401.00.119.99.99.06 | 10 | चिकित्सा इलाज                                    | 1,500    |
| 76 | 2401.00.119.99.99.11 | 10 | घरेलू यात्रा व्यय                                | 15       |
| 77 | 2401.00.119.99.99.13 | 10 | कार्यालय व्यय                                    | 30       |



**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|     |                      |    |  |                    |
|-----|----------------------|----|--|--------------------|
| 78  | 2202.01.103.98.99.31 | 11 | नई दिल्ली नगर परिषद - सहायता अनुदान- सामान्य   | 71,080             |
| 79  | 2202.01.103.98.99.36 | 11 | नई दिल्ली नगर परिषद- सहायता अनुदान- वेतन   | 2,84,320           |
| 80  | 2202.01.103.97.99.31 | 11 | दिल्ली छावनी बोर्ड- सहायता अनुदान- सामान्य   | 48,400             |
| 81  | 2202.02.191.98.99.31 | 11 | माध्यमिक शिक्षा के लिए न.दि.न.प.- सहायता अनुदान-सामान्य  | 88,506             |
| 82  | 2202.02.191.98.99.36 | 11 | माध्यमिक शिक्षा के लिए न.दि.न.प.- सहायता अनुदान-वेतन   | 3,53,994           |
| 83  | 2217.04.191.98.99.31 | 11 | नई दिल्ली नगर निगम को अनुदान सहायता अनुदान- सामान्य  | 44,060             |
| 84  | 2217.04.191.98.99.36 | 11 | नई दिल्ली नगर निगम को अनुदान सहायता अनुदान- वेतन   | 3,96,540           |
| 85  | 2217.04.191.71.99.36 | 11 | जे.जे.आर. कॉलोनी में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान के लिए न.दि.न.नि. को अनुदान- सहायता अनुदान- वेतन                | 10,000             |
| 86  | 2217.04.789.97.99.36 | 11 | जे.जे.आर. कॉलोनी में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान के लिए न.दि.न.नि. को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)- सहायता अनुदान- वेतन | 10,000             |
| 87  | 2217.80.191.53.99.35 | 11 | पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए समुदाय केन्द्र के निर्माण के लिए न.दि.न.नि. को अनुदान                        | 4,900              |
| 88  | 2217.80.191.44.99.35 | 11 | पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान   | 1,00,000           |
| 89  | 2217.80.191.31.99.31 | 11 | सहायता अनुदान- सामान्य   | 5,000              |
| 90  | 2217.80.191.22.99.31 | 11 | सहायता अनुदान- सामान्य   | 15,00,000          |
| 91  | 2217.80.191.22.99.35 | 11 | पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान   | 4,50,000           |
| 92  | 2217.80.191.22.99.36 | 11 | सहायता अनुदान- वेतन  | 1,90,000           |
| 93  | 2217.80.191.19.99.35 | 11 | पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान   | 4,00,000           |
| 94  | 2217.80.191.04.99.35 | 11 | पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान-न.दि.न.नि. अपशिष्ट प्रबंधन  | 2,45,000           |
| 95  | 2217.80.789.97.99.35 | 11 | पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान   | 100                |
| 96  | 3604.00.200.85.99.50 | 11 | न.दि.न.नि.   | 34,15,657          |
| 97  | 6217.60.191.96.99.55 | 11 | नियमित किए गए अप्राधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए न.दि.न.नि. को ऋण  | 20,000             |
| 98  | 6217.60.191.91.99.55 | 11 | अनुमोदित कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए न.दि.न.नि. को ऋण   | 1,50,000           |
| 99  | 6217.60.789.98.99.55 | 11 | नियमित किए गए अप्राधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए न.दि.न.नि. को ऋण (एस.सी.एस.पी.)                                 | 10,000             |
| 100 | 3054.04.800.94.99.27 | 11 | जिला मार्ग - रख-रखाव   | 50,04,200          |
| 101 | 4210.03.101.99.99.42 | 11 | आयुर्वेदिक तथा तिबिया कॉलेज का नवीकरण  | 25,000             |
|     |                      |    | <b>कुल</b>   | <b>1,70,50,402</b> |

**परिशिष्ट 2.10**  
**अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत**  
**(पैराग्राफ 2.5 (v) को देखें)**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं.       | विस्तृत शीर्ष                        | मूल+अनुपूरक+<br>पुनर्विनियोजन | व्यय  | बचत  |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------|------|
| 1              | 2401 बी 1(2)(1) (प्रभारित)           | 0.01                          | शून्य | 0.01 |
| 2              | 2401 बी 1(10)(2)                     | 0.10                          | शून्य | 0.10 |
| 3              | 2402 बी 2(1)(2)                      | 0.03                          | शून्य | 0.03 |
| 4              | 2402 बी 2(2)(1)                      | 0.01                          | शून्य | 0.01 |
| 5              | 2403 बी 3(2)(6)(1)                   | 0.05                          | शून्य | 0.05 |
| 6              | 2403 बी 3(2)(7)(1)                   | 0.05                          | शून्य | 0.05 |
| 7              | 2403 बी 3(2)(10)                     | 0.05                          | शून्य | 0.05 |
| 8              | 2403 बी 3(4)(1)                      | 0.01                          | शून्य | 0.01 |
| 9              | 2711 डी 3 (2)(2)(1)                  | 0.41                          | शून्य | 0.41 |
| 10             | 2711 डी 3 (2)(2)(2)                  | 0.01                          | शून्य | 0.01 |
| 11             | 2053 ई 3(1)(1) (प्रभारित)            | 0.02                          | शून्य | 0.02 |
| 12             | 2235 ई 6 (1)(3)(1)(1)                | 0.06                          | शून्य | 0.06 |
| 13             | 2245 ई 7 (2)(1)(2)                   | 0.50                          | शून्य | 0.50 |
| 14             | 2245 ई 7 (2)(1)(3)                   | 1.00                          | शून्य | 1.00 |
| 15             | 2070 ई 15 (1)(1)(1) (प्रभारित)       | 0.02                          | शून्य | 0.02 |
| 16             | 2070 ई 15 (1)(1)(2)                  | 0.50                          | शून्य | 0.50 |
| 17             | 2406 एफ 2 (1)(2)(1)(1)<br>(प्रभारित) | 0.01                          | शून्य | 0.01 |
| 18             | 2406 एफ 2 (2)(1)(4)                  | 0.02                          | शून्य | 0.02 |
| 19             | 2406 एफ 2 (2)(1)(5)                  | 0.05                          | शून्य | 0.05 |
| 20             | 2053 जी 2 (3)(1)(2)                  | 0.30                          | शून्य | 0.30 |
| 21             | 2053 एच 3 (3)(1)(1)                  | 0.60                          | शून्य | 0.60 |
| 22             | 2053 के 3 (3)(1)(1)                  | 0.40                          | शून्य | 0.40 |
| 23             | 2053 एम 3 (3)(1)(2)                  | 5.00                          | शून्य | 5.00 |
| 24             | 2053 ओ 3 (3) (1)(1)                  | 0.40                          | शून्य | 0.40 |
| 25             | 2053 पी 3 (3)(1)(1)                  | 0.30                          | शून्य | 0.30 |
| 26             | 2053 पी 3 (3)(1)(2)                  | 5.00                          | शून्य | 5.00 |
| 27             | 3435 आर 1 (2)(1)(3)                  | 0.10                          | शून्य | 0.10 |
| 28             | 3435 आर 1 (2)(2)(1)                  | 0.01                          | शून्य | 0.01 |
| 29             | 3435 आर 1 (3)(1)(4)                  | 0.20                          | शून्य | 0.20 |
| 30             | 3435 आर 1 (3)(2)(1)                  | 0.04                          | शून्य | 0.04 |
| 31             | 2810 आर 4 (1)(1)(2)                  | 4.50                          | शून्य | 4.50 |
| 32             | 2401 आर 6 (1)(1)                     | 0.10                          | शून्य | 0.10 |
| 33             | 2401 आर 6 (2)(2)                     | 2.00                          | शून्य | 2.00 |
| <b>पूँजीगत</b> |                                      |                               |       |      |
| 34             | 4402 बीबी 1 (1)(1)                   | 0.50                          | शून्य | 0.50 |
| 35             | 4711 डीडी 2 (2)(1)(2) (प्रभारित)     | 0.16                          | शून्य | 0.16 |
| 36             | 5425 आरआर 1 (1) (2)                  | 0.50                          | शून्य | 0.50 |
| 37             | 2401.00.103.89 (प्रभारित)            | 0.01                          | शून्य | 0.01 |
| 38             | 2401.00.800.89.00.42                 | 0.02                          | शून्य | 0.02 |
| 39             | 2402 .00.102.69.00.42                | 0.01                          | शून्य | 0.01 |

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

|                |                                 |       |       |       |
|----------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| 40             | 2402.00.789.99.00.42            | 0.01  | शून्य | 0.01  |
| 41             | 2403.00.101.85.00.42            | 0.01  | शून्य | 0.01  |
| 42             | 2403.00.101.69                  | 0.05  | शून्य | 0.05  |
| 43             | 2403 .00.101.62.00.42           | 0.05  | शून्य | 0.05  |
| 44             | 2403 .00.101.61.00.42           | 0.50  | शून्य | 0.50  |
| 45             | 2403.00.113.96.00.42            | 0.50  | शून्य | 0.50  |
| 46             | 2403.00.800.60                  | 0.10  | शून्य | 0.10  |
| 47             | 2405.00.01                      | 0.04  | शून्य | 0.04  |
| 48             | 2030.01.101.99.00.42            | 0.10  | शून्य | 0.10  |
| 49             | 2053.00.093.95 (प्रभारित)       | 0.06  | शून्य | 0.06  |
| 50             | 2053.00.800.92.98.42            | 0.01  | शून्य | 0.01  |
| 51             | 2053.00.800.92.94.31            | 3.00  | शून्य | 3.00  |
| 52             | 2070.00.800.64.99 (प्रभारित)    | 0.02  | शून्य | 0.02  |
| 53             | 2235.01.202.98.98.42            | 0.01  | शून्य | 0.01  |
| 54             | 2235.60.200.63.00.42            | 0.50  | शून्य | 0.50  |
| 55             | 2245.02.101.97.99.42 (प्रभारित) | 0.10  | शून्य | 0.10  |
| 56             | 2245.80.102.95.00.42            | 0.50  | शून्य | 0.50  |
| 57             | 2515.00.001.00.42               | 0.12  | शून्य | 0.12  |
| 58             | 2406.01.102.99.98 (प्रभारित)    | 0.01  | शून्य | 0.01  |
| 59             | 2015.00.105.89.99.42            | 0.25  | शून्य | 0.25  |
| 60             | 2053.00.800.87                  | 0.30  | शून्य | 0.30  |
| 61             | 2245.02.101.96.99.42            | 0.50  | शून्य | 0.50  |
| 62             | 2053.00.800.86                  | 0.30  | शून्य | 0.30  |
| 63             | 2053.00.800.85                  | 0.30  | शून्य | 0.30  |
| 64             | 2053.00.800.84                  | 0.30  | शून्य | 0.30  |
| 65             | 2053.00.800.83                  | 0.30  | शून्य | 0.30  |
| 66             | 2235.01.200.89 (प्रभारित)       | 0.10  | शून्य | 0.10  |
| 67             | 2053.00.800.81                  | 0.30  | शून्य | 0.30  |
| 68             | 2053.00.800.80                  | 0.30  | शून्य | 0.30  |
| 69             | 2053.00.800.79                  | 0.30  | शून्य | 0.30  |
| 70             | 2015.00.103.88.00.42            | 0.50  | शून्य | 0.50  |
| 71             | 2053.00.800.77                  | 0.30  | शून्य | 0.30  |
| 72             | 2401.00.001.93                  | 0.10  | शून्य | 0.10  |
| 73             | 2401.00.119.75.00.42            | 0.50  | शून्य | 0.50  |
| 74             | 3435.03.103.84.00.42            | 0.20  | शून्य | 0.20  |
| 75             | 3435.03.789.99.00.42            | 0.02  | शून्य | 0.02  |
| 76             | 3435.60.800.86.00.42            | 0.10  | शून्य | 0.10  |
| <b>पूँजीगत</b> |                                 |       |       |       |
| 77             | 4702.00.800.99.00.42            | 0.05  | शून्य | 0.05  |
| 78             | 4711.01.052.99.00.42            | 0.03  | शून्य | 0.03  |
| 79             | 4711.03.052.99.00.42            | 0.02  | शून्य | 0.02  |
| 80             | 4059.80.800.96                  | 23.00 | शून्य | 23.00 |
| 81             | 4059.80.800.95                  | 23.00 | शून्य | 23.00 |
| 82             | 4059.80.800.94                  | 23.00 | शून्य | 23.00 |
| 83             | 4059.80.800.93                  | 23.50 | शून्य | 23.50 |
| 84             | 4059.80.800.92                  | 23.00 | शून्य | 23.00 |
| 85             | 4059.80.800.91                  | 23.50 | शून्य | 23.50 |
| 86             | 4059.80.800.90                  | 23.50 | शून्य | 23.50 |

|     |                                 |        |       |        |
|-----|---------------------------------|--------|-------|--------|
| 87  | 4059.80.800.89                  | 23.50  | शून्य | 23.50  |
| 88  | 4059.80.800.88                  | 23.50  | शून्य | 23.50  |
| 89  | 4059.80.800.87                  | 20.00  | शून्य | 20.00  |
| 90  | 4059.80.800.86                  | 20.00  | शून्य | 20.00  |
| 91  | 5425.00.208.88.00.42            | 0.30   | शून्य | 0.30   |
| 92  | 2401.00.103.89                  | 0.02   | शून्य | 0.02   |
| 93  | 2401.00.111.68.00.42            | 0.40   | शून्य | 0.40   |
| 94  | 2401.00.789.99.00.42            | 0.05   | शून्य | 0.05   |
| 95  | 2402.00.102.69.00.42            | 0.02   | शून्य | 0.02   |
| 96  | 2403.00.101.69.99.42            | 0.10   | शून्य | 0.10   |
| 97  | 2403.00.101.64.00.42            | 0.30   | शून्य | 0.30   |
| 98  | 2403.00.101.62.00.42            | 0.15   | शून्य | 0.15   |
| 99  | 2403.00.101.61.00.42            | 0.20   | शून्य | 0.20   |
| 100 | 2403.00.101.60.00.50            | 0.21   | शून्य | 0.21   |
| 101 | 2403.00.113.96.00.42            | 0.20   | शून्य | 0.20   |
| 102 | 2403.00.789.97                  | 0.05   | शून्य | 0.05   |
| 103 | 2403.00.800.60                  | 0.10   | शून्य | 0.10   |
| 104 | 2405.00.001.                    | 0.04   | शून्य | 0.04   |
| 105 | 2405.00.101.87                  | 0.50   | शून्य | 0.50   |
| 106 | 2030.02.101.99.00.42            | 3.00   | शून्य | 3.00   |
| 107 | 2053.00.093.95 (प्रभारित)       | 0.06   | शून्य | 0.06   |
| 108 | 2053.00.800.92.94.31            | 2.00   | शून्य | 2.00   |
| 109 | 2070.00.800.61                  | 200.00 | शून्य | 200.00 |
| 110 | 2070.00.800.64.98.              | 0.50   | शून्य | 0.50   |
| 111 | 2225.03.277.78.00.34            | 0.02   | शून्य | 0.02   |
| 112 | 2225.03.277.77.00.34            | 0.06   | शून्य | 0.06   |
| 113 | 2225.03.277.76.00.34            | 0.07   | शून्य | 0.07   |
| 114 | 2235.01.200.94 (प्रभारित)       | 0.02   | शून्य | 0.02   |
| 115 | 2235.02.200.80.00.42            | 10.00  | शून्य | 10.00  |
| 116 | 2235.60.200.63.00.42            | 0.50   | शून्य | 0.50   |
| 117 | 2235.60.200.61                  | 2.00   | शून्य | 2.00   |
| 118 | 2245.02.101.97.99.42 (प्रभारित) | 0.10   | शून्य | 0.10   |
| 119 | 2245.80.102.92                  | 4.00   | शून्य | 4.00   |
| 120 | 2515.00.001.00.42               | 0.06   | शून्य | 0.06   |
| 121 | 2406.01.102.99.98 (प्रभारित)    | 0.01   | शून्य | 0.01   |
| 122 | 2406.02.800.87.00.42            | 3.10   | शून्य | 3.10   |
| 123 | 2053.00.800.76.                 | 35.00  | शून्य | 35.00  |
| 124 | 2053.00.800.75                  | 30.00  | शून्य | 30.00  |
| 125 | 2245.02.101.95.00.42            | 0.40   | शून्य | 0.40   |
| 126 | 2053.00.800.74                  | 25.00  | शून्य | 25.00  |
| 127 | 2053.00.800.73                  | 35.00  | शून्य | 35.00  |
| 128 | 2235.01.200.89 (प्रभारित)       | 0.10   | शून्य | 0.10   |
| 129 | 2030.03.001.96                  | 0.05   | शून्य | 0.05   |
| 130 | 2053.00.800.71                  | 35.00  | शून्य | 35.00  |
| 131 | 2053.00.800.70                  | 25.00  | शून्य | 25.00  |
| 132 | 2029.00.104.92                  | 0.08   | शून्य | 0.08   |
| 133 | 2053.00.800.69                  | 35.00  | शून्य | 35.00  |

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|                |                      |               |              |               |
|----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 134            | 2053.00.800.68       | 40.00         | शून्य        | 40.00         |
| 135            | 2053.00.800.67       | 25.00         | शून्य        | 25.00         |
| 136            | 2053.00.800.66       | 35.00         | शून्य        | 35.00         |
| 137            | 2401.00.001.93       | 0.12          | शून्य        | 0.12          |
| 138            | 2401.00.119.74.00.42 | 0.31          | शून्य        | 0.31          |
| 139            | 2401.00.119.73.00.42 | 0.31          | शून्य        | 0.31          |
| 140            | 2401.00.789.97.00.42 | 0.09          | शून्य        | 0.09          |
| 141            | 2401.00.789.96.00.42 | 0.09          | शून्य        | 0.09          |
| 142            | 3435.03.103.84.00.42 | 0.10          | शून्य        | 0.10          |
| 143            | 3435.03.789.99.00.42 | 0.02          | शून्य        | 0.02          |
| 144            | 3435.60.800.86.00.42 | 0.10          | शून्य        | 0.10          |
| 145            | 3435.60.800.84.00.42 | 0.10          | शून्य        | 0.10          |
| <b>पूँजीगत</b> |                      |               |              |               |
| 146            | 4403.00.101.93       | 0.02          | शून्य        | 0.02          |
| 147            | 4250.00.101.99       | 3.00          | शून्य        | 3.00          |
| 148            | 5425.00.208.88.00.42 | 0.50          | शून्य        | 0.50          |
| <b>कुल</b>     |                      | <b>803.05</b> | <b>शून्य</b> | <b>803.05</b> |

## परिशिष्ट 3.1

निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी  
(पैराग्राफ 3.2 को देखें)

| क्र.सं. | निकायों/प्राधिकरणों के नाम                                     | नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि   | जिस वर्ष तक के लेखे जमा कराए गए | जिस अवधि तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) जारी किए गए | विधायिका में प्रस्तुत की गई एस ए आर   | वर्ष जिनके लेखे देय हैं | लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में) |
|---------|--|---|---------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| (1)     | (2)  | (3)   | (4)                             | (5)   | (6)   | (7)                     | (8)   |
| 1.      | दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)                                  | नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2022-23 के लिए सौंपा जाना | 2013-14                         | 2013-14   | विधायिका में पेश नहीं की गई   | 2014-15 तथा 2015-16     | 2   |
| 2.      | गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जी.जी.एस.आई.पी.यू) | नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा  | 2015-16                         | 2015-16   | स्थिति प्रतीक्षित   | -                       | -   |
| 3.      | नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.एस.आई.टी)                | 2012-13 से 2016-17 नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा             | 2014-15                         | 2014-15   | स्थिति प्रतीक्षित   | 2015-16                 | 1   |
| 4.      | दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)                                     | नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा                                | 2011-12                         | 2011-12   | स्थिति प्रतीक्षित   | 2012-13 से 2015-16      | 4   |
| 5.      | दिल्ली भवन अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड                    | नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा  | 2013-14                         | 2013-14   | स्थिति प्रतीक्षित   | 2014-15 तथा 2015-16     | 2   |
| 6.      | दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.)                      | नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा  | 2015-16                         | 2014-15   | स्थिति प्रतीक्षित   | -                       | -   |
| 7.      | दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डी.ई.आर.सी.)                       | नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा  | 2016-17                         | 2016-17   | वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 17.01.2017 को राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई | -                       | -   |
| 8.      | अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली                    | नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा  | 2016-17                         | 2015-16   | स्थिति प्रतीक्षित   | -                       | -   |

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

|     |   |   |         |         |  |                       |   |
|-----|---|---|---------|---------|--|-----------------------|---|
| 9.  | इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली | नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम के सेक्शन 20(3) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के लिए सौंपा जाना | 2015-16 | 2015-16 | वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक के लिए 08.08.2017 को राज्य विधायका में प्रस्तुत की गई | -                     | - |
| 10. | दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड                   | नि.म.ले.प. के क.श.से.श. अधिनियम के सेक्शन 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा                                    | -       | -       | -  | 2010-11 से आरम्भ हुई। | 6 |

## शब्दावली





|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>राजस्व प्राप्तियाँ</b>      | राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघ के करों और शुल्क में राज्य का अंश और भा.स. के सहायता अनुदान शामिल हैं।  |
| <b>पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>     | पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से होने वाली प्राप्तियाँ, ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्त संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त उधार) और भा.स. से प्राप्त ऋण व अग्रिम और लोक लेखा से प्राप्ति शामिल है।   |
| <b>उत्प्लावकता अनुपात</b>      | उत्प्लावकता अनुपात किसी आधार चर में एक परिवर्तन के संदर्भ में किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रियात्मकता की मात्रा या सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता का स्तर दर्शाता है। उदाहरण के लिए राजस्व प्राप्ति का 0.5 होना यह व्यक्त करता है कि राजस्व प्राप्ति में 0.5 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि होती है, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है।  |
| <b>मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ</b> | मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी नहीं आती है, यथा कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।   |
| <b>योग्यतामूलक वस्तुएँ</b>     | योग्यतामूलक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने की क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्धनों को निःशुल्क व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूग्णता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि। |
| <b>विकास व्यय</b>              | व्यय के आंकड़ों को विकास और गैर-विकास व्यय में विभाजित कर विश्लेषण करते हैं। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ और सामान्य सेवाओं में   |

श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्पष्ट तौर पर सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ विकास व्यय में शामिल हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में लिया जाता है।

**ऋण धारणीयता**

ऋण धारणीयता को एक समयावधि के भीतर राज्य द्वारा एक स्थिर ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बनाए रखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इससे अपने ऋण की चुकौती की योग्यता भी संबंधित है। इस प्रकार, ऋण की धार्यता का अर्थ वर्तमान व प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त तरल संपत्ति का होना और अतिरिक्त ऋण की लागतों और इन ऋणों से प्राप्त रिटर्न के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समान हो।

**गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता**

अभिवृद्ध्यात्मक ब्याज देयताओं और अभिवृद्ध्यात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की अभिवृद्ध्यात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धार्यता को प्राप्त किया जा सकता है यदि अभिवृद्ध्यात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों से अभिवृद्ध्यात्मक ब्याज देयता और अभिवृद्ध्यात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

**उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता**

इसे ऋणनिर्मोचन (मूल और ब्याज के भुगतान का जोड़) से कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं जो दर्शाता है कि ऋण निर्मोचन में किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का प्रयोग हुआ, जो उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाता है।

**प्राथमिक राजस्व व्यय**

प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान से शेष रहने वाला राजस्व व्यय है।

**निवल ऋण उपलब्ध**

राज्य को उपलब्ध निवल ऋण का अर्थ सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान से अधिकता है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agaudelhi.cag.gov.in](http://www.agaudelhi.cag.gov.in)